



रा ह वि नि
NHDC

36th

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2018-19

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)

निदेशक मंडल
Board of Directors
(As on 24/01/2020)



श्री संजय रस्तोगी
Shri Sanjay Rastogi

अध्यक्ष
Chairman
विकास आयुक्त
(हथकरघा)

Development Commissioner
(Handlooms)



श्री संजीव दुआ
Shri Sanjeev Dua
प्रबंध निदेशक
Managing Director



श्री दीपांकर दत्ता
Shri Dipankar Dutta
निदेशक
Director

उपसचिव (सामेकित वित्त
प्रभाग)
Dy. Secretary (IFW).



श्रीमती शिखा रॉय पब्बी
Smt. Shikha Roy Pabbi
अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
Non Official Independent
Director



श्री अनिल कुमार सूद
Shri Anil Kumar Sood
अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
Non Official Independent
Director

36^{वां} वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

36th Annual Report 2018-19



राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Govt. of India Undertaking)

विषय सूची

लक्ष्य एवं नैगमिक उद्देश्य	4
नैगमिक सूचना	6
छत्तीसवीं (36 ^{वीं}) वार्षिक साधारण सभा की सूचना	8
अध्यक्ष का भाषण	10
निदेशकों की रिपोर्ट	14
निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक	30
नैगमिक अभिशासन का प्रमाण-पत्र	44
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	80
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	90
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	104
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	128
वार्षिक लेखे	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	130
तुलन-पत्र	134
लाभ एवं हानि का विवरण	136
लेखों पर टिप्पणियाँ	138
नकदी प्रवाह विवरण	184
इक्विटी परिवर्तन पर टिप्पणियाँ	186
कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार सूचना	188
अनुदान संबंधी विवरण	190

CONTENTS

Mission & Corporate Objectives	5
Corporate Information	7
Notice for Thirty Sixth Annual General Meeting	9
Chairman's Speech	11
Directors' Report	15
Annexures to Director's Report	31
Corporate Governance Certificate	45
Secretarial Auditor's Report	81
Auditor's Report	91
Annexure to Auditor's Report	105
Comment of The Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013	129
Annual Accounts	
Significant Accounting Policies	131
Balance Sheet	135
Statement of Profit & Loss	137
Notes on Accounts	139
Cash Flow Statement	185
Statement of Change in Equity	187
Information Pursuant to Schedule III of the Company's Act, 2013	189
Grants Related Information	191

लक्ष्य व नैगमिक उद्देश्य

लक्ष्य

हथकरघा की उन्नति एवम् विकास के लिये राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराना।

नैगमिक उद्देश्य

1. आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबंधन (सप्लाइ चेन मैनेजमेंट) प्रणाली द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग व रसायन आदि उपलब्ध कराकर अपनी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।
2. उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अपने कार्य संचालन को औचित्यपूर्ण बनाए रखना।
3. विकास कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार करना कि योजनाओं/उत्पादों तथा विपणन माध्यमों आदि विषय में बुनकरों की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिले।
4. हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान आदि का हथकरघा संस्थाओं तक पहुँचाने का माध्यम बने रहना।
5. प्रशिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से कार्मिकों के योगदान में वृद्धि करना तथा उनकी जीविकावृत्ति में प्रगति के सुअवसरों को सुनिश्चित करना।

Mission & Corporate Objectives

MISSION

To serve as a National Agency for the promotion and development of the Handloom sector.

CORPORATE OBJECTIVE

1. To enhance its competitive edge in providing quality raw material i.e. yarn, dyes & chemicals through improved supply chain management.
2. To maintain viability of operations through effective utilization of available resources.
3. To take up the development programmes so as to contribute to increasing the awareness of schemes/products and marketing avenues etc.
4. To continue to act as a channel for routing Central Government funds, loans & grants to handloom agencies to aid in speedy implementation of programmes for development of the sector.
5. To ensure increasing contribution from personnel through training/counselling and to ensure career progression opportunities.

नैगमिक सूचना (24.01.2020)

श्री संजय रस्तोगी

विकास आयुक्त (हथकरघा)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(अध्यक्ष)

श्री संजीव दुआ

श्री दीपांकर दत्ता

उप सचिव, आईएफडब्लू
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(प्रबंध निदेशक)

(निदेशक)

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी

श्री अनिल कुमार सूद

श्री जितेंद्र पुरोहित

श्रीमती अंजलि यादव

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एम ए एन वी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स,

(अशासकीय स्वतंत्र निदेशक)

(अशासकीय स्वतंत्र निदेशक)

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

(कम्पनी सचिव)

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स नवनीत के. अरोड़ा एंड कं. एलएलपी
प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स जेकब एंड जॉर्ज, कन्नूर
मेसर्स मिश्रा एंड मिश्रा, कोलकाता
मेसर्स आलोक शर्मा एंड कंपनी, वाराणासी
मेसर्स विनोद ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, पानीपत
मेसर्स एम. ए. मोहियाद्दीन एंड कंपनी, हैदराबाद
मेसर्स एन.एम. एंड कंपनी, कोयम्बटूर
मेसर्स एस. बोस एंड कंपनी, गुवाहाटी
मेसर्स पीपीबी एंड कंपनी, भुवनेश्वर
मेसर्स गद्दम सत्यनारायण एंड कंपनी, विजयवाड़ा

प्रमुख बैंकर्स

इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एच.डी.एफ.सी. बैंक
पंजाब नेशनल बैंक

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
एक्सिस बैंक
केनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टॉवर 1,
प्लाट नं. 3, सेक्टर नॉलेज पार्क-III
सूरजपुर – कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश – 201 306

Corporate Information (As on 24.01.2020)

Shri Sanjay Rastogi

Development Commissioner (Handlooms)
Ministry of Textiles, Govt. of India

(Chairman)

Shri Sanjeev Dua

(Managing Director)

Shri Dipankar Dutta

(Director)

Dy. Secretary, IFW
Ministry of Textiles, Govt. of India

Smt. Shikha Roy Pabbi

(Non Official Independent Director)

Shri Anil Kumar Sood

(Non Official Independent Director)

Shri Jitendra Purohit

(Chief Financial Officer)

Smt. Anjali Yadav

(Company Secretary)

Statutory Auditors

M/s. MANV & Associates
Chartered Accountants

Secretarial Auditors

M/s. Navneet K Arora & Co. LLP
Practising Company Secretary, New Delhi

Branch Statutory Auditors

M/s. Jacob & George, Kannur
M/s. Mishra & Mishra, Kolkata
M/s. Alok Sharma & Co. Varanasi
M/s. Vinod Grover & Associates, Panipat
M/s. M A Mohiaddin & Co. Hyderabad
M/s. N.M. & Co., Coimbatore
M/s. S. Bose & Co. Guwahati
M/s. PPB & Co. Bhubaneswar
M/s. Gaddam Satyanarayana & Co. Vijaywada

Principal Bankers

Indian Bank
Union Bank of India
HDFC Bank
Punjab National Bank

United Bank of India
Indian Overseas Bank
Axis Bank
Canara Bank

Registered Office

4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddh Nagar
Uttar Pradesh - 201 306

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित साधारण व्यवसाय को सम्पादित करने हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की 36^{वीं} वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी, 2020 को अपराह्न 3 बजे रेडिसन ब्लू होटल के सभागार, सी-1, साईट-IV, II क्रॉस एवेन्यू, कासना, ग्रेटर नोएडा, में आयोजित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशको की रिपोर्ट, ऑडिट की गई बेलेंस शीट, लाभ हानि का विवरण इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, नगदी प्रवाह विवरण, सी. एंड ए.जी. की टिप्पणी, सांवाधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं साचिविक परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगिकृत करना।

बोर्ड के आदेशानुसार

ह./-

(अंजलि यादव)

कम्पनी सचिव

स्थान : ग्रेटर नोएडा

दिनांक 14 जनवरी, 2020

टिप्पणियाँ:-

- प्रत्येक सदस्य को बैठक में भाग लेने, मत देने व प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है जो उसके स्थान पर मत दे सके तथा यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिनिधि निगम का सदस्य हो। प्रोक्सी के उचित और प्रभावी होने के लिए, ऐसे प्रतिनिधि का विवरण बैठक के आयोजन से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले निगम के पंजीकृत कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।
- निगम के वित्तीय विवरण और निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन संलग्न है।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के तहत, एक सरकारी निगम के लेखा परीक्षक की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति भारत सरकार के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ऐ.जी.) द्वारा की जाती है।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेरधारिता के रजिस्टर, ठेके और समझौतों के रजिस्टर जिनमें निदेशकों के हित हों, को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए रखा गया है और अन्य सभी नोटिस में निर्दिष्ट दस्तावेज, सदस्यों द्वारा बैठक के दौरान बैठक के स्थल पर तथा निगम के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 36^{वीं} वार्षिक सामान्य सभा के स्थल का मानचित्र एतद् सहित संलग्न है।



NOTICE

Notice is hereby given that the 36th (Thirty sixth) Annual General Meeting of the National Handloom Development Corporation Limited will be held on Friday, the 24th day of January, 2020, at 3.00 p.m. at Board Room, Radisson Blu Hotel, C-8, Site-IV, 2nd Cross Avenue, Kasna, Greater Noida to transact the following Ordinary business:-

Receiving, considering and adopting the Directors' Report, audited Balance Sheet, Statement of Profit & Loss, Statement of Change in Equity, Cash Flow Statement, C&AG comments, Statutory Auditor's Report and Secretarial Auditor's Report for the Financial year 2018-19.

By order of the Board
 Sd/-
 (Anjali Yadav)
 Company Secretary

Place : Greater Noida
 Date : 14th January, 2020

NOTES

- A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and, on a poll, to vote instead of himself. Such a proxy need not be a member of the company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered office of the company not later than forty eight hours before the commencement of the meeting.
- Financial Statements of the Company, Auditors' Report thereon together with the Directors' Report are enclosed.
- Pursuant to Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed/re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India
- The Register of Directors and Key Managerial Personnel (KMP) and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, Register of contracts and arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice, will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days during business hours and at the time of AGM of the Company at the venue of the Meeting.
- Map of the Venue of the 36th Annual General Meeting is attached herewith.



अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आप सभी का निगम की 36^{वीं} वार्षिक सामान्य बैठक में स्वागत करने पर अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), तुलन पत्र और दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों के प्रतिवेदन की सूचना आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है और आपकी अनुमति से उसे मैं पढ़ा हुआ मान लेता हूँ। मेरा विचार है कि आपको सम्बोधित करने और निगम के निष्पादन पर अपने दृष्टिकोण और भावी परिदृश्य को साझा करने का मुझे विशेषाधिकार है।

विगत वित्तीय वर्ष की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मार्च 2020 तक सूत आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए सूत आपूर्ति योजना को संशोधित किया है, नई योजना में जिसमें मालभाड़ा प्रतिपूर्ति, एवं डिपो शुल्क मैदानों, पहाड़ों, दूरस्थ क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपूर्ति के लिए डिपो प्रभारों को युक्तिसंगत किया गया है। इसके अतिरिक्त, हथकरघा क्षेत्र के लागत संबंधी हानि को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, उपायुक्त (हथकरघा) ने सूत आपूर्ति योजना (वाईएसएस) के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर हथकरघा क्षेत्र को वितरित किए जाने के लिए कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न पर 10 प्रतिशत की मूल्य सब्सिडी की अनुमति दी है।

आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 950.94 करोड़ का व्यवसाय किया है। वर्ष के लिए शुद्ध हानि रु. 16.22 करोड़ है। निगम के प्रदर्शन में गिरावट का प्रमुख कारण वस्त्र मंत्रालय की सूत आपूर्ति योजना में परिवर्तन रहा है, जिसके लिए निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। निगम नई योजना के अर्न्तगत सूत आपूर्ति को बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 में, निगम ने विशेष रूप से उत्तर- पूर्व में दूर - दराज के क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ा दी है। 31 मार्च, 2019 तक, निगम के पास पिछले वर्ष में 18 के मुकाबले 46 संचालित गोदाम हैं।

आपका निगम एक ऋण मुक्त संस्थान है और कोषागार के कामकाजों की इतनी अच्छी व्यवस्था की गयी है कि सम्पूर्ण कार्यशील पूँजी को इसके आन्तरिक संसाधनों से पूरा कर लिया जाता है और निगम पर ब्याज लागत का बोझ नहीं पड़ता।

भावी परिदृश्य:

निगम भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के अर्न्तगत एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी निगम है। वस्त्र मंत्रालय के निर्देशानुसार निगम हथकरघा उत्पादों की बिक्री में अपने व्यवसाय और उद्यम में, विविधता लाना चाहता है ताकि बुनकर समुदाय को अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके हालाँकि, हम यह मानते हैं कि यह विचार अभी भी शुरुआती चरण में है, और इसके लिए आपका सहयोग एवं विचार वांचनिय है।

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you to the 36th Annual General Meeting of your Corporation and to present Report of the Auditor's & Director's Report for the year 2018-19 along with the Audited Annual Accounts. With your kind permission, I would like to take them as read. I consider it as my privilege to address and share my views on performance of the Corporation and future scenario.

Past year Review

During the FY 2018-19, the guidelines of the Yarn Supply Scheme have been revised for its implementation upto March 2020. In the new scheme, the freight reimbursement, depot charges for supply in plains, Hills and remote areas and North Eastern Region have been rationalized. Further, in order to mitigate the cost disadvantage of handloom sector, the office of DC (Handlooms) has allowed 10% price subsidy on cotton hank, domestic silk, woolen and Linen yarn to be distributed in the handloom sector on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT) mode.

Your Corporation achieved a turnover of Rs. 950.94 Crore during FY 2018-19. The net loss for the year is Rs. 16.22 crore. The major reason for drop in the performance of the Corporation has been due to the change in the Yarn Supply Scheme of the Ministry of Textiles for which the Corporation is the implementing agency. The Corporation is making all possible efforts to adjust itself to the new scheme.

Further, in the FY 2018-19, the Corporation has enhanced its reach to the far-flung areas especially in North-east. As on 31st March, 2019, the Corporation has 46 operating warehouses as against 18 in previous years.

Your Corporation is a debt free Corporation and the treasury functions and the entire working capital is met out from its internal resources and there is no burden of interest cost on the Corporation.

Future Scenario

The Corporation is a wholly owned Government Company under the ambit of Ministry of Textiles. As per the directions of the Ministry, the Corporation is looking to diversify its business and venture in sale of handloom products so as to ensure maximum benefits to the weaving community. However, the idea is still in the inception stage and we look forward to your co-operation in this regard.

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

यह ध्यान देने योग्य है कि निगम, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अन्तर्गत, स्वास्थ्य पर्यावरण, विरासत, शिक्षा संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से हथकरघा बुनकर समुदायों के लाभ के लिए विशेष ध्यान केन्द्रित करता है। वित्त वर्ष 2018-19 में, हमने बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण एवं सरकारी अस्पतालों को एम्बुलेंस की आपूर्ति की है।

नैगमिक अभिशासन :

आपका निगम विश्वास करता है कि अच्छी नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी परम्पराएँ दीर्घावधि में सभी हितधारकों के लिए सम्पत्ति का सृजन करती हैं। निगम द्वारा नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी परम्पराओं पर रिपोर्ट का अनुसरण किया जा रहा है और प्रबन्धन चर्चा व विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक के रूप में आपको प्रस्तुत की जाती है।

अभिस्वीकृति :

किसी भी उपलब्धि को मानव योगदान की आवश्यकता होती है और रा.ह.वि.नि. के विकास की कोई अलग कहानी नहीं है। मैं अपनी तथा बोर्ड की ओर से अपने प्रतिबद्ध और सक्षम कर्मचारियों के कठिन परिश्रम की प्रशंसा करता हूँ, जिनके यथार्थ और सतत् प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं बोर्ड के सदस्यों, अंशधारकों, वस्त्र मन्त्रालय, अन्य सरकारी विभागों, नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों को उनके सतत् मार्गदर्शन और समर्थन का आभारी हूँ। मैं विभिन्न बैंकरों, उपभोगी संस्थाएँ, कताई मिलों, रंग व रसायन (डाइज एण्ड केमिकल्स) के निर्माताओं और व्यवसाय सहभागियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आपके निगम में अपना विश्वास जताया है।

मैं भविष्य में निगम के विकास के लिए आपके सतत् सहयोग की आशा करता हूँ।

24 जनवरी 2020
ग्रेटर नोएडा

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन. 07722405

Corporate Social Responsibility and sustainability

It is worthy to note that the Corporation continues its focus on sustainable development of society through a series of projects and programs for benefit of communities with specific focus to the handloom weavers on health, environment, heritage, education under CSR. In FY 2018-19, we have built toilets and supplied ambulances to Government Hospitals in weaver centric regions.

Corporate Governance

Your Corporation believes that good Corporate Governance practices in the long term leads to creation of Wealth to all the stakeholders. A report on Corporate Governance Practices, being followed by the Corporation and Management Discussion and Analysis Report are placed before you as Annexure to the Director's Report .

Acknowledgement

Any accomplishment requires human contribution and the growth of NHDC has no different story. I, on my behalf and on behalf of the Board place on record appreciation for hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded results. I am grateful to the members of the Board, Shareholders, Ministry of Textiles, other Government Departments, C&AG Auditor, Statutory / Branch Auditors and Secretarial Auditors for their continuous guidance and support. I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of Dyes & Chemicals and business associates, who have reposed confidence in your Corporation.

I look forward to your continuous support for corporation's growth in the future .

24th January 2020
Greater Noida

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN : 07722405

निदेशको का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

आपके निदेशकों को निगम की कार्यप्रणाली पर 36^{वें} (छत्तीसवें) वार्षिक प्रतिवेदन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित लेखों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम

(रु. करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
बिक्री कारोबार	950.94	2726.15
करो के भुगतान के पश्चात् लाभ	(-) 16.22	23.58
विनियोजन :		
• प्रस्तावित लाभांश*	--	7.08
• लाभांश पर निगम कर	--	1.44
• विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित राजस्व	--	--
• सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा समग्र निधि में स्थानांतरण	--	--
• कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुप्रयोगी परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन	--	--
फ्री रिजर्व और अधिशेष*	79.60	95.82
कुल रिजर्व	80.73	97.02

* वित्त वर्ष 2018-19 में घाटे के कारण, आपके निगम के निदेशक मंडल ने समीक्षा की, और वर्ष के लिए किसी भी राशि को रिजर्व में स्थानांतरित नहीं करने का निर्णय लिया है, इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

1) कम्पनी का निष्पादन और भावी दृष्टिकोण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के वित्तीय निष्पादन और प्रचालनों का विस्तृत विश्लेषण और अंतर्दृष्टि और भावी दृष्टिकोण प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण में दर्शाया जा रहा है, जो वार्षिक प्रतिवेदन के भाग को निर्मित करता है।

2) कम्पनी की निष्पादन समीक्षा और मामलों की दशा:

वित्तीय वर्ष 2018-19 में निगम का टर्न ओवर रु. 950.94 करोड़, वित्तीय वर्ष 2017-18 में की बिक्रियों की तुलना में, रु. 2726.15 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 36.97 करोड़ लाभ की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर-पूर्व हानि रु. 13.91 करोड़ है और निवल करो के भुगतान के पश्चात् लाभ वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 23.58 करोड़ लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 16.22 करोड़ की हानि है। 31 मार्च, 2018 को निगम का निवल मूल्य रु. 116.02 करोड़ की तुलना में घटकर 31 मार्च, 2019 को रु. 99.73 करोड़ हो चुका है।

अत्यंत संतोष का विषय है कि निगम एक ऋण-मुक्त निगम है और यह अपनी सम्पूर्ण कार्यशील पूंजी अपेक्षा का प्रबंधन अपने आंतरिक संसाधनों से करने में सक्षम है।

DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 36th (Thirty Sixth) Annual Report on the working of the Corporation together with the audited accounts for the Financial Year 2018-19.

1. FINANCIAL RESULTS:

(Rs. In Crores)

Particulars	2018-19	2017-18
Sales Turnover	950.94	2726.15
Profile after tax	(-) 16.22	23.58
Appropriations :		
• Proposed dividend *	--	7.08
• Corporate tax on dividend	--	1.44
• Reserve for Developmental Activities	--	--
• Transfer to Post Retirement Medical Corpus	--	--
• Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013	--	--
Free reserve & surplus*	79.60	95.82
Total reserve	80.73	97.02

**Due to losses in FY 2018-19, the Board of Directors of your company, have decided not to transfer any amount to the reserves for the year under review. Further, no dividend has been recommended by the Board of Directors.*

1. COMPANY PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK:

A detailed analysis and insight into the financial performance and operations of your Company for the year under review and future outlook, is appearing in Management Discussion and Analysis, which forms part of the Annual Report.

2. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

The turnover of the corporation during the FY 2018-19 is Rs. 950.94 crore as compared to Rs. 2726.15 crore during FY 2017-18. The profit before tax has decreased from Rs. 36.97 crore in the FY 2017-18 to loss of Rs. 13.91 crore in the FY 2018-19 and net profit after tax from Rs. 23.58 crore in the FY 2017-18 to loss of Rs. 16.22 crore in the FY 2018-19. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 116.02 crore as on 31st March, 2018 to Rs. 99.73 crore as on 31st March, 2019.

The corporation is a debt free and is able to manage its entire working capital requirement from its internal resources.

भारत सरकार, बुनकर समुदाय की आर्थिक व्यवहार्यता का अनुरक्षण करने के उद्देश्य से औचित्यपूर्ण कीमतों पर यार्न की अबाध्य और आसान उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए, हमारे निगम के माध्यम से 'यार्न आपूर्ति योजना' (वाईएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। कॉटन हैंक यार्न हथकरघा सेक्टर में प्रमुख उपभोग की जाने वाली किस्म है। हथकरघा बुनकरों द्वारा बाजार फीडबैक के माध्यम से प्राप्त मांग और प्राथमिकताओं के आधार पर यार्न की अन्य किस्मों का प्रयोग भी कर रहा है।

आसान और अबाध्य आपूर्तियां सुनिश्चित करने के लिए हथकरघा एजेंसियों के माध्यम से डिपो भी स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2019 तक, परिचालित डिपो की संख्या 641 है (31 मार्च, 2018 को 625 थी)।

हथकरघा क्षेत्र के लागत संबंधी नुकसान को न्यूनतम करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 6 जनवरी, 2012 से वाईएसएस के अंतर्गत हथकरघा सेक्टर में वितरित किए जाने वाले कॉटन, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन हैंक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी की अनुमति प्रदान की है। निगम योजना के 10% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति कर रहा है। सब्सिडी प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध होगी तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के वितरण के स्वरूप में है, जोकि विगत वर्ष में लाभार्थियों को बीजक में अपफ्रंट में उपलब्ध थी।

गत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1557.18 लाख किलो सूत की आपूर्ति जिसका मूल्य 268876.50 लाख रुपए था तथा जिसमें सूत सप्लाय स्कीम के अन्तर्गत 268354.00 लाख रुपए मूल्य का 1552.40 लाख किलो सूत शामिल था, की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 445.59 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य 90550.29 लाख रुपए था तथा जिसमें सूत सप्लाय स्कीम के अन्तर्गत 89714.50 लाख रुपए मूल्य का 442.04 लाख किलो सूत शामिल था। गत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सूत की आपूर्ति 332.50 लाख किलो थी जिसका मूल्य 120991.87 लाख रुपए था, की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान सूत सप्लाय स्कीम के 10% मूल्य अनुवृत्ति घटक के अन्तर्गत सूत की आपूर्ति 146.26 लाख किलो थी जिसका मूल्य 50198.32 लाख रुपए था।

निगम हथकरघा बुनकरों और आपूर्तिकर्ताओं के लाभ हेतु गुणवत्तापूर्ण रंगों की व्यवस्था कर रहा है और गत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 3737.97 लाख रुपए मूल्य वाले 38.91 लाख किलो सूत की आपूर्ति की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 40.51 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य 4542.52 लाख रुपए है।

निगम हथकरघा बुनकरों को प्रतिस्पर्धी/न्यूनतम दरों पर यार्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से थोक मात्रा में छूटें प्राप्त करने के लिए थोक मात्राओं की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ यार्न की दरों पर बातचीत कर रहा है। दरों को निगम की वेबसाइट पर भी, बुनकर एजेंसियों के लिए मासिक आधार पर डाला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता बेहतर होती है।

निगम हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों के लिए समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिराला, श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश), ईटा नगर (अरुणाचल प्रदेश), धीमाजी, धुभरी, गुहाटी, कछुआ, करीमगंज, कोकराझार, नलबारी, सिवसागर, सुआलकुची, तिनसुकिया (असम), भागलपुर (बिहार) चंपा (छत्तीसगढ़), सुरेन्द्र नगर (गुजरात), पानीपत (हरियाणा), कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), जम्मू (जम्मू एंड कश्मीर), गोड्डा (झारखण्ड), अमीनगढ़ (कर्नाटका), बलरामपुरम, कन्नूर (केरल), माहेश्वर, (मध्यप्रदेश), योला (महाराष्ट्र), इम्फाल, मोइरांग (मणीपुर), तूरा (मेघालय) ऐजावल (मिजोरम), दीमापुर (नागालैंड), भुवनेश्वर, बारगढ़ (ओडिशा), दौसा (राजस्थान), कांचीपुरम, मदुरई (तमिलनाडू), वारंगल (तेलंगाना), अगरतला, अंबासा (त्रिपुरा), सीतापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, जैदपुर (उत्तर प्रदेश), काशीपुर (उत्तराखण्ड), समुद्रगढ़, बहरामपुर, शान्तिपुर (पश्चिम बंगाल), में 46 गोदाम (विगत वर्ष संख्या 18) संचालित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, रु. 1334.40 लाख मूल्य के 3.604 लाख किलो यार्न की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 1274.59 लाख मूल्य के 3.305 लाख किलो यार्न की आपूर्ति की गई थी।

देनदारों से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान (दिनांक 31 मार्च 2018 तक बकाया राशि में से) धनराशि की वसूली की गई तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 तक बकाया देनदारों का प्रतिशत 67.43% (पिछले वर्ष 94.65%) है।

The Government of India has been implementing the 'Yarn Supply Scheme' (YSS) through our corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been used based on the demand and preferences received through market feedback by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Uptill 31st March, 2019, the number of operational depots is 641 nos. (625 nos. as on 31st March, 2018).

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 10% price subsidy on Cotton, domestic Silk, Woolen and linen hank yarn to be distributed in the handloom sector under YSS w.e.f. 06th January, 2012. The subsidy shall be available on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT) mode, instead of upfront in the invoice, to the beneficiaries. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 10% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2018-19 were 445.59 Lakh kg. valuing Rs. 90550.29 Lakh which include 442.04 Lakh kg. valuing Rs. 89714.50 Lakh under Yarn Supply Scheme as compared to supplies of 1557.18 Lakh kg. valuing Rs. 268876.00 Lakh which include 1552.40 Lakh kg. valuing Rs. 268354.00 Lakh under Yarn Supply Scheme during the last financial year 2017-18. The yarn supplies under the 10% Price Subsidy Component of Yarn Supply Scheme (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2018-19 were 146.26 Lakh kg. valuing Rs. 50198.32 Lakh as compared to 332.50 Lakh kg. valuing Rs. 120991.87 Lakh during the last financial year 2017-18.

Corporation is arranging quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the financial year 2018-19 were 40.51 Lakh kg valuing Rs.4542.52 Lakh as compared to supplies of 38.91 Lakh kg. valuing Rs.3737.97 Lakh during the last financial year 2017-18.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

Corporation is operating 46 nos. Warehouses (Previous year 18 nos.) at Chirala, Srikakulam (Andhra Pradesh), Itanagar (Arunachal Pradesh), Dhemaji, Dhubri, Guwahati, Kachua, Karimganj, Kokrajhar, Nalbari, Sivasagar, Sualkuchi, Tinsukia (Assam), Bhagalpur (Bihar), Champa (Chhattisgarh), Surendernagar (Gujarat), Panipat (Haryana), Kullu (Himachal Pradesh), Jammu (Jammu & Kashmir), Godda (Jharkhand), Aminagad (Karnataka), Balrampuram, Kannur (Kerala), Maheshwar (Madhya Pradesh), Yeola (Maharashtra), Imphal, Moirang (Manipur), Tura (Meghalaya), Aizwal (Mizoram), Dimapur (Nagaland), Bhubaneswar, Bargarh (Odisha), Dausa (Rajasthan), Kancheepuram, Madurai (Tamilnadu), Warangal (Telengana), Agartala, Ambasa (Tripura), Moradabad, Sitapur, Varanasi, Zaidpur (Uttar Pradesh), Kashipur (Uttarakhand), Behrampur, Samudragarh, Santipur (West Bengal) for ensuring timely supply to the handloom weavers/ agencies. The yarn supply made through these warehouses during the year 2018-19 was 3.604 Lakh kg. valuing Rs. 1334.40 Lakh as against 3.305 Lakh kg. valuing Rs. 1274.59 Lakh during the last financial year 2017-18.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2018) during the FY 2018-19 as % age of debtors outstanding as on 31st March, 2018 is 67.43% (Previous year – 94.65%).

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने तीसरी वेतन संशोधन कमेटी (पीआरसी) की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और कर्मचारियों के वेतन संशोधन को 1 फरवरी, 2019 से लागू कर दिया ।

इसके अलावा, यह भी अवगत कराया गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में (वाईएसएस) से संबंधित 190.82 करोड़ रुपये की राशि के खरीद / बिक्री बीजक लखनऊ कार्यालय के द्वारा रद्द कर दिए गए थे । निगम के द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की गई तथा इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) / मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) को जांच हेतु सौंप दिया गया ।

3) विकासात्मक गतिविधियां और विपणन सहायता:

निगम ने हथकरघा बुनकरों को विशिष्ट प्रदर्शनियों के आयोजन के जरिए विपणन संबंधी सहायता मुहैया कराई है, जिनमें, वे अपने उत्पादों को बेहतर कीमत पर सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। इस संबंध में वर्ष के दौरान मुंबई, अहमदाबाद, बंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली, एर्णाकुलम, हैदराबाद, जबलपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, हुबली, रायपुर, सूरत, और प्रयागराज में 19 'सिल्कफैब' प्रदर्शनियां (गत वर्ष - 23) आयोजित की गईं। जबकि लखनऊ में 01 'वूलफैब' प्रदर्शनी (गत वर्ष - 04) और इंदौर, चेन्नई, नागपुर, और पटना में 04 'नेशनल हैंडलूम एक्सपो' (गत वर्ष - 02) आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में कुल बिक्री रु. 52.88 करोड़ (गत वर्ष रु. 93.78 करोड़) थी ।

4) कम्प्यूटरीकरण:

डिजिटल इंडिया अभियान के अर्न्तगत, निगम ने विभिन्न डिजिटल पहल की है जैसे; ऑनलाईन ई आर पी, ई-धागा मोबाइल ऐप, ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आदि का कार्यान्वयन डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के द्वारा करना है, जिसमें क्लाउड कम्प्यूटिंग और मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं, जो बुनकरों के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे निगम बुनकर समुदाय तक आसानी से पहुँच सके । डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक सेवाएं / जानकारी में लगने वाले समय को न्यूनतम करना है । इसके अलावा, एनएचडीसी लगातार बेहतर ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी को पूरे एनएचडीसी कार्यालयों में बढ़ाकर आईटी सेवाओं में सुधार के लिए काम कर रहा है ।

5) नैगमिक अभिशासन:

आपका निगम अपने प्रचालनों के सभी पहलुओं में नैतिक कारोबारी आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता में दृढ़ विश्वास रखता है और इन्हें सर्वोच्च महत्ता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप श्रेयधारकों के लिए सम्पत्ति का सृजन होता है। निगम द्वारा अपनाई जा रही 'नैगमिक अभिशासन व्यवहार' और 'प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण प्रतिवेदन' एतदसहित क्रमशः अनुलग्नक 'क' और 'ख' के साथ संलग्न हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण आंकड़े दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को सार्वजनिक उपक्रम विभाग को सौंप दिये गये थे तथा वर्ष 2017-18 के लिए निगम के वार्षिक लेखों को दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए नैगमिक अभिशासन पर तिमाही प्रगति प्रतिवेदन लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत नैगमिक अभिशासन पर वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में वार्षिक स्कोर (तिमाही प्रतिवेदनों की औसत पर आधारित) 91% अर्थात 'उत्कृष्ट' बनता है।

During the year under review, Board approved the 3rd Pay Revision Committee (PRC) recommendations and implemented the wage revision for employees w.e.f. 1st February, 2019.

Further, it had been reported that purchase/sales invoices amounting to Rs.190.82 Crore pertaining to YSS were cancelled in Lucknow Office in the first quarter of FY 2018-19. The Corporation took necessary administrative action in this regard, including referring the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC).

3. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 19 nos. 'SILKFAB' exhibitions (Previous year - 23 nos.) were organized at Mumbai, Surat, Ernakulam, Ahmedabad, Jabalpur, Jamshedpur, Kolkata, Bhubaneswar, Dehradun, Delhi, Chandigarh, Pune, Bengaluru, Jammu, Lucknow, Hubli, Raipur, Allahabad, Hyderabad, 01 no. 'WOOLFAB' exhibition (Previous year - 04 nos.) at Lucknow and 04 nos 'National Handloom Expo (Previous year – 02 nos.) at Chennai, Indore, Nagpur and Patna were organized during the year.

The total sale in the Exhibitions during the year was Rs. 52.88 Crore (Previous year - Rs. 93.78 Crore).

4. COMPUTERISATION:

Under the umbrella of Digital India Campaign, the Corporation has taken various digital initiatives viz. implementation of online ERP, eDhaga Mobile App, Online Direct Benefit Transfer for weavers etc. Using digital technologies, which includes Cloud computing and Mobile applications, NHDC is easily reachable to weaver community. The objective of digitalization is to minimize time for any services/information required by users. Further, NHDC is continuously working to improve IT services through improved online infrastructure and by increasing internet connectivity throughout NHDC offices

5. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders. Report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the Corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed herewith as **Annexure 'A' & 'B'** respectively.

The Public Enterprises Survey data for the year 2017-18 was submitted to the department of Public Enterprises on 17th October, 2018 and the annual accounts of the corporation for the year 2017-18 were placed on the website of the corporation on 25th September, 2018. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2018-19 have been submitted to Department of Public Enterprises.

The annual score (Based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2018-19 comes to 91% i.e. 'Excellent'.

6) कार्मिक विकास और औद्योगिक संबंध:

निगम मानव संसाधन के विकास पर अत्यधिक जोर देता रहा है और इस संबंध में, ये विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल के स्तर उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करता रहा है और साथ ही बाहरी प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों/सेमीनारों/कार्यशालाओं में अपने कार्मिकों को नामित भी करता रहा है।

निगम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) आरंभ की है, जो वर्ष 2018-19 के दौरान सचिवालयी स्टाफ और समूह 'घ' के लिए प्रचालन में थी। वर्ष के दौरान एक कनिष्ठ अधिकारी ने वीआरएस का विकल्प लिया है। दिनांक 31 मार्च 2019 को, निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 191 (गत वर्ष 202) बनती है जिनमें अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के 19 (9.95%), अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के 07 (3.66%), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के 30 (15.71%) और शारीरिक रूप से अक्षम (पीएच) श्रेणी के 05 (2.62%) कर्मचारी शामिल हैं।

प्रति कर्मचारी टर्न ओवर 4.98 करोड़ रुपए (गत वर्ष 13.22 करोड़ रुपए) और प्रति कर्मचारी कर के उपरान्त लाभ (पीएटी) रु. (-)8.49 लाख (गत वर्ष रु. 11.97 लाख) है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

7) हिंदी का प्रगामी प्रयोग:

निगम अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है। निगम सितम्बर और मार्च माह में अर्थात् अर्धवार्षिक आधार पर "राजभाषा सुरभि" पत्रिका का प्रकाशन करता रहा है।

8) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

निदेशक

निगम के निदेशक मंडल को 01 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त सुस्थापित संरचना है जिसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय से नियमित अनुरोध किया गया था।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार इस समय, इसमें चार सदस्य हैं जिसमें से दो भारत सरकार के नामित (अध्यक्ष को शामिल करके), एक अशासकीय स्वतन्त्र महिला निदेशक तथा एक प्रबंध निदेशक (अधिकांश निदेशक वित्त को अतिरिक्त प्रभार) हैं। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निगम संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 94 के अनुसार की जाती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा निम्न स्वीकृति प्रदान की गई:—

- आदेश संख्या 40/10/2/2017-DCH/NHDC दिनांक 8 जून, 2018 के अनुसार श्री राजेश कुमार साहू, अतिरिक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) को निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया एवं श्री राजेश कुमार साहू ने श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास से प्रबंध निदेशक का, दिनांक 8 जून, 2018 को प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- आदेश संख्या 40/10/2/2017-DCH/NHDC दिनांक 18 जून, 2018 के अनुसार श्री संजय रस्तोगी, विकास आयुक्त (हथकरघा) ने निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार श्री राजेश कुमार साहू से दिनांक 18 जून, 2018 को ग्रहण किया।

6. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

Corporation has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for up-gradation of the skill through organization of In-house Training Programmes as well as deputing its personnel to specific programmes/ seminars/workshop organized by the outside agencies of repute.

Corporation had introduced Voluntary Retirement Scheme (VRS), which was in operation during the year 2018-19 for secretarial staff and Group 'D'. 01 Jr. Officer has opted VRS during the year. Total number of employees of the Corporation as on 31st March 2019 stands at 191 (Previous year 202) which include 19 (9.95%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 07 (3.66%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 30 (15.71%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 05 (2.62%) employees belonging to Physically Handicapped (PH) category.

The turnover per employees is Rs.4.98 crore (Previous year Rs. 13.22 crore) and the Profit after Tax (PAT) per employee is Rs. -8.49 lac (previous year Rs. 11.97 lac).

The Industrial relations have been observed cordial and peaceful during the year under review.

7. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Corporation is committed to the progressive use of Hindi in its day to day working. Corporation has been publishing "RAJBHASHA SURABHI" magazine on half yearly basis i.e. in the month of September and March.

8. DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

Directors

The Board of Directors of the Corporation is well structured except for the appointment of 01 independent director, for which, regular requests had been made to the Administrative Ministry.

As on 31st March, 2019 the Board consists of 4 members, out of which two are nominee(s) of the Government of India (including Chairman), 01 is Non-Official Independent Women Director and one is Managing Director (Additional Charge to ED Finance). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the Corporation.

During the year under review, Government of India, Ministry of Textiles accorded its approval to the following:

- Entrustment of additional charge of Managing Director of the Corporation to Shri Rajesh Kumar Sahu, Additional Development Commissioner (Handlooms) vide order no.40/10/2/2017-DCH/NHDC dated 8th June, 2018. Shri Rajesh Kumar Sahu assumed charge of Managing Director from Shri Sarvepalli Srinivas, Managing Director on 8th June, 2018.
- Entrustment of additional charge of Managing Director of the Corporation to Shri Sanjay Rastogi, Development Commissioner (Handlooms) vide order no.40/10/2/2017-DCH/NHDC dated 18th June, 2018. Shri Sanjay Rastogi assumed charge of Managing Director from Shri Rajesh Kumar Sahu on 18th June, 2018.

- आदेश संख्या 40/10/2/2017-DCH/NHDC दिनांक 18 जनवरी, 2019 के अनुसार श्री नवीन कुमार गुप्ता, अधिशासी निदेशक (वित्त)/सीएफओ को निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया एवं श्री संजय रस्तोगी से श्री नवीन कुमार गुप्ता ने प्रबंध निदेशक का पदभार दिनांक 18 जनवरी, 2019 को ग्रहण किया ।
- आदेश संख्या 11/26/82-DCH/NHDC/Vol. I दिनांक 28 मार्च, 2019, के संदर्भ में श्री दीपांकर दत्ता, उप सचिव (आईएफडब्ल्यू) की नियुक्ति, श्री ए के शर्मा उप सचिव (आईएफडब्ल्यू) के स्थान पर दिनांक 28 मार्च, 2019, से हुई ।

श्रीमती शिखा रॉय पब्बी, निगम की अशासकीय स्वतंत्र महिला निदेशक ने पुष्टि की है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करती हैं ।

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्या 40/10/2/2017-DCH/NHDC दिनांक 18 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में, श्री संजीव दुआ को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में, उनकी सेवानिवृत्ति (31/10/2021) अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया एवं दिनांक 01 मई, 2019 को उन्होंने प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया । इसके अलावा, आदेश संख्या 11/26/82 DCH/NHDC/ (Vol-IV) दिनांक 18 अक्टूबर, 2019, के द्वारा श्री अनिल कुमार सूद को निगम के अशासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

उपर्युक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, विशेषज्ञता की प्रकृति, अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक-पद के ब्यौरे के साथ-साथ सचिवालयी मानक-2 के अधीन यथा निर्धारित कम्पनी में अपनी शैयरधारिता का ब्यौरा वार्षिक प्रतिवेदन के नैगमिक अभिशासन से संबंधित खंड में दिया गया है ।

निगम के बोर्ड की वर्ष 2018-19 के दौरान नियमित अंतराल पर 04 बार बैठकें (28 जून, 2018, 4 सितम्बर, 2018, 27 दिसम्बर, 2018 और 26 मार्च, 2019) को हुईं और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित समस्त सूचना बोर्ड के समक्ष रखी गई थी ।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सुश्री अंजली यादव को, 15 जून, 2018 से, निगम की कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया ।

श्री नवीन कुमार गुप्ता अधिशासी निदेशक वित्त/सीएफओ ने दिनांक 3 जुलाई, 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया । श्री जितेन्द्र पुरोहित को दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 से सीएफओ के पद पर नियुक्त हुई ।

9) लेखा परीक्षा समिति:

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, निगम में बोर्ड की एक कार्यशील लेखा परीक्षा समिति है । समिति की संरचना, संदर्भ शर्तों, वर्ष के दौरान बैठकों से संबंधित ब्यौरा, वार्षिक प्रतिवेदन की नैगमिक अभिशासन के प्रतिवेदन संबंधी खंड में उपलब्ध कराई गई है ।

10) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इनकी पर्याप्तता:

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित की है । व्यापक आन्तरिक लेखा परीक्षा मैनुअल के अतिरिक्त आन्तरिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा परीक्षकों को समय समय पर आवश्यकता के आधार पर नए जाँच बिन्दुओं का भी सुझाव दिया जाता है । निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षा निगम के आन्तरिक लेखा परीक्षा दल तथा बाह्य स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के द्वारा की जाती है । निगम के निदेशक मण्डल की बैठक (2018-19) के निर्णय के अनुसार निगम के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गई । लेखा परीक्षा समिति द्वारा आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षा प्रणालियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है तथा सतत् सुधार के लिए आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ।

- Entrustment of additional charge of Managing Director of the Corporation to Shri Naveen Kumar Gupta, Executive Director (Finance)/CFO vide order no.40/10/2/2017-DCH/NHDC dated 18th January, 2019. Shri Naveen Kumar Gupta assumed charge of Managing Director from Shri Sanjay Rastogi on 18th January, 2019.
- Appointment of Shri Dipankar Dutta, Dy. Secretary IFW, as Government Director of the Corporation in place of Shri A K Sharma, Dy. Secretary IFW vide order no.11/26/82-DCH/NHDC/Vol.I dated 28th March, 2019, w.e.f. 28th March, 2019.

Smt. Shikha Roy Pabbi, Independent Director of the Corporation has confirmed that she meets the criteria of Independence as prescribed under the Companies Act, 2013.

Further, Shri Sanjeev Dua was appointed as the Managing Director of the Corporation with effect from his assumption of charge i.e. 01st May, 2019 vide Government of India, Ministry of Textiles order no.40/10/2/2017-DCH/NHDC dated 18th April, 2019 till the date of his superannuation (31/10/2021) or until further orders, whichever is earlier. Also, Shri Anil Kumar Sood was appointed as Non-Official Independent Director of the Corporation vide GO no. 11/26/82-DCH/NHDC/(Vol. IV) dated 18th October, 2019.

Brief resume, nature of expertise, details of directorship held in other companies of the above Directors along with their shareholding in the Company as stipulated under Secretarial Standard-2 is provided in the Report on Corporate Governance section of the Annual Report.

The Board of the corporation met 04 times during the year 2018-19 at regular intervals (28th June, 2018, 04th September, 2018, 27th December, 2018 and 26th March 2019) and all the information required in accordance with the Companies Act, 2013 and DPE guidelines was placed before the Board.

Key Managerial Personnel

During the year under review, Smt. Anjali Yadav was appointed as the Company Secretary of the Corporation w.e.f. 15th June, 2018.

Further Shri Naveen Kumar Gupta, Executive Director Finance /CFO resigned from the Corporation on 03rd July, 2019. Shri Jitendra Purohit was appointed as CFO of the Corporation w.e.f. 28th October, 2019)

9. AUDIT COMMITTEE:

The Corporation has a functional Audit Committee of the Board in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines. Details regarding the composition of the Committee, terms of reference, meetings during the year are provided in the Report of Corporate Governance section of the Annual Report.

10. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving . In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2018-19, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

11) सतर्कता:

निगम के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है, जो निगम के प्रबंधक निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। निगम निवारक सतर्कता प्रक्रिया अपना रहा है।

कर्मचारियों को उनके दिन प्रतिदिन के कामों में सुरक्षित कारोबारी परिपाटियों के बारे में शिक्षित करने के लिए सतर्कता सप्ताह का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। वर्ष के दौरान, दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 से 3 नवम्बर, 2018 के दौरान 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' का आयोजन किया गया, जिसका विषय "भ्रष्टाचार मिटाओ-नया भारत बनाओ" था। सप्ताह की शुरुआत कर्मचारियों द्वारा सतर्कता की शपथ लेने से हुई, जो निगम के सतर्कता अधिकारी द्वारा दिलाई गई। सप्ताह के दौरान, सतर्कता के संबंध में निबंध लेखन प्रतियोगिता और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया। सतर्कता सप्ताह का आयोजन निगम के पंजीकृत कार्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी किया गया।

12) सांविधिक लेखा परीक्षकों और सीएंडएजी की टिप्पणियों के उत्तर:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के अंतर्गत सीएंडएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन में रखा गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर बोर्ड के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'ग' के रूप में संलग्न हैं। सीएजी ने धारा 143 (6) के अन्तर्गत निगम का अनुपूरक लेखा परीक्षा का निर्णय लेते हुए निगम का आंकेक्षण किया तथा निगम एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रेषित जबाबों में संतुष्ट होते हुए वार्षिक खातों में कोई भी टिप्पणी ना करने का प्रमाण पत्र निगम को दिया।

13) सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 201(1) के अंतर्गत सचिवालयी लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन में रखा गया है। सचिवालयी लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के उत्तर बोर्ड के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'घ' के रूप में संलग्न है।

14) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन:

निगम कोई निर्माण गतिविधि नहीं कर रहा है, अतः प्रौद्योगिकी समावेशन से संबंधित मुद्दा निगम पर लागू नहीं होता।

15) आकस्मिक परिसम्पत्तियां:

विधिक कार्यविधियों के अधीन पक्षकारों की ओर से वसूली योग्य ब्याज राशि 0.20 करोड़ रुपए (गत वर्ष - 0.65 करोड़ रुपए) है।

16) विदेशी मुद्रा आय और परिव्यय:

निगम विदेशी मुद्रा में कारोबार नहीं कर रहा है, क्योंकि यह कोई आयात/निर्यात गतिविधि नहीं चला रहा है।

17) जोखिम प्रबंधन नीति:

निगम विदेशी मुद्रा में कारोबार नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष निधियों का निवेश बैंकों के पास जमा राशियों में किया गया है, जिनमें मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में कोई वित्तीय जोखिम निहित नहीं है।

18) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 के अधीन सूचना पिछले वित्तीय वर्ष में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई। कम्पनी में एक आंतरिक शिकायत समिति है जिसके पास महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

11. VIGILANCE:

The vigilance department of the corporation is headed by the Vigilance Officer, who reports to the Managing Director of the corporation. The Vigilance Department follows the guidelines issued by the Central Vigilance Commission from time to time. Corporation is adopting preventive vigilance.

Vigilance week is observed every year to educate the employees about safe business practices in their day to day working. During the year, 'Vigilance Awareness Week' with the theme "Eradicate Corruption-Build a New India" was observed from 29th October, 2018 to 3rd November, 2018. The week was started with taking the pledge (vigilance), by the employees, administered by the Vigilance Officer of the corporation. During the week, essay writing competition and debate competition on topics relating to the vigilance were conducted, wherein, various employees participated. Vigilance week was observed at Registered Office as well as at all regional offices of the Corporation.

12. REPLY TO STATUTORY AUDITOR'S & C&AG'S COMMENTS:

The report of the Statutory Auditor along with comments of C&AG u/s 143(5) & 143(6) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments, of the Statutory Auditor is placed as **Annexure C** to this Report. Further for the year ended 31st March, 2019 the Comptroller & Auditors General of India under section 143(6) of the Companies had decided to go for supplementary audit of the Corporation and after being satisfied by the replies of the management and the statutory auditors has issued a 'NIL Comments certificate' to the Corporation.

13. REPLY TO SECRETARIAL AUDITOR'S COMMENTS:

The report of the Secretarial Auditor u/s 201(1) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Secretarial Auditor's report is placed as **Annexure D** to this Report.

14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to corporation.

15. CONTINGENT ASSETS:

Interest receivable from the parties under legal proceedings is Rs. 0.20. Crore (Previous year - Rs. 0.65 Crore).

16. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity

17. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the bank, which include mainly public sector banks. Thus, there is no financial risk.

18. INFORMATION UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013.

No case of Sexual Harassment at work place was reported in the last financial year. The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

19) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कम्पनी सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी अनुदेशों का अनुसरण कर रही है, और अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नामित किए हैं। समस्त प्रासंगिक सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

20) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

एक उत्तरदायी नैगमिक नागरिक होने के नाते, आपकी कम्पनी हथकरघा बुनकरों के समुदाय पर प्रमुख फोकस के साथ समुदाय के कल्याण और सतत् विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशकों की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति विद्यमान है। सीएसआर समिति की संरचना और संदर्भ शर्तें नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रतिवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं, जो वार्षिक प्रतिवेदन के भाग को निर्मित करती हैं। सीएसआर समिति ने एक सीएसआर नीति निरूपित करके बोर्ड को अनुशंसित की है, जिसमें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों को रेखांकित किया गया है। सीएसआर नीति कम्पनी की वेबसाइट nhdc.org.in पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर पर वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक 'ड' के रूप में संलग्न हैं।

21) वार्षिक विवरणी का उद्घरण:

प्रपत्र एमजीटी-9 में वार्षिक विवरणी का उद्घरण एतदसहित अनुलग्नक-‘च’ के रूप में संलग्न है।

22) निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण:

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के दृष्टिगत, आपके निदेशक एतदसहित घोषित करते हैं कि:-

- वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ साथ लागू लेखाकरण मानदंडों का अनुसरण किया गया था।
- निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुनी हैं और उन्हें निरंतर लागू किया है और उन पर निर्णय और प्राक्कलन किए हैं जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत में निगम के मामलों की दशा और उस अवधि के लिए निगम के लाभों का सत्य और स्पष्ट अवलोकन प्रदान करती हैं।
- निदेशकों ने निगम की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने और किसी धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनका निवारण करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- निदेशकों ने चालू कम्पनी के आधार पर वार्षिक लेख तैयार किए थे और
- निदेशकों ने सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से काम कर रही थीं।

23) प्रकटीकरण

आपके निदेशकों ने उल्लेख किया है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इनके संबंध में कोई संव्यवहार / घटनाएं नहीं थी:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली जमा राशियों से संबंधित ब्यौरा।
- विशेष अधिकारों, यथा लाभांश, मताधिकार या अन्यथा के साथ इक्विटी शेयर जारी किया जाना।
- कम्पनी की किसी भी योजना के अंतर्गत कम्पनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वैट इक्विटी शेयरों सहित)
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व में कोई राशि अंतरित नहीं की है।

19. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Company follows Government instruction issued in pursuance of Right to Information Act, 2005, and has designated Public Information Officer and Appellate Authority under the Act. All relevant information has been hosted on the Company's website also.

20. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

As a responsible corporate citizen, your Company is committed to undertake socially useful programmes for welfare and sustainable development of the community with its major focus on the community of handloom weavers. The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The composition and terms of reference of the CSR Committee are provided in the Report on Corporate Governance, which forms part of the Annual Report. The CSR Committee has formulated and recommended to the Board, a CSR Policy outlining CSR projects/activities to be undertaken by the Company during the year under review. The CSR Policy is available on the Company's website viz. nhdc.org.in.

The Annual Report on CSR for FY 2018-19 is annexed to the Board's Report at **Annexure E**.

21. EXTRACT OF ANNUAL RETURN:

Extract of the Annual Return in Form MGT-9 is annexed herewith as **Annexure F** and the same is also placed on the website of the Company viz. www.nhdc.org.in.

22. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors hereby declare that: -

- (i) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- (ii) The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the corporation at the end of the financial year ended March 31, 2019 and of the profits of the corporation for that period.
- (iii) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- (iv) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis and
- (v) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

23. DISCLOSURES

Your Directors state that no disclosure is required in respect of the following matters, as there were no transactions/ events in relation thereto, during the year under review:

- (i) Details relating to deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013.
- (ii) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- (iii) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme of the Company.
- (iv) There was no change in the share capital of the Company during the year under review.
- (v) The Company has not transferred any amount to the General Reserve during the year under review.

- (vi) वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत के बाद और इस प्रतिवेदन की तारीख तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन/प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं जिनसे आपकी कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती हो। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4.35 करोड़ रुपए की वेतन बकायों के लिए प्रावधान किया गया है जो चालू वित्तीय वर्ष में देय होगा। संशोधित वेतनमान 1 फरवरी 2019 से लागू किया गया।
- (vii) विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं जिनसे 'चालू कम्पनी स्थिति' और भविष्य में कम्पनी के प्रचालन प्रभावित होते हों।
- (viii) आपकी कम्पनी में वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और आरेखन या प्रचालनों में कोई प्रतिवेदन योग्य महत्वपूर्ण दुर्बलता नहीं पाई गई।
- (ix) निगम की कोई धारक या सहायक कम्पनी नहीं है, अतएव धारक/अनुषंगी कम्पनी की ओर से प्रबंध निदेशक के लिए पारिश्रमिक लागू नहीं होता।
- (x) निगम की कोई धारक या सहायक कम्पनी नहीं है, अतएव लेखों के समेकन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते।
- (xi) सूत आपूर्ति योजना के संचालन में हुई अनियमितताओं, जो कि CBI और CVC के साथ जांच हेतु लंबित है, इसके अलावा लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई।
- (xii) निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड को बनाने की आवश्यकता नहीं है,
- (xiii) निगम ने कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है।
- (xiv) निगम ने कोई संबद्ध पक्षकार संव्यवहार आरंभ नहीं किया है।
- (xv) इस रिपोर्ट की तारीख और वित्तीय विवरणों की तारीख के बीच कोई सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं है
- (xvi) निगम के चालू कम्पनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (xvii) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 5 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल.वी द्वारा, सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) और (त) के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की है।

24) अभिस्वीकृति :

आपका बोर्ड निगम के कार्यकलापों और संचालनों में वस्त्र मन्त्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अन्य मन्त्रालयों और विभागों द्वारा दिए गए उनके सहयोग एवं दिशानिर्देशों के लिए उनका आभारी है।

आपके निदेशक भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा बोर्ड के सदस्यों, सांविधिक एवं शाखा लेखा परीक्षकों तथा बैंकरों का उनके द्वारा दी गई सहायता, सहयोग एवं दिशानिर्देश के लिए उनके आभारी हैं।

आपका बोर्ड विभिन्न उपभोगी एजेंसियों/अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा संगठन में उनके सहयोग एवं विश्वास व्यक्त करने के लिए उनका आभारी है और भविष्य में आपसी सहयोगी सम्बन्ध के आधार पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

आपके निदेशक सभी कताई मिलों तथा रंग एवं रसायन तथा वस्त्र विनिर्माताओं से प्रत्यक्ष तथा साथ ही उनके संगठनों के जरिए प्राप्त सतत् सहयोग के लिए स्पष्ट रूप से उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं।

आपका बोर्ड रा.ह.वि.नि. परिवार का भी उनके उत्साह, समर्पित कार्य एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता है तथा उनकी लगातार सहभागिता के लिए आशान्वित है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
ह/-

दिनांक : 10 जनवरी 2020

स्थान : नई दिल्ली

(संजय रस्तोगी)

अध्यक्ष

डीआईएन: 07722405

- (vi) No material changes/commitments have occurred after the end of the financial year 2018-19 and till the date of this report which would affect the financial position of your Company. Further, provision for salary arrears amounting to Rs. 4.35 Crores have been made for FY 2018-19 which shall be payable in the current financial year. Pay revision has been implemented from 1st February, 2019.
- (vii) No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the 'going concern status' and Company's operations in future.
- (viii) Your Company has in place, adequate internal financial controls with reference to the financial statements. During the year, special care is being taken in its effective implementation.
- (ix) Corporation has no Holding or Subsidiary Company hence remuneration to Managing Director from Holding/Subsidiary Company is not applicable.
- (x) Corporation has no Holding/subsidiary Company hence provisions regarding consolidation of accounts are not applicable.
- (xi) No frauds were reported by the Auditors in their report, except for the irregularities in implementation of YSS which is pending investigation with CBI & CVC.
- (xii) Corporation is not required to maintain cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013
- (xiii) Corporation has not given any loans or Guarantee
- (xiv) Corporation has not undertaken any Related party Transaction
- (xv) No material changes and commitments between the date of financial statements and the date of this report
- (xvi) There is no change in going concern status of the corporation.
- (xvii) Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of information under section 134(3)(e) and (p) of the Companies Act, 2013.

24. ACKNOWLEDGMENT:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their support and guidance given to the corporation in carrying out its activities and operations.

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit & CSR Committees, Board, Statutory and Branch Secretarial Auditors and Bankers for their help, cooperation and guidance.

Your Board expresses sincere gratitude to the various user agencies/ other concerned agencies for their support and confidence reposed in the organization and looks forward to mutually rewarding relationship in future.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from all the Spinning Mills and Manufacturers of Dyes & Chemicals and Fabrics directly as also through their organized set-ups.

Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family for their enthusiasm, dedicated work and cooperation and look for their continuous involvement.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
 (Sanjay Rastogi)
 Chairman
 DIN : 07722405

Dated:10.01.2020
 Place: New Delhi

**निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक
नैगमिक अभिशासन पर प्रतिवेदन**

(क) नैगमिक अभिशासन पर कम्पनी का दर्शन :

नैगमिक अभिशासन पर रा.ह.वि.नि. के दर्शन में नीतिपरक व्यवसाय आचरण और संचालन के सभी पहलुओं व शेरधारकों, कर्मचारियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों एवं सरकार सहित अपने सभी हितधारकों के साथ परस्पर क्रियाओं में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही व इकिवटी की प्राप्ति की परिकल्पना की गयी है। निगम हितधारकों के दीर्घकालिक मूल्यों में अभिवृद्धि करने और नैगमिक अभिशासन के अच्छे मानकों को बनाए रखने के लिए नैगमिक अभिशासन के उच्चतम स्तर के मानकों की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। व्यावसायिकता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए निगम का सुस्थापित, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रशासनिक तन्त्र है।

(ख) निदेशक मंडल

निगम के बोर्ड के एक स्वन्तत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले को छोड़कर सुस्थापित संरचना है जिसके लिए उन्हें बोर्ड में शामिल करने हेतु प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है। इस 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में चार सदस्य हैं जिसमें से दो भारत सरकार के नामित (अध्यक्ष को शामिल करके), एक अशासकीय स्वतन्त्र महिला निदेशक तथा एक प्रबंध निदेशक (अधिशासी निदेशक वित्त को अतिरिक्त प्रभार दिया गया) हैं। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निगम संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 94 के अनुसार की जाती है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को निदेशक मंडल की संरचना और संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम और श्रेणी	बोर्ड की बैठकों की संख्या उपस्थिति सहित	पिछली एजीएम में उपस्थिति	दिनांक 31.03.2019 को बाहरी निदेशकों की संख्या
सरकारी निदेशक			
क. श्री संजय रस्तोगी, अध्यक्ष-एनएचडीसी / विकास आयुक्त (हथकरघा) वस्त्र मंत्रालय डीआईएन संख्या 07722405 (4 दिसम्बर, 2017 से)	4/4	हां	1 (एक)
ख. श्री दीपांकर दत्ता, उप सचिव,* समेकित वित्त प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय, डीआईएन नं. 08423642 (28 मार्च, 2019 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	-
ग. श्री ए.के.शर्मा, उप सचिव,* समेकित वित्त प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय, डीआईएन नं. 06471388 (18 दिसम्बर, 2017 से 28 मार्च, 2019)	3/4	हां	लागू नहीं
प्रबंध निदेशक			
घ. श्री नवीन कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक* (अधिशासी निदेशक वित्त को अतिरिक्त प्रभार दिया गया) डीआईएन नं. 08338075 (18 जनवरी, 2019 दोपहर से 30 अप्रैल, 2019)	1/1	लागू नहीं	-
ड. श्री संजय रस्तोगी, प्रबंध निदेशक, (अध्यक्ष एनएचडीसी/ विकास आयुक्त*(हथकरघा) को अतिरिक्त प्रभार) वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 07722405 (19 जून, 2018 से 18 जनवरी, 2019 पूर्वान्ह)	3/3	हां	1 (एक)

ANNEXURES TO DIRECTORS' REPORT REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Annexure - A

(a) COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages ethical business conduct and attainment of highest level of transparency, accountability and equity in all facets of operations and all its interactions with its stakeholders including shareholders, employees, bankers, auditors and the Government. The corporation constantly endeavours to achieve the highest levels of standards of corporate governance in order to enhance the long terms stake holders' value and maintain good standards of Corporate Governance. Corporation has well established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

(b) BOARD OF DIRECTORS:

The Board of the corporation is well structured except for the appointment of one independent director, for which, request has been made to the Administrative Ministry. As on March, 31, 2019 the Board of Directors consisted of 4 members, of whom, two are the nominee of the Government of India (including Chairman) and 01 is Non Official Independent Director and one is the Managing Director (Additional Charge given to Executive Director (Finance)). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the Corporation.

Constitution of Board of Directors and the related information as on March 31, 2019, is as follows:

Name & Category of the Director	No. of Board meeting with attendance	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2019
Government Director :			
a. Shri Sanjay Rastogi, Chairman-NHDC/ Development Commissioner (Handlooms), Ministry of Textiles, DIN No. 07722405 (From 4 th December, 2017 onwards)	4/4	Yes	1 (One)
b. Shri Dipankar Dutta, Dy. Secretary*, Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles DIN No. 08423642 (From 28 th March, 2019 onwards)	N.A.	N.A.	-
c. Shri A.K. Sharma, Dy. Secretary*, Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles DIN No. 06471388 (18 th December, 2017- 28 th March, 2019)	3/4	Yes	N.A.
Managing Director:			
d. Shri Naveen Kumar Gupta, Managing Director@ (Additional Charge given to Executive Director-Finance) DIN No.08338075 (18 th January, 2019-Afternoon to 30 th April, 2019)	1/1	N.A.	-
e. Shri Sanjay Rastogi, Managing Director (Additional Charge to Chairman NHDC/ DC@ (Handlooms), Ministry of Textiles DIN No. 07722405 (From 19 th June, 2018 to 18 th January, 2019-forenoon)	3/3	Yes	1 (One)

निदेशक का नाम और श्रेणी	बोर्ड की बैठकों की संख्या उपस्थिति सहित	पिछली एजीएम में उपस्थिति	दिनांक 31.03.2019 को बाहरी निदेशकों की संख्या
च. श्री राजेश कुमार साहू प्रबंध निदेशक, [#] (अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) वस्त्र मंत्रालय को अतिरिक्त प्रभार) डीआईएन नं. 07919011 (8 जून, 2018 अर्पान्द से 18 जून, 2018)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
छ. श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक # डीआईएन नं. 02292051 (1 मई, 2013 से 8 जून, 2018)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अशासकीय स्वतंत्र निदेशक			
ज. श्रीमती शिखा रॉय पब्बी अशासकीय स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन नं. 07764529 (1 फरवरी, 2017 से)	4/4	हां	--

*श्री दीपांकर दत्ता को 28 मार्च, 2019 को श्री ए. के. शर्मा स्थान पर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

@श्री नवीन कुमार गुप्ता (Ed Finance) को 18 जनवरी, 2019 को निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इससे पहले निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार श्री संजय रस्तोगी (विकास आयुक्त-हथकरघा /अध्यक्ष) के पास निहित था।

#श्री राजेश कुमार साहू को निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। श्री श्रीनिवास सर्वपल्ली 8 जून, 2018 तक निगम के प्रबंध निदेशक थे।

निगम के बोर्ड की वर्ष 2018-19 के दौरान नियमित अंतराल पर 04 बार बैठकें (28 जून, 2018, 4 सितम्बर, 2018, 27 दिसम्बर, 2018 और 26 मार्च, 2019) को हुईं और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित समस्त सूचना बोर्ड के समक्ष रखी गई थी।

बोर्ड में निदेशकों का संक्षिप्त विवरण (31 मार्च, 2019 तक)

- श्री संजय रस्तोगी: (52 वर्ष) ओडिशा कैंडर के 1991 बैच के आईएएस है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और आईआईटी-दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में एम. टेक हैं। उन्होंने अन्य पदों के अतिरिक्त सीएमडी, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रधान सचिव – वाणिज्य और परिवहन, सीएमडी, ओडिशा दुग्ध संघ (ओएमएफईडी), सीवीओ – परियोजना उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जोनल संयुक्त महानिदेशक, डीजीएफटी और निर्यात आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय के रूप में सेवा प्रदान की है। इन्होंने दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 से वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में हथकरघा विकास आयुक्त और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। इन्हें दिनांक 19 जून, 2018 से 18 जनवरी, 2019 तक निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
- श्री दीपांकर दत्ता (55 वर्ष), जो कि उपसचिव, भारत सरकार हैं, निगम के बोर्ड में दिनांक 28 मार्च, 2019 से सरकारी निदेशक हैं। वे 1989 में केंद्रीय सचिवालय सेवा में शामिल हुए। वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। इनको नीति निर्माण के क्षेत्रों में, सार्वजनिक खरीद, प्रशासनिक एवं वित्त संबंधी मुद्दे (जो सरकार से संबंधित हैं) का अनुभव है। वस्त्र मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, डाक विभाग, एनएचआरसी, संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में कार्य किया। ये वर्तमान में आई एफ डब्लू विंग (वस्त्र मंत्रालय), में कार्यरत हैं।

Name & Category of the Director	No. of Board meeting with attendance	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2019
f. Shri Rajesh Kumar Sahu, Managing Director# (Additional Charge to ADC (Handlooms), Ministry of Textiles) DIN No. 07919011 (8 th June, 2018-afternoon to 18 th June, 2018)	N.A.	N.A.	N.A.
g. Shri Srinivas Sarvepalli, Managing Director# DIN No. 02292051 1 st May, 2013 to 8 th June, 2018	N.A.	N.A.	N.A.
Non Official Independent Director:			
h. Smt. Shikha Roy Pabbi Non-official Independent Director, DIN No. 07764529 (From 1 st February, 2017 onwards)	4/4	Yes	--

*Shri Dipankar Dutta was appointed as Government Director on 28th March, 2019 in place of Shri A.K.Sharma.

@ Shri Naveen Kumar Gupta (ED Finance) was given Additional Charge of MD of the Corporation on 18th January, 2019. Earlier the Additional Charge of MD of the Corporation was vested with Shri Sanjay Rastogi (DC- Handlooms/ Chairman).

Shri Rajesh Kumar Sahu was given additional charge of MD of the Corporation. Shri Srinivas Sarvepalli was the Managing Director of the Corporation till 8th June, 2018.

The Board of the corporation met 04 times during the year 2018-19 at regular intervals (28th June, 2018, 04th September, 2018, 27th December, 2018 and 26th March 2019) and all the information required in accordance with DPE guidelines were placed before the Board.

Brief resume of the directors on the Board (as on March, 31, 2019):

- (i) Shri Sanjay Rastogi: (52 Years) is an IAS of 1991 batch of Odisha cadre. He is B.Tech in Electrical Engineering and M Tech in Electronics & Communication, IIT – Delhi. He had served as CMD, Odisha State Road Transport Corporation, Principal Secretary – Commerce & Transport, CMD, Orissa Milk Federation (OMFED), CVO – Projects Equipments Corporation Limited (PEC), Ministry of Commerce & Industry, Zonal Jt. DG, DGFT & Export Commissioner, Ministry of Commerce amongst others. He had joined as Development Commissioner for Handlooms in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 04th Dec., 2017. He was entrusted the additional charge of Managing Director of the Corporation w.e.f. 19th June, 2018 till 18th January, 2019 (FN).
- (ii) Shri Dipankar Dutta (55 years), who is a Deputy Secretary to the Government of India, is the Government Director on the Board of NHDC Ltd. w.e.f. 28th March, 2019. He joined the Central Secretariat Service in 1989. He has a postgraduate degree in Economics. He has experience in the areas of policy making, public procurements, administration and financial issues concerning the Government. Before joining the Ministry of Textiles, he has worked in the UPSC, Department of Posts, NHRC, Ministry of Culture and the Ministry of Defence. He has presently been assigned with the charge of the Integrated Finance Wing of the Ministry of Textiles.

- iii) श्रीमती शिखा रॉय पब्बी: (54 वर्ष), एक विधि स्नातक हैं और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। इन्होंने वकालत करने से पूर्व एक विश्वविद्यालय के कॉलेज में अंग्रेजी की प्राचार्या के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये पिछले 28 वर्ष से अधिक समय से उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी प्रेक्टिस कर रही हैं। ये वर्ष 2000 से 2002 तक ऑल इंडिया फिल्म सर्टिफिकेट एपीलेट ट्रिब्यूनल (एफसीएटी) की विधिक सदस्य थीं। दो दशक से अधिक के अपने कानूनी कैरियर के दौरान इन्होंने मूल और अपीलीय न्यायाधिकार क्षेत्र पर विधि की अनेक शाखाओं से बड़ी संख्या में मामलों पर काम किया है।
- iii) श्री नवीन कुमार गुप्ता: (51 वर्ष), जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। इन्होंने निगम में अधिशासी निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और इनको दिनांक 18 जनवरी, 2019 से निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

(ग) लेखा परीक्षा समिति:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के मार्ग निर्देशों में यथा प्रस्तावित नैगमिक अभिशासन को लेखा समिति की 8 दिसम्बर, 2010 को आयोजित 23^{वीं} बैठक में लेखा समिति के विचारार्थ विषय में नोट किया गया इसके अलावा निगम के बोर्ड की 156^{वीं} बैठक में जो दिनांक 26 मार्च, 2019 को हुई थी जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और डीपीई दिशा निर्देश के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति के संदर्भों की आयोजित अपनी 156 बैठक में भाग लिया कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ के नियमों को संशोधित किया

लेखा परीक्षा समिति की रचना और संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

नाम/श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति में स्थिति	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्रीमती शिखा रॉय पब्बी* अशासकीय स्वतंत्र निदेशक (1 फरवरी, 2017 से)	अध्यक्ष *	5/5 *
श्री संजय रस्तोगी@ अध्यक्ष NHDC (4 दिसम्बर, 2017 से)	अध्यक्ष @	5/5 @
श्री दीपांकर दत्ता^ सरकारी निदेशक (28 मार्च, 2019 से)	सदस्य ^	0/0 ^
श्री ए के शर्मा ^ सरकारी निदेशक (18 दिसम्बर, 2017 से 28 मार्च, 2019)	सदस्य ^	4/5 ^
श्री नवीन कुमार गुप्ता # अधिशासी निदेशक (वित्त) प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (18 जनवरी 2019 से 30 अप्रैल 2019)	सदस्य #	1/1 #

* श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को 26 मार्च, 2019 को बोर्ड द्वारा ऑडिट कमेटी की अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 में समिति की सभी बैठकों में सदस्य के रूप में भाग लिया था।

@श्री संजय रस्तोगी 26 मार्च, 2019 तक समिति के अध्यक्ष थे और वित्त वर्ष 2018-19 में अध्यक्ष के रूप में समिति की सभी बैठकों में भाग लिया।

^ श्री दीपांकर दत्ता को निगम के निदेशक के रूप में दिनांक 28 मार्च, 2019 को श्री ए.के. शर्मा के स्थान पर नियुक्त किया गया।

श्री नवीन कुमार गुप्ता (अधिशासी निदेशक वित्त) को 18 जनवरी, 2019 को निगम के प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

लेखा परीक्षा समिति की बैठकें वर्ष 2018-19 के दौरान नियमित अंतराल पर 5 बार हुईं (28 जून 2018, 04 सितम्बर 2018, 25 सितम्बर 2018, 27 दिसम्बर 2018 और 26 मार्च 2019)

- (iii) Smt. Shikha Roy Pabbi : (54 years), is a law graduate and post graduate in English Literature. She joined as Lecturer in English at a University College prior to joining the Bar. She is practicing Law for the last 28 years before the High Court and Supreme Court of India. She was the Judicial Member of the All India Film Certificate Appellate Tribunal (FCAT) from the year 2000 to 2002. During her law career over two decades she has handled a large number of cases from various branches of law on the original and appellate jurisdiction
- (iii) Shri Naveen Kumar Gupta : (51 years), is a member of Institute of Cost Accountants of India. He joined NHDC as ED (Finance). On 18th January, 2019 (AN), he was entrusted with additional charge of Managing Director of the Corporation.

(c) AUDIT COMMITTEE :

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs were noted by the Audit Committee in its 23th meeting held on 08th Dec., 2010. Further the Board in its 156th meeting held on 26th March, 2019 revised the terms of reference of the Audit Committee in line with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines.

The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Smt. Shikha Roy Pabbi* Non official Independent Director (w.e.f. 01 st Feb., 2017)	Chairperson *	5/5 *
Shri Sanjay Rastogi@ Chairman - NHDC (w.e.f. 04 th Dec., 2017)	Chairman@	5/5@
Shri Dipankar Dutta^ Government Director w.e.f. 28 th March, 2019)	Member ^	0/0 ^
Shri A K Sharma^ Government Director (18 th Dec., 2017 – 28 th March, 2019)	Member ^	4/5 ^
Shri Naveen Kumar Gupta,# ED (F) – Addl. Charge of MD (w.e.f. 18 th Jan., 2019 – 30 th April, 2019)	Member #	1/1#

* Smt. Shikha Roy Pabbi was appointed as Chairperson of the Audit Committee by the Board on 26th March, 2019, however she attended all the meetings of the Committee in FY 2018-19 as a member.

@Shri Sanjay Rastogi was the Chairman of the Committee till 26th March, 2019 and attended all meetings of the Committee in FY 2018-19 as a Chairman.

^Shri Dipankar Dutta was appointed as a Director of the Corporation w.e.f. 28th March, 2019 in place of Shri A.K.Sharma.

Shri Naveen Kumar Gupta (ED-Finance) was entrusted with additional charge of MD of the Corporation on 18th January, 2019.

The Audit Committee met 5 times during the year 2018-19 at regular intervals (28th June, 2018, 04th September, 2018, 25th Sept., 2018, 27th December, 2018 and 26th March 2019)

(घ) पारिश्रमिक समिति:

कॉरपोरेट कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल.V, दिनांक 5 जून, 2015 के तहत सरकारी कम्पनियों के वरिष्ठ प्रबन्धन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के मामलों को छोड़कर पारिश्रमिक समिति सम्बन्धी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उपधाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है।

इसके उपरान्त निगम एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक उद्देश्यों के लिए काम करता है, उसका अंशदान इतना अल्प है कि उससे वह केवल ऊपरी खर्चों को ही पूरा कर पाता है। वह अपने कर्मियों को निष्पादन संबंधी भुगतान (पी आर पी) करने में सक्षम नहीं है। वित्त वर्ष 2018-19 में निगम को हानि हुई है। साथ ही कर्मियों की संख्या भी अल्प है (31 मार्च, 2019 को 191 कर्मी हैं)।

उपर्युक्त के मद्देनजर, अलग पारिश्रमिक समिति की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है और पारिश्रमिक से सम्बन्धित अन्य मामले, यदि होते हैं, तो निदेशक मण्डल को सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ङ) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षाओं और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक सीएसआर समिति का गठन किया है। सीएसआर समिति की संदर्भ शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों को इंगित करने वाली सीएसआर नीति का निरूपण; बोर्ड को सीएसआर नीति और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की राशि की सस्तुति करना और समय समय पर कम्पनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना शामिल है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की दो बैठकें 4 सितम्बर, 2018 और 26 मार्च, 2019 को आयोजित की गईं। सीएसआर समिति की संरचना, आयोजित बैठकों की तारीख और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

नाम/श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति में स्थिति	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्री संजय रस्तोगी अध्यक्ष (4 दिसम्बर, 2017 से)	अध्यक्ष	2/2
श्री ए के शर्मा * सरकारी निदेशक (18 दिसम्बर, 2017 से 28 मार्च, 2019)	सदस्य *	1/2 *
श्री दीपांकर दत्ता * सरकारी निदेशक (28 मार्च, 2019 से)	सदस्य *	0/0 *
श्रीमती शिखा रॉय पब्बी अशासकीय स्वतंत्र निदेशक (1 फरवरी, 2017 से)	सदस्य	2/2
श्री नवीन कुमार गुप्ता # अधिशासी निदेशक (वित्त) प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (18 जनवरी 2019 से)	सदस्य #	1/1 #

*श्री दीपांकर दत्ता को 28 मार्च, 2019 को श्री ए.के.शर्मा के स्थान पर निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

#श्री नवीन कुमार गुप्ता (अधिशासी निदेशक (वित्त) को 18 जनवरी, 2019 को निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

(d) REMUNERATION COMMITTEE:

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

The corporation is an organization with social objectives having very thin profit margin usually just sufficient to meet its overheads, hence it is unable to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Further for the financial year 2018-19, the Corporation has suffered losses. Also, the number of employees in the corporation is also small (i.e. 191 as on 31st March, 2019).

In view of above, no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

(e) Corporate Social Responsibility (CSR) Committee:

CSR Committee of the Board of Directors has been constituted in accordance with the requirements of Section 135 of Companies Act, 2013 and the DPE guidelines. The terms of reference of the CSR Committee, inter-alia, include formulation of CSR Policy indicating the activities to be undertaken by the Company covered under Schedule VII of the Companies Act, 2013; recommending to the Board, the CSR Policy & amount of expenditure on CSR activities; and to monitor the CSR Policy of the Company from time to time. During the financial year ended on March 31, 2019 two meetings of the CSR Committee were held on 4th September, 2018 and 26th March, 2019. The composition of CSR Committee and attendance of the Directors at the said meetings was as follows:

Name/ category	Position in CSR Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Sanjay Rastogi (Chairman w.e.f. 04 th Dec., 2017)	Chairman	2/2
Shri A K Sharma* Government Director (18 th Dec., 2017- 28 th March, 2019)	Member*	1/2*
Shri Dipankar Dutta* Government Director (w.e.f. 28 th March, 2019)	Member*	0/0*
Smt. Shikha Roy Pabbi Non official Independent Director (w.e.f. 01 st Feb., 2017)	Member	2/2
Shri Naveen Kumar Gupta # ED (F) – Addl. Charge of MD (w.e.f. 18 th Jan., 2019)	Member#	1/1#

*Shri Dipankar Dutta was appointed as Director of the Corporation on 28th March, 2019 in place of Shri A.K.Sharma.

#Shri Naveen Kumar Gupta (ED-Finance) was entrusted with additional charge of MD of the Corporation on 18th January, 2019.

(च) सामान्य निकाय की बैठक:

(i) पिछली 03 वार्षिक सामान्य सभाएं (एजीएम) निम्नानुसार आयोजित की गईं:

वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सामान्य सभाएं	वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सामान्य सभाओं की तारीख और समय	वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सामान्य सभाओं का स्थल
2017-18	25 सितम्बर, 2018 / 3 बजे अपरान्ह	पंजीकृत कार्यालय, ग्रेटर नोएडा
2016-17	26 सितम्बर, 2017 / 4 बजे अपरान्ह	नैगमिक कार्यालय, ग्रेटर नोएडा
2015-16	30 सितम्बर 2016 / 12 बजे दोपहर	पंजीकृत कार्यालय, लखनऊ

(छ) प्रकटीकरण

(रु. लाख में)

(i) कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कार्यकारी निदेशक का नाम	सकल वेतन	अनुलाभ	कुल योग
श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास (प्रबंध निदेशक)	7.86	1.03	8.89

(ii) वर्ष के दौरान, श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए रु. 75,000 का उपस्थिति शुल्क का भुगतान किया गया।

(iii) वर्ष के दौरान, कोई संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं हुआ।

(iv) वर्ष के दौरान, पुनः पुष्टि की जाती है कि किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।

(v) निगम में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसलब्लोअर नीति है, जिसे निगम के सभी कर्मचारियों को परिचालित किया गया है और यह निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति में आने से मना नहीं किया गया।

(vi) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को एक अनुरोध भेजा जा चुका है, निगम सीपीएसईज के लिए नैगामिक अभिशासन संबंधी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। जहां तक पारिश्रमिक समिति का संबंध है, इस बारे में ऊपर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

(vii) भारत सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय दिशानिर्देशों का समीक्षाधीन वर्ष और पिछले 3 वर्ष के दौरान भी निगम द्वारा अनुपालन किया गया है।

(viii) वर्ष के दौरान, लेखा पुस्तिकाओं में कोई भी व्यय खाते में नहीं डाला गया था जो कारोबार के उद्देश्य से नहीं है।

(ix) वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल और सर्वोच्च प्रबंधन के लिए ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो।

(x) प्रशासनिक और कार्यालय व्यय, जो गत वर्ष कुल व्यय का 25.03% था, इस वर्ष के दौरान कुल व्यय का 27.14% है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय व्यय नाममात्र के हैं, क्योंकि निगम एक ऋणमुक्त निगम है।

(ज) संचार के उपाय

निगम की सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है। निगम के वार्षिक लेखों सहित वार्षिक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाता है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी डाला गया है। वार्षिक लेखे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भी प्रस्तुत किए गए हैं।

(झ) लेखा परीक्षा योग्यताएं:

निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का निदेशक मंडल द्वारा विधिवत उत्तर दिया जाता है और इसे

(f) GENERAL BODY MEETING:

The last 03 Annual General Meetings (AGMs) were held as under:

AGM FOR THE FY	Date & time of AGM	Venue of the AGM
2017-18	25 th September, 2018/ 3.00 P.M.	Registered Office, Greater Noida
2016-17	26 th Sept., 2017/ 4.00 P.M.	Corporate Office, Greater Noida
2015-16	30 th Sept., 2016/ 12.00 Noon	Registered Office, Lucknow

(g) DISCLOSURES:

(i) Details of remuneration paid to the Functional Director are as under:

(Rs. in Lakh)

Name of Functional Director	Gross salary	Perquisites	Total
Shri Sarvepalli Srinivas (Managing Director)	7.86	1.03	8.89

- (ii) During the year, Smt. Shikha Roy Pabbi was paid sitting fees amounting to Rs. 75,000/- for attending Board and Committee meetings.
- (iii) During the year, there was no related party transaction .
- (iv) During the year, it is reaffirmed that no penalty has been imposed by any of the statutory body.
- (v) The corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board, which has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. Further, it is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee.
- (vi) The corporation is complying with all the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except the appointment of independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful. As regards, the Remuneration Committee, the same has been explained above.
- (vii) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the corporation during the year and also during the last 3 years
- (viii) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.
- (ix) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.
- (x) Administrative and Office Expenses during the year is 25.03% of the total expenses as against 27.14% last year. Further, the Financial Expenses are negligible, since corporation is a debt free corporation.

(h) MEANS OF COMMUNICATION:

The entire paid up share capital of the corporation is held by the Government of India. The Annual report including annual accounts of the corporation are sent to the Government of India and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

(i) AUDIT QUALIFICATIONS:

The Statutory Auditor of the Company is appointed by the Comptroller & Auditor General of India u/s 139 of the Companies Act, 2013. The Comments of the Secretarial Auditor and Statutory Auditor for FY 2018-19 have been duly replied by the Board of Directors and form annexure to the Board's Report. Further for the year ended 31st March, 2019 the Comptroller & Auditors General of India under

बोर्ड के प्रतिवेदन का अनुलग्नक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6) के अंतर्गत निगम की अनुपूरक लेखा परीक्षा करने का निर्णय लिया और प्रबंधन के जवाबों से संतुष्ट होते हुए खातों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की एवं निगम को 'निल' प्रमाण पत्र निर्गत किया।

(ज) निदेशक मंडल का प्रशिक्षण:

निदेशकों के बोर्ड में शामिल होने पर निगम द्वारा दस्तावेजों का एक सैट फोल्डर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें निगम की कार्यप्रणाली और निष्पादन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े, बोर्ड के सदस्यों के लिए कारोबारी आचार एवं नैतिक संहिता, नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश आदि शामिल होते हैं।

(ट) व्हिसल ब्लोअर नीति:

निगम की बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसे निगम के सभी कर्मचारियों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी है।

(ठ) आचार संहिता:

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार एवं कारोबारी नैतिक संहिता निर्धारित की है। संहिता की एक प्रति निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर प्रदर्शित की गई है। बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने स्वयं द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। जिसकी घोषणा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

(ड) अनुपालन प्रमाणपत्र:

यह प्रतिवेदन विधिवत रूप से सीपीएसईज के लिए नैगमिक अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और इसके अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुबंध – VII में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदें आती हैं। डीपीई द्वारा निर्धारित नैगमिक अभिशासन अपेक्षाओं के अनुपालन पर तिमाही/वार्षिक प्रतिवेदन को नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भी भेजा जाता है। सीपीएसईज के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कम्पनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/-
(संजय रस्तोगी)
अध्यक्ष

डीआईएन: 07722405

दिनांक: 10 जनवरी, 2020
स्थान: नई दिल्ली

section 143(6) of the Companies had decided to go for supplementary audit of the Corporation and after being satisfied by the replies of the management and the statutory auditors has issued a 'NIL Comments certificate' to the Corporation.

(j) TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS:

The corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

(k) WHISTLE BLOWER POLICY:

The Corporation has laid down a Whistle Blower Policy duly approved by the Board. The policy has been circulated to all the employees of the Corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the Corporation.

(l) CODE OF CONDUCT:

The Corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the Corporation. A copy of the Code is displayed on the website www.nhdc.org.in of the Corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the Code. A declaration to this effect is annexed to this report.

(m) COMPLIANCE CERTIFICATE:

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly and timely. The certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Sanjay Rastogi)

Chairman

DIN: 07722405

Dated: 10th January, 2020

Place: New Delhi

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा

मैं, संजीव दुआ, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निगम की कारोबारी आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

दिनांक: 13 जून, 2019
स्थान: ग्रेटर नोएडा

ह/-
(संजीव दुआ)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08447827

**Declaration by the MD regarding Compliance with the
Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during
the Financial Year 2018-19.**

I, Sanjeev Dua, Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited, do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the Corporation have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2018-19.

Date: 13th June, 2019
Place: Greater Noida

Sd/-
(Sanjeev Dua)
Managing Director
DIN: 08447827

नैगमिक अभिशासन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: चतुर्थ तल, वैगमैन्स बिजनेस पार्क,
टॉवर- I, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क- III
सूरजपुर-कासना मेन रोड़, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201306

हमने 31, मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 2010 के लिए नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (इसके पश्चात् "निगम" के रूप में उल्लिखित) के नैगमिक अभिशासन सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरण पर विचारों का स्पष्टीकरण है।

हमारे मत में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतन्त्र निदेशकों को नियुक्त न किए जाने तथा जोखिम प्रबन्धन योजना के कारण बोर्ड के गठन, लेखा परीक्षा समिति एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति से सम्बन्धी प्रावधान को छोड़कर निगम ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो निगम की भावी व्यावहार्यता और न ही निगम की प्रभाविकता अथवा प्रभावशीलता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का आश्वासन है जिसके साथ प्रबन्धन ने निगम के कार्यों का संचालन किया है।

कृते नवनीत अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कम्पनी सचिव

ह/-

सीएस नवनीत अरोड़ा

प्रबंध भागीदार

एफसीएस: 3214, सीओपी: 3005

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26 अगस्त, 2019

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance of **National Handloom Development Corporation Limited** (hereinafter referred as “Corporation”) for the year ended **31st March, 2019** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned there under (hereinafter referred as “Guidelines”).

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines except the provisions regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee due to non-appointment of adequate number of Independent Directors by the concerned Ministry & risk management policy.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
FCS: 3214, COP: 3005
Place: New Delhi
Date: 26th August, 2019

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

1. हथकरघा परिदृश्य:

हथकरघा क्षेत्र, कृषि के बाद सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधि है और ये ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का अभिन्न अंग है जो 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है।

7 अगस्त 2019 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी चौथी हैंडलूम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 31 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो हथकरघा बुनाई की कला में भाग लेते हैं। हथकरघा क्षेत्र के समग्र और सतत विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए, भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है:

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए निरूपित किया गया है। इस योजना में हथकरघों के एकीकृत और समग्र विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित रुख अपनाएगी। यह योजना बुनकरों को, अर्बन हाट, मार्केटिंग परिसरों, हैंडलूम उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल के विकास आदि के रूप में प्रदर्शनियों के माध्यम से, स्थायी अवसंरचना के सृजन के जरिए कच्चे माल, डिजाइन संबंधी इनपुट, प्रौद्योगिकी संबंधी स्तर उन्नयन, विपणन सहायता आदि के लिए सहकारी ताने बाने के भीतर और बाहर, दोनों में बुनकरों की सहायता करेगी जिसमें स्वयं-सहायता समूह, एनजीओ आदि भी शामिल हैं।

एनएचडीपी के घटक

- क ब्लॉक स्तर क्लस्टर परियोजनाएं
- ख हथकरघा विपणन सहायता
- ग रियायती क्रेडिट
- घ हथकरघा गणना
- ङ हैंडलूम पार्क
- च राष्ट्रीय वस्त्र आरेखन केंद्र
- छ अनुसंधान परियोजनाएं
- ज जम्मू एवं कश्मीर ऊन विकास परियोजना
- झ विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए विशेष परियोजनाएं
- ञ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस)
- ट मुख्यालय में क्लस्टर विभाग
- ठ नवप्रयोगी विचार
- ड प्रकाशन, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities after agriculture and constitutes an integral part of the rural and semi-rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 35 lakh weavers and allied workers.

On August 07, 2019, 4th Handloom Census report released by the Ministry of Textiles, involving 31 States and Union Territories which participate the art of Handloom weaving. For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes:-

A. National Handloom Development Programme (NHDP)

National Handloom Development Programme (NHDP) has been formulated for its implementation during 2017-18 to 2019-20. The scheme will follow need based approach for integrated and holistic development of handlooms and welfare of handloom weavers. The scheme will support weavers, both within and outside the cooperative fold including Self Help Groups, NGOs etc. towards raw material, design inputs, technology up-gradation, marketing support through exhibitions, create permanent infrastructure in the form of Urban Haats, marketing complexes, development of web portal for e-marketing of handloom products etc.

Components of NHDP –

- a. Block Level Cluster Projects
- b. Handloom Marketing Assistance
- c. Concessional Credit
- d. Handloom Census
- e. Handloom Park
- f. National Centre for Textile Design
- g. R&D Projects
- h. J&K Wool Development Project
- i. Special Projects for Special Category States
- j. National Institutes of Open Schooling (NIOS)
- k. Cluster Cell at Hq.
- l. Innovative Ideas
- m. Publicity, Advertisement, Monitoring, Training & Evaluation of Scheme

ख. मैगा हैंडलूम क्लस्टरों के लिए व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीसी)

इसका उद्देश्य ऐसे मैगा हैंडलूम क्लस्टर विकसित करना है जो, अवसंरचना संबंधी सुविधाओं, प्री-लूम/ऑन-लूम/पोस्ट-लूम प्रचालनों में, वीविंग शैडों में प्रौद्योगिकीय स्तर उन्नयन, कौशल स्तर उन्नयन, डिजाइन इनपुट, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के साथ स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य भौगोलिकीय स्थानों पर अवस्थित हों। जो विशिष्ट उत्पादों में विशेषज्ञता प्राप्त हों और जिनकी प्रमुख प्रतिस्पर्धियां के साथ नजदीकी सम्पर्क और उनके बीच आंतरिक निर्भरताएं हों।

ग. बुनकरों के लिए 'मुद्रा' योजना

हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती क्रेडिट घटक अब व्यक्तिगत बुनकरों के लिए केवल मुद्रा योजना के माध्यम से उपलब्ध है और बुनकर उद्यमियों की क्रेडिट सीमा कार्यशील पूंजी के साथ साथ बुनकरी/संबद्ध गतिविधि किए जाने के लिए अपेक्षित उपकरणों और उपस्करों की लागत के रूप में पूंजीगत लागत के आंकलन पर आधारित है सामान्य तौर पर कॉटन उत्पादों के लिए प्रति करघा ऋण रु. 50,000 और रेशम उत्पादों के लिए लगभग रु. 1,00,00 है।

घ. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से भारत सरकार द्वारा सूत आपूर्ति योजना के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जा चुका है जिसका कार्यान्वयन मार्च 2020 तक है।

यह योजना हथकरघा एजेंसियों के लिए मिल गेट प्राइस पर उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा भंडार-गृहों को प्रचालित किए जाने वाले व्ययों और परिवहन व्ययों की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त, पावरलूम और मिल सेक्टर के साथ प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से, हथकरघा बुनकरों को सब्सिडी युक्त यार्न उपलब्ध कराने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर गुणवत्ता संबंधी प्रतिबंधों के साथ कॉटन हैंक यार्न, घरेलू सिल्क यार्न, वूलन यार्न और लिनन यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

ड. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना हथकरघा बुनकरों / कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए है। जिसके दो घटक हैं:-

- i) पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और परिवर्तित एमजीबीबीवाई के तहत जीवन, दुर्घटना और अक्षमता बीमा कवरेज।
- ii) आरएसबीवाई पद्धति पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज।

च. पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र प्रोत्साहन योजना (एनईआरटीपीएस)

योजना का उद्देश्य रोजगार और हथकरघा उत्पादों के मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षित सरकारी सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र का विकास करना है। योजना के 3 अवयव हैं:

- i) पूर्वोत्तर में क्लस्टर विकास परियोजना
- ii) पूर्वोत्तर में हथकरघों का प्रौद्योगिकीय स्तर उन्नयन
- iii) पूर्वोत्तर में वस्त्र और हथकरघा उत्पादों का बाजार संवर्धन

छ. हथकरघा संवर्धन सहायता योजना

भारत सरकार ने हथकरघा संवर्धन सहायता योजना को प्रारंभ किया जिससे हथकरघा बुनकरों को बड़े पैमाने पर करघे और सहायक उपकरणों की जरूरतों को पूरा करें इसका उद्देश्य कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

B. Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS) for development of Mega Handloom Clusters

The objective is to develop Mega Handloom Clusters that are located in clearly identifiable geographical locations that specialize in specific products, with close linkages and inter dependents amongst the key players in the cluster by improving the infrastructure facilities, with better storage facilities, technology upgradation in pre-loom/on-loom/post-loom operations, weaving shed, skill up-gradation, design inputs, health facilities etc

C. Weavers MUDRA Scheme

Concessional credit component for Handloom sector is now available only through MUDRA Yojna for individual weavers and weavers entrepreneurs Credit limit is fixed based on assessment of working capital as well as cost of tools and equipments required for carrying out weaving/ allied activity. Minimum loan for per loom for cotton products is Rs 50,000 and around Rs 1,00,000 for silk products.

D. Yarn Supply Scheme(YSS)

Government of India has revised the guidelines of the Yarn Supply Scheme w.e.f. from 18th April 2018, for its implementation upto March 2020.

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with power loom and mill sector, 10% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn, woolen yarn and linen yarn is available with quantity restrictions on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT).

E. Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme

Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme is to enable the Handloom weavers/ workers to avail social security benefits having two components –

- i) Life, accidental and disability insurance coverage under the PMJJBY, PMSBY and converged MGBBY.
- ii) Health insurance coverage on the RSBY pattern

F. North Eastern Region Textile Promotion Scheme (NERTPS)

The objective of the scheme is to develop handloom sector in NER by providing the required government support to achieve increase in employment and value of handloom products. The scheme has 3 components –

- i) Cluster Development Project in NER.
- ii) Technological Up gradation of Handlooms in NER.
- iii) Market Promotion of Textiles and Handloom Products in NER.

G. Hathkargha Samvardhan Sahayata

To meet the needs of handloom weavers for assistance on larger scale for looms and accessories Government of India run the scheme “Hathkargha Samvardhan Sahayata”. It aims to provide financial assistance for technological up-gradation to improve quality of the fabric and productivity.

इस योजना के अर्न्तगत तकनीकी उन्नयन के लिए 90% तक की वित्तीय सहयता भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी बाकि 10% की धनराशि लाभार्थी के द्वारा वहन किया जायेगा ।

2. सामर्थ्य और दुर्बलताएं

निगम के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों और 26 शाखा कार्यालयों के जरिए 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। हथकरघा क्षेत्र में किसी अन्य निकाय की देश में इस प्रकार की व्यापक उपस्थित नहीं है। निगम की उपस्थिति बाजार में हस्तक्षेप करने के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि सूत की दर को उचित स्तर के भीतर रखने के लिए निजी व्यापारियों के एकाधिकार को प्रतिबन्धित किया जा सके। निगम उस असंगठित क्षेत्र, जिसमें गरीब कारीगर/हथकरघा बुनकर उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति की पारम्परिक मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करके सामाजिक दायित्व निभाने का नेक कार्य करता है।

अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस रिक्तता, जोकि विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से हो सकती है, को भरने के लिए निगम ने न केवल मध्य स्तर के कार्यपालकों को उच्चतर दायित्व निभाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने/कार्य में तेजी लाने की योजना बनायी है, अपितु प्रारम्भिक स्तर, और साथ ही वरिष्ठ स्तरों पर नयी भर्तियाँ कर रहा है जोकि भर्ती की आवश्यकता होने पर निर्भर करता है। वर्ष 2010-11 से पहले, पिछले 10 वर्षों के दौरान नए कर्मचारियों की भर्ती नगण्य है। यह आशा की जाती है कि निगम नई भर्ती से संगठनात्मक अनुभव रखने वाले पुराने कर्मचारी और बाहरी अनुभव रखने वाले नए कर्मचारियों के बेहतर मिश्रण से नए उत्साह को आत्मसात करेगा। इसके अलावा, निगम को राज्य के शीर्ष निकायों से अनिश्चित माँग और भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

3. अवसर और चुनौतियां:

हथकरघा क्षेत्र में अप्रयुक्त हैंक यार्न का उपयोग करके, इस व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इस सम्बन्ध में, नई एजेंसियों तक पहुँच बनाकर कवरेज बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सूत (यार्न) बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों, जो पहले ही सुस्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर क्रेडिट और अन्य सुविधाओं की पेशकश कर रहे हैं, के साथ प्रतियोगिता है। उनसे मुकाबला करने के लिए, निगम हथकरघा बुनकरों को प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर धागा उपलब्ध कराने के लिए थोक मात्रा में छूट के लिए केन्द्रीय रूप से सूत प्राप्त कर रहा है और सूत की दरों पर बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकरों, एजेंसियों की पहुँच के लिए दरों को मासिक आधार पर निगम की वेबसाइट पर भी दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

4. दृष्टिकोण:

निगम को विश्वास है कि वह अपने विकास मंच पर वर्ष-दर-वर्ष नई ऊँचाइयों को प्राप्त करना जारी रखेगा। निगम अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए अपनी शक्तियों और दुर्बलताओं का पुनःआकलन करता रहेगा और तदनुसार अपने व्यवसाय की योजना तैयार करता रहेगा जिससे निगम नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम बनेगा।

5. खंड-वार और उत्पाद-वार प्रदर्शन:

हथकरघा क्षेत्र में आपूर्ति किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल होने के नाते, यार्न निगम के टर्नओवर में उच्चतम योगदान करता रहा है। इसका योगदान वर्ष 2017-18 के दौरान 98.63 प्रतिशत से आंशिक रूप से घटकर 2018-19 के दौरान 95.22 प्रतिशत हुआ है। रंगों और रसायनों की प्रतिशत हिस्सेदारी, जो वर्ष 2017-18 के दौरान 1.54 प्रतिशत थी, वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 4.78 प्रतिशत हुई है।

Under HSS, financial assistance to the extent of 90% of cost of technological upgradation item shall be borne by the Govt. of India while remaining 10% shall be borne by the beneficiary.

2. STRENGTH AND WEAKNESSES:

Corporation has a national network having presence in 29 States/Union Territories through 9 Regional offices and 26 Branch Offices. No other body in the handloom sector has such a wide presence in the country. The presence of the Corporation serves as an effective tool to intervene the market so as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level. Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganized sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, Corporation has planned not only to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities but also making fresh recruitment at the induction level as well as senior levels depending upon the requirements. During the last 10 years prior to the year 2010-11, the recruitment of fresh employees is negligible. It is hoped that the fresh recruitment will imbibe new blood in the Corporation with a better mix of existing employees having organizational experience and new employees with outside experience. Besides Corporation is facing uncertain demand and delayed payments from state apex bodies.

3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

There is a large scope to expand the business by reaching the untapped handloom sector consuming the hank yarn production. In this regard the efforts are being made to increase the coverage by accessing new agencies.

The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the corporation is obtaining and negotiating the yarn rates for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on the corporation's website as well on monthly basis for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

4. OUTLOOK:

The Corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the Corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly, which shall enable the Corporation to identify its new growth area.

5. SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the corporation. Its contribution has decreased from 98.63% of the total turnover of the corporation during the year 2017-18 to 95.22% during the year 2018-19. The percentage share of the dyes and chemicals has increased from 1.54% during the year 2017-18 to 4.78% during the year 2018-19.

निगम के प्रचालनों का खंड वार उत्पाद विश्लेषण निम्नवत है:

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	खंड/उत्पाद	2018-19		2017-18	
		टर्नओवर	प्रतिशत	टर्नओवर	प्रतिशत
1.	सूत	905.50	95.22%	2688.77	98.63%
2.	रंग और रसायन	45.44	4.78%	37.38	1.37%
3.	कपडा	-	-	-	-
	कुल	950.94	100.00%	2726.15	100.00%

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इनकी पर्याप्तता:

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी एक प्रणाली विकसित की है। आन्तरिक नियन्त्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आवश्यकतानुसार आन्तरिक लेखा परीक्षकों को नए जाँच बिन्दु भी सुझाए जाते हैं। निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षा निगम के आन्तरिक लेखा परीक्षक दल और साथ ही बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार, प्रधान कार्यालय और निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग और बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा की जाती है। आन्तरिक नियन्त्रण और लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और निरन्तर सुधार के लिए जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

7. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:

निगम का कुल कारोबार वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 950.54 करोड़ की बिक्रियों की तुलना में वर्ष 2017-18 में रु. 2726.15 करोड़ है। निगम के लाभ में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 36.97 करोड़ की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए घटकर कर-पूर्व हानि रु. 13.91 करोड़ है और निवल करोपरान्त लाभ वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 23.57 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में हानि रु. 16.22 करोड़ है। निगम का निवल मूल्य 31 मार्च, 2018 को रु. 116.02 करोड़ की तुलना में घटकर 31 मार्च, 2019 को रु. 99.73 करोड़ हो चुका है।

निगम की पूंजी संरचना अपरिवर्तित रही है। और वित्तीय वर्ष 2018-19 में निगम की प्रदत्त पूंजी रु. 19 करोड़ है जो रु. 100 प्रत्येक के रु. 19 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित है। निगम ने हानि के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किसी भी राशि को रिजर्व में स्थानांतरित नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा निदेशक मंडल द्वारा किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

8. सेवा नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन में विकास:

निगम में कर्मचारी दक्षता पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। निगम के कर्मचारियों के कौशल के स्तर उन्नयन के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और आईटी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 191 (गत वर्ष 202 थी) जिनमें अनुसूचित (एससी) श्रेणी के 19 (9.95%), अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के 07 (3.66%), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के 30 (15.71%) और शारीरिक रूप से अक्षम (पीएच) श्रेणी के 05 (2.62%) कर्मचारी शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

The segment wise analysis of the operations of the corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

S. No.	Segment/ product	2018-19		2017-18	
		Turnover	Percentage	Turnover	Percentage
1.	Yarn	905.50	95.22%	2688.77	98.63%
2.	Dyes & chemicals	45.44	4.78%	37.38	1.37%
3.	Fabric	-	-	-	-
	Total	950.94	100.00%	2726.15	100.00%

6. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to match the growing size of the corporation. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. The Internal Audit of the corporation is conducted by the Internal Audit team of the corporation as well as outside independent Chartered Accountants. As per the decision of the Audit Committee, the head office and regional offices of the corporation are audited by the Internal Audit wing and outside Chartered Accountants alternatively every year. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

7. DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:

The turnover of the corporation during the FY 2018-19 is Rs 950.94 crore as compared to Rs 2726.15 crore during FY 2017-18. The profit before tax has decreased from Rs. 36.97 crore in the FY 2017-18 to loss of Rs.13.91 crore in the FY 2018-19 and net profit after tax from Rs. 23.57 crore in the FY 2017-18 to loss of Rs. 16.22 crore in the FY 2018-19. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 116.02 crore as on 31st March, 2018 to Rs. 99.73 crore as on 31st March, 2019.

The capital structure of the corporation remained unchanged with the paid up capital of Rs.19 crore divided into 19 Lakh equity share of Rs. 100/- each in the FY 2018-19. Due to losses in FY 2018-19, the Board of Directors of your company, have decided not to transfer any amount to the Reserves for the year under review. Further, no dividend has been recommended by the Board of Directors.

8. DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:

Employees' efficiency has been the key focus of the corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the corporation.

Total number of employees of the Corporation as on 31st March 2019 now stands at 191 (Previous year 202) which include 19 (9.95%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 07 (3.66%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 30 (15.71%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 05 (2.62%) employees belonging to Physically Handicapped (PH) category.

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

9. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निगम ने अपनी सीएसआर नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति, नामतः 'एनएचडीसी सीएसआर और धारणीयता नीति 2014' को दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सीएसआर समिति की संरचना और वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई सीएसआर गतिविधियों का ब्योरा नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रतिवेदन सीएसआर के वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध कराया गया है, जो इस वार्षिक प्रतिवेदन के भाग को बनाते हैं।

10. सजग विवरण:

प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तव्य, जोकि निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और उम्मीदों का उल्लेख करता है, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'दूरन्देशी वक्तव्य' हो सकता है। तथापि, वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त अथवा निहित अर्थों से मूल रूप में या काफी हद तक भिन्न हो सकता है। वे महत्वपूर्ण घटनाएँ जोकि निगम के संचालनों को प्रभावित कर सकती हैं, में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में वे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनमें देश में हथकरघा कार्यकलाप और मुकदमे शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/-
(संजीव रस्तोगी)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07722405

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th November, 2014.

The Composition of the CSR Committee and the CSR activities done in FY 2018-19 are provided in the Report of Corporate Governance and Annual Report of CSR, as annexures to the Board's Report, which forms part of this Annual report

10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the Corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the Corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

For and on Behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Rastogi)
Chairman
DIN: 07722405

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर								
1	<p>निगम अपने 9 क्षेत्रिय कार्यालयों के द्वारा, हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की आपूर्ति (क्रय-विक्रय) सुनिश्चित करता है जिसमें समय-समय पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा घोषित योजना के अनुसार मिलने वाली 10% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें भाड़ा सब्सिडी एवं डिपो शुल्क सम्मिलित) है ।</p> <p>वर्ष के अंकेक्षण के दौरान निगम के शाखा कार्यालय लखनऊ, जो क्षेत्रिय कार्यालय वाराणसी के अधीन है, ने वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के प्रारंभ में कुल रु. 385.04 करोड़ का क्रय-विक्रय बुक किया (क्रमशः नोट संख्या 17 (I) एवं 19 (III) का संदर्भ लें)</p> <p>इसमें से रु. 192.82 करोड़ की खरीद एवं बिक्री बुकिंग के मात्र दो सप्ताह के भीतर ईआरपी लेखा प्रणाली से लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया एवं रद्द करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया । इस मामले को जांच हेतु सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी भेज दिया गया है।</p> <p>योजना के अनुसार रु. 194.22 करोड़ की राशि के क्रय/विक्रय के लिए जिसकी सेवा शुल्क की धनराशि रु. 2.43 करोड़ (रु. 194.22 करोड़ का 1.25%) है, का निगम के द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है, यदि इस रु. 2.43 करोड़ के सेवा शुल्क का दावा कर लिया जाता, तो निगम को रु. 2.43 करोड़ से कम की हानि होती । इसके अतिरिक्त निगम ने सूत आपूर्ति योजना की दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोगी संस्थाओं को विक्रय मूल्य पर मिलने वाली इंसेंटिव को भी बुक नहीं किया है ।</p> <p>रु. 194.22 करोड़ जो कुल देनदारी (संदर्भ नोट सं. 13 (iv)) एवं लेनदारी (संदर्भ नोट सं. 5 (ii)) में दिखाया जा रहा है क्योंकि यह मामला सीबीआई एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग में जांच हेतु विचाराधीन है अतः हम देनदारों से प्राप्त होने वाली धनराशि और लेनदारों को देय धनराशि पर टिप्पणी नहीं कर सकते है ।</p>	<p>2018-19 की प्रथम तिमाही में रु. 190.82 करोड़ लगभग का क्रय विक्रय रद्द किया गया, जो कि जांच एजेंसियों को संदर्भित किया गया है ।</p> <p>सूत आपूर्ति योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, उपभोगीकर्ताओं एवं लाभार्थियों को दावों को प्रभावी करने के लिए निर्धारित प्रारूप में दावे के दस्तावेज निगम को प्रस्तुत करने होंगे ।</p> <p>आज तक निगम को उपभोगी संस्थाओं / लाभार्थियों से कोई दस्तावेज नहीं प्राप्त हुए है। दावा दस्तावेजों के अभाव में, निगम ने भारत सरकार को प्रतिपूर्ति का दावा, सेवा शुल्क सहित प्रस्तुत नहीं किया है । चूंकि यह मामला जांच एजेंसियों को संदर्भित है, अतः क्रय विक्रय को बराबर खातों में दिखाया गया है।</p>								
2	<p>01.03.2018 से 31.03.2018 तक की बिक्री निगम के क्षेत्रिय कार्यालय-लखनऊ ने माह मार्च 2018 के दौरान निम्नानुसार, रु. 215.79 करोड़ की बिक्री बुक की;</p> <table border="1"> <tr> <td>01.03.2018 से 31.03.2018 तक की बिक्री</td> <td>रु. 215.79 करोड़</td> </tr> <tr> <td>10% सब्सिडी की कुल राशि</td> <td>रु. 21.58 करोड़</td> </tr> <tr> <td>योजना के अनुसार सेवा शुल्क</td> <td>रु. 1.08 करोड़</td> </tr> <tr> <td>कुल दावे</td> <td>रु. 22.66 करोड़</td> </tr> </table>	01.03.2018 से 31.03.2018 तक की बिक्री	रु. 215.79 करोड़	10% सब्सिडी की कुल राशि	रु. 21.58 करोड़	योजना के अनुसार सेवा शुल्क	रु. 1.08 करोड़	कुल दावे	रु. 22.66 करोड़	<p>एनएचडीसी, सूत आपूर्ति योजना (वाईएसएस) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। सूत आपूर्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार, निगम विभिन्न उपभोगी संस्थाओं की ओर से दिए गए मांगपत्र, आपूर्तिकर्ताओं को आदेश देता है। इस संदर्भ में उपभोगी संस्थाएं, लेन-देन के मूल्य का 90% भुगतान करती हैं और शेष 10% का भुगतान एनएचडीसी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में किया जाता है और एनएचडीसी आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% लेनदेन मूल्य का भुगतान लगातार करता है।</p>
01.03.2018 से 31.03.2018 तक की बिक्री	रु. 215.79 करोड़									
10% सब्सिडी की कुल राशि	रु. 21.58 करोड़									
योजना के अनुसार सेवा शुल्क	रु. 1.08 करोड़									
कुल दावे	रु. 22.66 करोड़									

**REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY
AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2018-19**

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors								
1	<p>NHDC having “9” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India , Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time.</p> <p>During the year under Audit the Company’s Lucknow branch Office, which is under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the year amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of 2018-19 (Refer Note No. 17(1) & 19 (III) respectively.</p> <p>Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system within just two weeks of booking. Reasons for cancellation are not explained to us. Also, the matter has been referred to investigation agency CBI and Central Vigilance Commission.</p> <p>For Remaining Sales/Purchase amounting to Rs.194.22 Crore, the organization has not claimed any service charges amounting to Rs. 2.43 Crores (1.25% on Rs. 194.22 Crores) as per the scheme. Had this service charges of Rs. 2.43 Crores been claimed, the Loss would have been lesser by Rs. 2.43 Crores. Further organization has also not booked any incentives on the above sales, which is to be distributed to user agencies as per the YSS guidelines.</p> <p>This Rs. 194.22 Crores is being shown in total debtors (Refer Note No. 13(iv)) as well as Creditors ((Refer Note No. 5 (ii)). We cannot comment about the amount receivable from the debtors or payable to the creditor because the matter is under investigation with CBI and Central Vigilance Commission.</p>	<p>During the 1st Quarter of 2018-19 the sales and purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled and the above matter has been referred to investigating agencies.</p> <p>As per guidelines of YSS scheme, user agencies/beneficiaries had to submit claim documents to the corporation in the prescribed format to effectuate their claims.</p> <p>Till date the corporation has not received any documents from user agencies/beneficiaries. In the absence of the claim documents, corporation has not submitted the reimbursements claim, including service charges to Govt. of India. Also as the matter has been referred to the investigated agencies, the sale/purchase is shown in the books of accounts at par.</p>								
2	<p>Sales From 01-03-2018 to 31-03-2018</p> <p>The Company’s Regional Office Lucknow has also booked Sales to the tune of Rs. 215.79 Crores during the month of March 2018, as detailed below:--</p> <table border="1" data-bbox="310 1682 867 1871"> <tbody> <tr> <td>Sales From 01-03-2018 to 31-03-2018</td> <td>Rs. 215.79 Cr.</td> </tr> <tr> <td>Total amount of 10% subsidy</td> <td>Rs. 21.58 Cr.</td> </tr> <tr> <td>Service charge as per scheme</td> <td>Rs. 1.08 Cr.</td> </tr> <tr> <td>Total Claims</td> <td>Rs. 22.66 Cr.</td> </tr> </tbody> </table>	Sales From 01-03-2018 to 31-03-2018	Rs. 215.79 Cr.	Total amount of 10% subsidy	Rs. 21.58 Cr.	Service charge as per scheme	Rs. 1.08 Cr.	Total Claims	Rs. 22.66 Cr.	<p>NHDC is the nodal agency for implementing Yarn Supply Scheme (YSS). As per the provisions of the YSS scheme, NHDC places the orders to the suppliers on behalf of the indents given by the various user agencies. The user agencies pay 90% of transaction value and rest of 10% is paid by Government of India in form of the subsidy through NHDC and NHDC releases 100% of transaction value to the Supplier Mills. In this instant, as a running</p>
Sales From 01-03-2018 to 31-03-2018	Rs. 215.79 Cr.									
Total amount of 10% subsidy	Rs. 21.58 Cr.									
Service charge as per scheme	Rs. 1.08 Cr.									
Total Claims	Rs. 22.66 Cr.									

	<p>वर्ष 2018-19 में उपरोक्त के अनुसार रु. 22.66 करोड़ की राशि खातों में वापस करी, यदि रु. 1.08 करोड़ का सेवा शुल्क खातों में वापस नहीं किया गया होता तो निगम को रु. 1.08 करोड़ से कम की हानि होती । इसके अतिरिक्त एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को रु. 18.15 करोड़ की सब्सिडी दे दी है भले ही भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।</p>	<p>निगम ने आपूर्तिकर्ताओं को रु. 18.15 करोड़ का भुगतान किया लेकिन इसकी भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई। निगम ने उपभोगी संस्थाओं के हिस्से का केवल 90% भुगतान प्राप्त किया, और आपूर्तिकर्ताओं को 100% का भुगतान किया, रु. 21.58 करोड़ 10% की धनराशि (जोकि मार्च, 2018 के विक्रय मूल्य रु. 215.79 का 10% है) का समायोजन खातों में आपूर्तिकर्ताओं को डेबिट इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया, कि भारत सरकार द्वारा निगम को उपरोक्त सेवा शुल्क धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई । उपरोक्त इस दृष्टिकोण से किया गया कि भारत सरकार द्वारा मार्च, 2018 से सब्सिडी राशि नहीं दी गई है ।</p>
<p>3</p>	<p>जैसा कि टिप्पणी "4क" में उल्लेख किया गया है, रु.18,74,45,684 की राशि समग्र निधि के क्रेडिट (विपणन परिसर) में स्थायी है और परिणामस्वरूप इसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमाओं में निविष्ट किया गया है समग्र निधि (विपणन परिसर) की सावधि जमाओं पर 31 मार्च, 2017 तक अर्जित ब्याज को संबंधित समग्र निधि में क्रेडिट किया गया किंतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से सावधि जमा राशियों पर ब्याज को, समग्र निधि (विपणन परिसर) में क्रेडिट किए जाने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में ली गई है। तदनुसार यही प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी की गई, और ब्याज की राशि रु. 1.20 करोड़ को अन्य आय में जमा की गई, यदि इस ब्याज की धनराशि रु. 1.20 करोड़ को लाभ हानि खाते में क्रेडिट नहीं की जाती तो निगम की हानि रु. 1.20 करोड़ से बढ़ जाती ।</p>	<p>भारत सरकार की समग्र निधि (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में रु. 3.44 करोड़ का मूलधन बकाया है। जिसमें रु. 15.23 करोड़ का ब्याज समग्र निधि खाते में क्रेडिट किया गया था, समग्र निधि में जमा किए गए रु. 15.23 करोड़ के ब्याज की पुनःगणना का कार्य प्रगति पर है, तदनुसार लेखा पुस्तकों में समायोजन कर दिया जायेगा।</p>
<p>4</p>	<p>31.03.2019 के टिप्पणी संख्या सं. 4 (बी), के अनुसार, रु. 9.50,00,000/- समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा है वित्तीय वर्ष 2017-18 से सावधि जमा के ब्याज को समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) में क्रेडिट करने के बजाए निगम की ब्याज की आय में जमा की गई । तदानुसार 2018-19 में भी यही प्रक्रिया की गई और ब्याज की राशि रु. 0.61 करोड़ को अन्य आय में जमा की गई, यदि इस ब्याज की धनराशि रु. 0.61 करोड़ को लाभ हानि खाते में क्रेडिट नहीं की जाती तो निगम की हानि रु. 0.61 करोड़ से बढ़ जाती ।</p>	<p>मेगा क्लस्टर समग्र निधि से मेगा क्लस्टर क्षेत्रों में कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है तदनुसार निधि को रोटेट किया जाता है । और 31 मार्च, 2019 को बची हुई राशि निगम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के चालू खातों में है।</p>

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/-

(संजीव रस्तोगी)

अध्यक्ष

डीआईएन: 07722405

	<p>The above amount of Rs. 22.66 Crores has been reversed in financial year 2018-19. Had this service charges of Rs. 1.08 Crores not been reversed, the loss would have been lesser by Rs. 1.08 Crores. Further NHDC has released/dispensed Rs. 18.15 Crore as subsidy to the Suppliers, even though the same is not received from Government of India.</p>	<p>transaction, NHDC had released Rs.18.15 Cr. to the Supplier Mills but the same was not reimbursed by Government of India. For this case, NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills, amount of 10% subsidy of Rs.21.58 crore (i.e.10% of Rs.215.79 crore for the sales of March,2018) adjusted in their book of accounts by debiting the suppliers considering the fact the Government of India didn't reimburse the aforesaid amount of subsidy to the NHDC. The above was done with the view that the subsidy amount has not been released by the Govt. of India from March, 2018.</p>
3	<p>As stated in Note No. "4A" Rs. 18,74,45,684 is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly Invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but from the financial year 2017-18 onwards the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). Accordingly, the same treatment has been done in financial year 2018-19 also. the amount of Interest Rs. 1.20 Crores has been credited to other income, Had this Interest of Rs. 1.20 Crores not been Credited in profit and loss accounts, the loss would have been increased by Rs. 1.20 Crores.</p>	<p>Balance principal amount of Government of India left in Corpus Fund (Marketing Complex) is Rs. 3.44 Cr. only. On this, Interest amount of Rs. 15.23 Cr, was credited to corpus fund. Recalculation of interest credited to the complex corpus account is under process, adjustment will accordingly be made in the books of accounts.</p>
4	<p>As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2019 Rs, 9,50,00,000/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). From financial year 2017-18 onwards the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster). Accordingly, the same treatment has been done in financial Year 2018-19 also. the amount of Interest Rs. 0.61 Crores has been credited to other income, Had this Interest of Rs. 0.61 Crores not been Credited in profit and loss accounts, the loss would have been increased by Rs. 0.61 Crores</p>	<p>The supply of raw material is made to mega clusters from the Mega Cluster Corpus fund, for which the funds are accordingly rotated. Remaining balance amount as on 31st March, 2019 are in the respective Bank Current a/cs of the Regional Offices of the Corporation</p>

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
 (Sanjay Rastogi)
 Chairman
 DIN: 07722405

**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय
लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर**

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी	निदेशक मंडल का उत्तर
<ul style="list-style-type: none"> जबकि कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा इसके निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना अपेक्षित है किंतु कम्पनी ने भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(भाग-4) के अनुपालन में दिनांक 1 फरवरी 2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केवल एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की है। प्रबंधन ने आगे सूचित किया है कि एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय से अपने निदेशक मंडल में एक और स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है। 	<p>हमारी कम्पनी एक पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी है और निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(भाग 4) द्वारा 1 फरवरी 2017 से तीन वर्ष की अवधि तक या अगले आदेशों तक श्रीमती शिखा रॉय पब्बी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कम्पनी ने एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करने के लिए निरंतर प्रशासनिक मंत्रालय को लिखित अनुरोध किया है, और अंतिम पत्र 5 मार्च, 2019 को भेजा गया है। भारत सरकार ने श्री अनिल कुमार सूद को अशासकीय स्वतंत्र निदेशक अपने पत्र सं. 11/26/82-DCH/NHDC (खंड IV) दिनांकित 18 अक्टूबर, 2019 w.e.f 18 अक्टूबर, 2019 को, तीन साल या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया।</p>
<ul style="list-style-type: none"> जबकि कम्पनी (निदेशक बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित किया जाना अपेक्षित था जिसमें अधिकांश स्वतंत्र निदेशक हों। कम्पनी ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के बिना चार निदेशक हैं। प्रबंधन ने आगे सूचित किया है कि एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय से अपने निदेशक मंडल में एक और स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया है ताकि लेखा परीक्षा समिति के गठन में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या रखी जा सके। 	<p>जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भारत सरकार ने श्री अनिल कुमार सूद को अशासकीय स्वतंत्र निदेशक अपने पत्र सं. पत्र सं. 11/26/82-DCH/NHDC (खंड IV) दिनांकित 18 अक्टूबर, 2019 w.e.f 18 अक्टूबर, 2019 को, तीन साल या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तदनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में इसका अनुपालन किया जाएगा।</p>
<ul style="list-style-type: none"> जबकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति बनाना अपेक्षित था, कम्पनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति अंगीकृत नहीं की है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कम्पनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। 	<p>कम्पनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति अंगीकृत नहीं की है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कम्पनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।</p>

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
ह/-
(संजीव रस्तोगी)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07722405

**REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE OBSERVATIONS OF THE
SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2018-19**

OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
<ul style="list-style-type: none"> Where as in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company but the Company in compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) has appointed only one Independent Director for a period of three years w.e.f 1st February 2017. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested several times to its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation. 	<p>Our Company is a wholly owned Government Company and Directors are appointed by the Government of India. Government of India had appointed Smt. Shikha Roy Pabbi as an Independent Director vide Order no. 11/26/82-DCH/NHDC/ (VOL. IV) w.e.f 1st February 2017 for a period of three years or till further order. The Company has constantly written to the administrative Ministry for appointing another Independent Director, the latest communication being sent on 5th March, 2019. Further, the Government of India has appointed Shri Anil Kumar Sood as an Non- Official Independent Director vide Order GO no. 11/26/82-DCH/NHDC / (Vol. IV) dated 18th October, 2019 w.e.f 18th October, 2019 for a period of three years or till further order whichever is earlier</p>
<ul style="list-style-type: none"> Where as in term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. The Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of three directors without sufficient number of Independent Directors. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its administrative ministry several times for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation so as to constitute optimum number of Independent Director in the Audit Committee. 	<p>As reiterated earlier, the Government of India has appointed Shri Anil Kumar Sood as an Non- Official Independent Director vide Order GO no. 11/26/82-DCH/NHDC / (Vol. IV) dated 18th October, 2019 w.e.f. 18th October, 2019 for a period of three years or till further order whichever is earlier. Accordingly, the same shall be complied in FY 2019-20.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk. 	<p>The Company has not adopted any formal Risk Management policy. However, the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.</p>

For Board of Directors of NHDC

Sd/-

(Sanjay Rastogi)

Chairman

DIN: 07722405

**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व
(सीएसआर) पर वार्षिक प्रतिवेदन**

1. क्या कम्पनी ने सीएसआर नीति बनाई है/यदि हां, तो कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें कम्पनी द्वारा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों का विवरण और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ भी सम्मिलित हो:

एक उत्तरदायी नैगमिक नागरिक होने के नाते, आपकी कम्पनी हथकरघा बुनकरों के समुदाय पर प्रमुख फोकस के साथ समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशकों की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति विद्यमान है। नीचे दी गई सारणी में मद 5(ग) में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया है। सीएसआर नीति कम्पनी की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर उपलब्ध है।

2. सीएसआर समिति की संरचना

(क) समिति में निदेशकों की कुल संख्या: चार

(ख) समिति में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या: एक

3. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी का औसत निवल लाभ (धारा 198 के अनुसार): रु. 3964.44 लाख
निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त बिन्दु सं. 3 की राशि का दो प्रतिशत) रु. 79.29 लाख

इसके अतिरिक्त निगम के पास वर्ष 2017-18 की बची हुई शेष सीएसआर धनराशि रु. 42.11 लाख की थी। तदनुसार, सीएसआर का बजट रु. 121.40 लाख है हालांकि निगम ने वर्ष 2018-19 के लिए रु. 122.62 लाख आवंटित किया।

4. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्योरा

इसके अतिरिक्त निगम ने रु. वित्त वर्ष 2017-18 से 42.11 रु, तदनुसार, सीएसआर बजट रु. 121.40 लाख हालांकि, निगम ने आवंटित किया रुपये की राशि। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 122.62 लाख।

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: रु. 122.62 लाख

(ख) खर्च ना गई राशि, यदि कोई हो: रु. 16.8 8 लाख

Annexure - E

Annual Report on Corporate Social Responsibility (CSR) for FY 2018-19

1. **Whether the Company has framed CSR policy? If yes, a brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and reference of the web-link to the CSR policy and projects or programmes:**

As a responsible corporate citizen, the Company is committed to undertake socially useful programmes for welfare and sustainable development of the community with its major focus on the community of handloom weavers. The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The overview of projects or programs undertaken during the year under review, is provided in the table at item 5(c) below. The CSR policy is available on the Company's website: www.nhdc.org.in

2. **The Composition of the CSR Committee**

- (a) Total No. of Directors in the Committee: Four
- (b) No. of Independent Directors in the Committee: One

3. **Average net profit of the company for last three financial years (as per Section 198):
Rs.3964.44 Lacs**

Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above): Rs.79.29 Lacs
Additionally the Corporation had an unutilized CSR amount of Rs. 42.11 from FY 2017-18. Accordingly, the CSR budget amounted to Rs. 121.40 Lacs. However, the Corporation allocated a sum of Rs. 122.62 Lacs for FY 2018-19.

4. **Details of CSR spent during the financial year**

- (a) Total amount to be spent for the financial year:Rs. 122.62 Lacs
- (b) Amount unspent, if any: Rs. 16.88 Lacs

(ग) वह तरीका जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान राशि खर्च की गई, ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या चिन्हित गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके दायरे में परियोजना आती है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) वह राज्य और जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए गए @	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्ष: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी खर्च	प्रतिवेदन अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	विभिन्न हथकरघा क्षेत्रों में शौचालयों खंड का निर्माण, एक वर्ष की शौचालय की मरम्मत सहित	अनुसूची VII का खंड i "स्वास्थ्य सेवाएं प्रायोजित करना जिसमें निवारक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं" एवं सफाई और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना है ।	जामलाडूगू (जिला वाई.एस.आर.कडप्पा आंध्र प्रदेश में), रावता (जिला उदलगुरी असम में), सिकिनी (जिला रामगढ़ झारखंड में), पडाना (जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में) और दुलीपुर (जिला चंदौली उत्तर प्रदेश में)	75.14	60.10	60.10	प्रत्यक्ष
2	सरकारी चिकित्सालयों को एम्बुलेंस का दान	अनुसूची VII का खंड i "स्वास्थ्य सेवाएं प्रायोजित करना जिसमें निवारक स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं"	चंदेल (मणिपुर) एंड बालनगीर (ओडिशा)	47.00	45.16*	45.16*	प्रत्यक्ष
3	हथकरघा क्षेत्रों से गरीब महिलाओं को मोटर वाली 6 (स्वचालित) सिलाई मशीन और कपड़े का दान	अनुसूची का VII खण्ड ii और iii "महिलाओं का सशक्तीकरण और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं"	कालाहांडी (ओडिशा)	00.48	00.48	00.48	प्रत्यक्ष
			Total	122.62	105.74	105.74	105.74

@ डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार जहाँ पर सीपीएसई (60%) के द्वारा पसंद है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी सीएसआर जिलों का चयन, जिसमें ज्यादातर आकांक्षात्मक जिलों में से हैं, किया गया

समझोता / निविदा दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार निगम को देशी से आपूर्ति होने पर आपूर्तिकर्ता से 5% के दंड की कटौती कर ली गई

(c) Manner in which the amount spent during the Financial Year is detailed below:

(Rs. in Lac)

SL No.	CSR Project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or program were undertaken@	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1	Construction of toilets blocks in handloom clusters including maintenance of toilets for one year	Clause (i) of Schedule VII promoting health care including preventive health care and sanitation and making available safe drinking water	Jammlamadugu (Y.S.R.Kadapa district in A.P.), Rawta (Udalguri district in Assam), Sikni (Ramgarh district in Jharkhand), Padana (Rajgarh district in M.P.) and Dulhipur (in Chandauli district in U.P.)	75.14	60.10	60.10	Direct
2	Donation of Ambulances to Government Hospitals	Clause (i) of Schedule VII promoting health care including preventive health care	Chandel (Manipur) and Balangir (Odisha)	47.00	45.16*	45.16*	Direct
3	Donation of 6 motorized (automatic) sewing machine and fabric to poor women from the handloom cluster	Clause ii & iii of Schedule VII 'empowering women' and 'livelihood enhancement projects'	Kalahandi (Orissa)	00.48	00.48	00.48	Direct
			Total	122.62	105.74	105.74	105.74

@ All the chosen CSR districts for FY 2018-19 are amongst the 'aspirational districts' wherein CSR had to be preferred by the CPSE's (60%) in line with directives of DPE.

* Penalty of 5% has been deducted by the Corporation for late delivery by the vendor, as per the terms of agreement/tender document.

6. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत या इसका कोई अन्य भाग खर्च न किए जाने के कारण:

उपरोक्त सारणी में क्रम सं. 1 के अनुसार शौचालयों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूरा हो गया था जबकि वर्ष 2019-20 में शौचालयों को उपयोग में लाया गया, तदानुसार एक साल की मरम्मत की लागत जो रू. 15 लाख है, का समायोजन वर्ष 2019-20 में निगम को बिल प्रस्तुत करने पर होगा ।

7. कम्पनी के निदेशक मंडल की नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति का उत्तरदायित्व विवरण निम्नवत् है:

“नैगमिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर के उद्देश्यों और कम्पनी की नीति के अनुपालन में की जाती है”।

ह/-
(शक्तिवेल पेरुमालसामी)
अधिशाली निदेशक (वाणिज्य)

ह/-
(संजीव दुआ)
प्रबंध निदेशक
सीएसआर समिति के अध्यक्ष

5. Reasons for not spending two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof:

The construction of toilets as per s.no. 1 in the above table was complete in FY 2018-19, however the toilets became operational in FY 2019-20. Accordingly, the one-year maintenance cost of Rs. 15.00 Lacs shall be adjusted in FY 2019-20, as and when the bills are produced before the Corporation.

6. The responsibility statement of the Corporate Social Responsibility Committee of the Board of Directors of the Company is given below:

'The implementation and monitoring of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy, is in compliance with CSR objectives and policy of the Company'.

Sd/-
Sakthivel Perumalsamy
ED (Commercial)

Sd/-
(Sanjeev Dua)
MD/Chairman of
CSR Committee

**निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
वार्षिक विवरणी का उद्धरण- प्रपत्र संख्या एमजीटी-9**

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

i)	सीआईएन:-	U17299UP1983GOI005974
ii)	पंजीकरण की तारीख	22 फरवरी, 1983
iii)	कम्पनी का नाम	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
iv)	कम्पनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	सार्वजनिक कम्पनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	वेगमैन्स बिजनेस पार्क, चतुर्थ तल, टॉवर - 1 प्लॉट संख्या 03, सेक्टर नॉलेज पार्क - III, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश - 201306 फोन - 0120-2329615
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है - हां/नहीं	नहीं
vii)	पंजीकरण और हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम पता और सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां (कम्पनी के कुल टर्नओवर के 10 प्रतिशत या इससे अधिक योगदान देने वाली सभी कारोबारी गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा)-

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और वितरण	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का %
1.	यार्न	1311	95.22%

III. धारक, सहायक और सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण -

क्र. सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/सहयोगी	धारक/अनुषंगी/सहयोगी	धारित शेयरों का %	प्रयोज्य धारा
-	-	-	-	-	-

EXTRACT OF ANNUAL RETURN-FORM NO. MGT-9

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN:-	U17299UP1983GOI005974
ii)	Registration Date	22 nd Feb., 1983
iii)	Name of the Company	National Handloom Development Corporation Ltd.
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Public Company
v)	Address of the Registered Office and contact details	Wegmans Business Park, Tower 1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park – III, Greater Noida Uttar Pradesh, 201306 Phone – 01202329600
vi)	Whether listed company Yes /No	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY (All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated) :-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product / service	% to total turnover of the company
1.	Yarn	1311	95.22%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES–

Sl. No.	Name and address of the company	CIN/GLN	Holding/ subsidiary/ associate	% of shares held	Applicable Section
-	-	-	-	-	-

IV. शेरधारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणी-वार शेरधारिता

शेरधारिता की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेरों का %	
क. संवर्धक (1) भारतीय केंद्रीय सरकार* उप-योग (क)(1):-	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
(2) विदेश क) एनआरआई-व्यक्ति ख) अन्य- व्यक्ति ग) निगमित निकाय. घ) बैंक / वित्तीय संस्थाएं ङ) कोई अन्य उप-योग (क) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवर्धकों की कुल शेरधारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
ख. सार्वजनिक शेरधारिता 1. संस्थाएं क) म्युचुअल फंड ख) बैंक / वित्तीय संस्थाएं ग) केंद्रीय सरकार घ) राज्य सरकार (सरकारें) ङ) उद्यम पूंजी निधियां च) बीमा कम्पनियां छ) एफआईआई ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां झ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर संस्थाएं क) निगमित निकाय i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्ति i) 1 लाख रुपए तक नामांकित शेर पूंजी धारित करने वाली व्यक्तिगत शेरधारक ii) 1 लाख रुपए से अधिक नामांकित शेर पूंजी धारित करने वाली व्यक्तिगत शेरधारक ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise ShareHolding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
(1) Indian Central Govt *									
Sub-total (A) (1):-									
(2) Foreign	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) NRIs-Individuals									
b) Other-Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Bank / FI									
e) Any Other									
Sub-Total (A) (2)									
Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1) + (A) (2)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
B. Public shareholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Bank / FI									
c) Central Govt.									
d) State Govt									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
Sub-Total (B)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh									
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh									
c) Other (specify)									
Sub-Total (B)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-

(ii) संवर्धकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन :
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का:	कुल शेयरों में प्रतिभूत/धारित शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का :	कुल शेयरों की तुलना में प्रतिभूत/धारित शेयरों की प्रतिशतता	
1.	केंद्रीय सरकार	1900000	100%	-	1900000	100%	-	
	कुल	1900000	100%	-	1900000	100%	-	

* कम्पनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है। 19,00,000 शेयरों की कुल शेयरधारिता में से, 18,99,992 शेयर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारित हैं, शेष 8 शेयर उपायुक्त (हथकरघा) और कम्पनी के अधिकारियों द्वारा धारित हैं।

(iii) संवर्धकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं)– कोई परिवर्तन नहीं

क्र.सं		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का :	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का :
1.	वर्ष की शुरुआत में	1900000	100%	1900000	100%
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास का उल्लेख करते हुए संवर्धकों की अंशधारिता में आंकड़ा-वार वृद्धि / ह्रास (जैसे आबंटन/अंतरण / बोनस / उद्यम इक्विटी आदि)	-	-	-	-
3.	वर्ष के अंत में	1900000	100%	1900000	100%

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1.	Central Govt*.	1900000	100%	-	1900000	100%	-	-
	Total	1900000	100%	-	1900000	100%	-	-

*The Company is a wholly-owned Government Company, out of the total shareholding of 19,00,000 shares, 18,99,992 shares are held by the Nominee of Hon'ble President of India, the remaining 8 shares are held by officers of DC (Handlooms) and the Company.

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)-No change

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	No. of Shares	% of total Shares of the Company
	At the beginning of the year	1900000	100 %	1900000	100 %
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc.):	-	-	-	-
	At the end of the year	1900000	100 %	1900000	100 %

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त):

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों द्वारा धारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरुआत में				
	श्री अनिल राजकुमार अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) [@]	01	0%	00	0%
	श्री आर.के. साहू अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)	01	0%	01	0%
	श्री शक्तिवेल पेरुमालसामी	01	0%	01	0%
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी		-	-	
	श्री जितेन्द्र आचार्य अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) [@]	00	-	01	0%
	वर्ष के अंत में	3	0%	3	0%

[@] श्री जितेन्द्र आचार्य को श्री अनिल राज कुमार से दिनांक 21 अगस्त, 2018 से शेयर हस्तांतरित किए गए

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री संजय रस्तोगी, अध्यक्ष/विकास आयुक्त (हथकरघा)*				
	वर्ष की शुरुआत में	02	0%	02	0%
	21 अगस्त, 2018 को अधिग्रहीत शेयर	01	0%	03	0%
	वर्ष के अंत में	03	0%	03	0%
2.	श्री दीपांकर दत्ता, निदेशक [@]				
	वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
	28 मार्च, 2019 को अधिग्रहीत शेयर	01	0%	01	0%
	वर्ष के अंत में	01	0%	01	0%
3.	श्री नवीन कुमार गुप्ता, अधिशासी निदेशक (वित्त)/सीएफओ, प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार [#]				
	वर्ष की शुरुआत में	01	0%	01	0%
	वर्ष के दौरान शेयरों का अधिग्रहण	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	01	0%	01	0%

* श्री संजय रस्तोगी को निगम के प्रबंध निदेशक का 19 जून, 2018 से 18 जनवरी, 2019 तक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास द्वारा धारित शेयर 21 अगस्त, 2018 से इनको हस्तांतरित कर दिए गए थे ।

[@] श्री दीपांकर दत्ता को 28 मार्च, 2019 से निगम का निदेशक नियुक्त किया गया और श्री ए.के. शर्मा द्वारा धारित शेयर उसी तारीख को हस्तांतरित कर दिए गए ।

[#] श्री नवीन कुमार गुप्ता को दिनांक 18 जनवरी, 2019 (अपरान्ह) को प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था ।

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	For each of the Top 10 shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	No. of Shares	% of total Shares of the Company
	At the beginning of the year				
	Shri Anil Rajkumar ADC (Handlooms) [@]	01	0%	00	0%
	Shri R.K. Sahu ADC (Handlooms)	01	0%	01	0%
	Shri Sakthivel Perumalsamy	01	0%	01	0%
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year.		-	-	
	Shri Jitendra Acharya ADC (Handlooms) [@]	00	-	01	0%
	At the End of the year	3	0%	3	0%

[@] Share was transferred to Shri Jitendra Acharya from Shri Anil Rajkumar on 21st August, 2018

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	No. of Shares	% of total Shares of the Company
1.	Shri Sanjay Rastogi, Chairman/DC Handloom*				
	At the beginning of the year	02	0%	02	0%
	Shares acquired on 21 st Aug,2018	01	0%	03	0%
	At the End of the year	03	0%	03	0%
2.	Shri Dipankar Dutta, Director[@]				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Shares acquired on 28 th March,2019	01	0%	01	0%
	At the End of the year	01	0%	01	0%
3.	Shri Naveen Kumar Gupta ED(Finance)/CFO, Additional charge of MD[#]				
	At the beginning of the year	01	0%	01	0%
	Shares acquired during the year	-	-	-	-
	At the End of the year	01	0%	01	0%

* Shri Sanjay Rastogi was entrusted with Additional Charge of MD of the Corporation w.e.f. 19th June, 2018 till 18th January, 2019 (F.N.) and the share held by Shri Sarvapalli Srinivas was transferred to him on 21st August, 2018.

[@] Shri Dipankar Dutta was appointed as Director of the Corporation w.e.f. 28th March, 2019 and the share held by Shri A.K.Sharma was transferred to him on the same date.

[#] Shri Naveen Kumar Gupta was entrusted with additional charge of MD w.e.f. 18th January 2019 (AN).

(v) देनदारी:

कम्पनी की देनदारी में बकाया/संचित, किंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज शामिल है

(रु. लाख में)

	जमा राशियां को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल देनदारी
वित्त वर्ष के प्रारंभ में देनदारी i) मूल राशि ii) देय परंतु नहीं दिया गया ब्याज iii) प्रोद्भूत-ब्याज परंतु अनदेय	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्त वर्ष के दौरान देनदारी में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्त वर्ष के अंत में देनदारी i) मूल राशि ii) देय परंतु नहीं दिया गया ब्याज iii) प्रोद्भूत-ब्याज परंतु अनदेय	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

(vi) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास* (वित्तीय वर्ष 8 जून, 2018 पूर्वाहन तक)
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	7,86,835
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	1,02,965
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 017(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	-
2.	स्टॉक विकल्प	-
3.	उद्यम इक्विटी	-
4.	कमीशन – लाभ के : के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें...	-
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-
	अधिनियम के अनुसार कुल (क) सीमा	लागू नहीं
	कुल	8,89,800

*श्री संजय रस्तोगी को निगम के प्रबंध निदेशक का (19 जून, 2018 से 18 जनवरी, 2019 (पूर्वाह्न) तक) अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और श्री नवीन कुमार गुप्ता को (18 जनवरी, 2019 पूर्वाह्न से 30 अप्रैल, 2019 तक) प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। हालाँकि, निगम के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार हेतु दोनों को कोई भी वेतन नहीं दिया गया था।

(v) INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment (Rs. In Lakh)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year · Addition · Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

(vi) REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**A. REMUNERATION TO MANAGING DIRECTOR:**

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Shri Sarvepalli Srinivas* (uptil 8 th June, 2018-FN)
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income tax Act, 1961	7,86,835
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	1,02,965
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	-
2.	Stock Option	-
3.	Sweat Equity	-
4.	Commission as % of profit others, specify...	-
5.	Others, please specify	-
	Total (A) Ceiling as per the Act	Not applicable
	Total	8,89,800

* The additional charge of MD of the Corporation was entrusted to Shri Sanjay Rastogi (w.e.f. 19th June, 2018 to 18th January, 2019 (FN) and Shri Naveen Kumar Gupta (18th January, 2019 (AN) to 30th April, 2019). However, no salary was paid to either of them on account of entrustment of additional charge of MD of the Corporation.

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2018-19 में श्रीमती शिखा रॉय पब्बी, अशासकीय स्वतंत्र निदेशक को निगम की बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए 75000/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(रु. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक			कुल
		सीईओ	सीएफओ	कम्पनी सचिव *	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	22,12,564	5,75,017	27,87,581
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें...	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	कुल (ख)	-	22,12,564	5,75,017	27,87,581

*श्रीमती अंजलि यादव ने दिनांक 15 जून, 2018 से निगम में कम्पनी सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया।

VII कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों के लिए दण्ड/सजा/जुर्माना: शून्य

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दंड/लगाए गए संयोजन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण (आरडी / एनसीएलटी/ न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कम्पनी					
शास्तिप	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संयोजन	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
शास्तिप	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संयोजन	-	-	-	-	-
ग. व्यक्तिगत अन्य अधिकारी					
शास्तिप	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संयोजन	-	-	-	-	-

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/-
(संजीव रस्तोगी)

अध्यक्ष

डीआईएन: 07722405

दिनांक: 10.01.2020

स्थान: नई दिल्ली

(B.) REMUNERATION TO OTHER DIRECTORS

An amount of Rs. 75000/- was paid to Smt. Shikha Roy Pabbi, Non Official Independent Director in FY 2018-19 for attending the Board/Committee Meetings of the Corporation

(C.) REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/ MANAGER/ WTD.

(in Rs.)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total
		CEO	CFO	Company Secretary*	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	22,12,564	5,75,017	27,87,581
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission as % of profit others, specify...	-	-	-	-
5.	Others, please specify	-	-	-	-
	Total (B)	-	22,12,564	5,75,017	27,87,581

*Smt. Anjali Yadav joined as CS of the Corporation w.e.f. 15th June, 2018.

VII PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES UNDER COMPANIES ACT' 2013: NIL

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

(Sanjay Rastogi)

Chairman

DIN: 07722405

Dated:10.01.2020

Place: New Delhi

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

[दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए,
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी

(प्रबन्धन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 की नियम संख्या 9 के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्यगण,

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: चतुर्थ तल, वैगमैन्स बिजनेस पार्क,

टॉवर- I, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क- III

सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,

गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201306

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (CIN NO U17299UP1983GOI005974) (इसके पश्चात "कम्पनी" के रूप में उल्लिखित) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उनके द्वारा अच्छी नैगमिक कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवालय लेखा परीक्षा की है। सचिवालय लेखा परीक्षा इस प्रकार संचालित की गई थी कि जिससे हमें नैगमिक आचरण/सांविधिक अनुपालनों तथा उन पर मेरी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार प्राप्त हो सके।

कम्पनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों तथा दायर की गई विवरणिका एवं कम्पनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों तथा साथ ही कम्पनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान मुहैया कराई गई सूचना के सम्बन्ध में हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा यह टिप्पणी करते हैं कि हमारी राय में कम्पनी ने दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहाँ सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा साथ ही कम्पनी के पास उचित व्यापक प्रक्रियाओं का प्रावधान है तथा साथ ही उनके अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यतन्त्र भी विद्यमान है जो इसके पश्चात की गई टिप्पणी के अध्वधीन है।

हमने दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दायर की गई विवरणियों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है :-

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम – अप्रयोज्य हैं क्योंकि कम्पनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;
- (iii) सांविधिक जमा अधिनियम, 1996 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम – अप्रयोज्य हैं क्योंकि कम्पनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;
- (iv) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1999 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अप्रवासी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के सन्दर्भ में बनाए गए थे – अप्रयोज्य है क्योंकि कम्पनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है;
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित किए गए निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश – अप्रयोज्य हैं क्योंकि कम्पनी की प्रतिभूतियाँ समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;

Secretarial Audit Report

[For the Financial Year ended on 31st March, 2019]

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
 The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
 Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
 Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
 Surajpur- Kasna Main Road, Greater Noida,
 Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by the **National Handloom Development Corporation Limited (CIN NO U17299UP1983GOI005974)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2019** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board- Processes and Compliance- Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on **31st March 2019** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;- **not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder; - **not applicable as the securities issued by Company are not dematerialized and were not listed during the period under review;**
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings **-Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **were not applicable to the company as the securities of the Company was not listed during the relevant audit period:**

- क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अभिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015
- ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;
- घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
- ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना तथा उन्हें सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;
- च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचियन) विनियम, 2009;
- छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;
- ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गमन एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट सम्बन्धी पंजीयक) विनियम, 1993 जो कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध में है तथा जिसका सम्बन्ध ग्राहकों से है; **अप्रयोज्य है क्योंकि कम्पनी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, किसी रजिस्ट्रार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं थी और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में भी काम नहीं कर रही थी।**
- (vi) कम्पनी के लिए अन्य श्रम, पर्यावरण और विशिष्ट लागू अधिनियम/कानून जिसके लिए सचिवालयीय लेखा परीक्षा एक अवलोकन लेखा परीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी और आमतौर पर हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों और कम्पनी और प्रबन्धन के अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य पेशेवरो द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र, कम्पनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का अनुपालन किया है :-
- क) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मन्त्रालय (सार्वजनिक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक सामाजिक दायित्व पर दिशानिर्देश – मार्च 2010;
- ख) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और कर्मचारी जमा-लिंकड बीमा योजना, 1976 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952;
- ग) अनुबन्ध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;
- घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
- ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;
- च) पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पढ़नीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986;
- छ) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के साथ पढ़ित महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;
- ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005.

- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; -
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **The Company was not involved in the activities relating to Registrar to a issue and also not acting as Share Transfer Agent hence the regulations were not applicable to the Company during the audit period;**
- (vi) Other labour, environment and specific applicable Acts / Laws to the Company for which Secretarial Audit was conducted as an overview audit and was generally based/ relied upon the documents provided to us and Management Confirmation Certificate provided by the Management of the Company & other audit report and certificates given by other professionals, the company has complied with the following Acts / Laws applicable to the Company during the audit period;
- a) Guidelines on Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises- March 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Department of Public Enterprises), Government of India;
 - b) The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 & The Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 and Employees Provident Fund Scheme, 1952
 - c) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970.
 - d) Maternity Benefit Act 1961
 - e) Minimum Wages Act, 1948
 - f) Environment (Protection) Act 1986 read with The Environment (Protection) Rules 1986 and other Environment Laws.
 - g) The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules 2013.
 - h) Right to Information Act 2005.

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयीय मानकों के लागू होने वाले नियमों के अनुपालन की भी जाँच की है।

हमने लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों की जाँच नहीं की है, क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों की समीक्षा के अधीन आता है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यक्षीय उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :-

- जबकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) एवं 149(5) के साथ पठित कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक था कि वह कम्पनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति करे परन्तु कम्पनी ने भारत सरकार के वस्त्र मन्त्रालय के आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एन.एच.डी.सी./ (Vol.IV) के अनुपालन में केवल एक ही स्वतन्त्र निदेशक की नियुक्ति दिनांक 1 फरवरी 2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए की है। प्रबन्धन द्वारा आगे दी गई सूचना के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने आवश्यकतानुसार एक और स्वतन्त्र निदेशक की नियुक्ति करने के लिए अपने प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया है।
- जबकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के साथ पठित कम्पनी (बोर्ड की बैठके) नियमावली, 2014 के अनुसार कम्पनी के लिए यह आवश्यक था कि वह स्वतन्त्र निदेशकों के बहुमत वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करे। कम्पनी ने तीन निदेशकों वाली बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है, जिसमें आवश्यकतानुसार स्वतन्त्र निदेशक नहीं हैं। प्रबन्धन द्वारा आगे दी गई सूचना के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी ने बोर्ड में आवश्यक स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए अपने प्रशासनिक मन्त्रालय से अनुरोध किया है, जिससे कि स्वतन्त्र निदेशकों के बहुमत वाली लेखा परीक्षा समिति पुनर्गठित की जा सके।
- जबकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति बनाना अपेक्षित था, कम्पनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति अंगीकृत नहीं की है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कम्पनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।

निगम ने यह सूचित किया है पत्र संख्या 40/4 (3) / 2018. DCH/NHDC दिनांक 3 अगस्त 2018, भारत सरकार, वस्त्र मन्त्रालय, कार्यालय विकास आयुक्त हथकरघा जो प्रशासनिक मन्त्रालय है, से प्राप्त हुआ है जिसमें शाखा कार्यालय लखनऊ के द्वारा सूत आपूर्ति योजना में हुई अनियमितताओं के अनुसरण में आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जा चुकी है साथ में मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मुख्य सर्तकता आयोग (सीवीसी) को संदर्भित किया गया।

हम आगे यह टिप्पणी करते हैं कि:-

- 1) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मन्त्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा बोर्ड के गठन में कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतन्त्र निदेशकों के उचित सन्तुलन के बारे में जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नैगमिक अभिशासन दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन किया है, उपरान्त के अतिरिक्त।

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the following observation:

- *Where as in term of the provisions of Section 149(4)& 149(5)of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company but the Company in compliance of Government of India, Ministry of Textiles Order no. 11/26/82- DCH/NHDC/ (VOL. IV) has appointed only one Independent Director for a period of three years w.e.f 1st February 2017. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested several times to its administrative ministry for making necessary appointment of Non- Official Independent Director on the Board of the Corporation.*
- *Where as in term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. The Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of three directors without sufficient number of Independent Directors. The Management has further informed that the Company being a Government Company has requested its administrative ministry several times for making necessary appointment of Non-Official Independent Director on the Board of the Corporation so as to constitute optimum number of Independent Director in the Audit Committee.*
- *Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.*
- The Company has informed that in pursuance of the letter No 40/4(3)/2018- DCH/NHDC dated 3rd August 2018 received from Administrative Ministry i.e. Government of India, Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner Handlooms for irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office, it has taken necessary administrative action including referring the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC).

We further report that:

- 1) The Company has complied with Companies Act 2013, Corporate Governance Guidelines for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India in respect of constitution of the board with proper balance of Executive, Non- Executive Directors & Independent Directors except as stated above.

- 2) सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों का आयोजन करने के लिए पर्याप्त, कम से कम सात दिन पहले, सूचना दी गई है। तत्पश्चात सभी निदेशकों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से भेज दी गई थीं। और बैठक से पूर्व एवं बैठक में सार्थक भूमिका निभाने के लिए आगे की सूचना प्राप्त करने एवं कार्यसूची की मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक कार्यतन्त्र मौजूद है। देरी से सूचना के मामले में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के साथ पठित आईसीएसआई के सेक्रेटरीयल स्टैण्डर्ड-1 के अनुच्छेद 1.3.7 के साथ पठित प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- 3) बहुमत के निर्णय को वरीयता दी जाती है जबकि असहमत सदस्यों के मत, यदि कोई हों, तो उन पर भी ध्यान दिया जाता है और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेख कर लिया जाता है।
- 4) निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता के सम्बन्ध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, वे निदेशकों और प्रबन्धन कर्मियों के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता के स्वतन्त्र और अनुपालन के साथ हैं।

हम आगे यह टिप्पणी करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग करने तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी के आकार तथा उसके कार्यकरण के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त व्यवस्थाएँ एवं प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित का कोई मामला नहीं था:

- (क) "शेयरों/स्वैट इक्विटी का सार्वजनिक/अधिमान्य निर्गमन
- (ख) प्रतिभूतियों का पुनःक्रय
- (ग) विलय/समामेलन/पुनःसंरचना आदि और
- (घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

कृते नवनीत के अरोड़ा एंड कम्पनी एलाएलपी
कम्पनी सचिव

ह/-

सीएस नवनीत अरोड़ा

प्रबंध भागीदार

सीएस: 3214, सीओपी: 3005

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26 अगस्त, 2019

[टिप्पणी: इस प्रतिवेदन को हमारे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो "अनुलग्नक-क" के रूप में संलग्न है और इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है।]

- 2) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings atleast seven days in advance and agenda and detailed notes on agenda were also sent in advance to all the Directors subsequently, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. In case of shorter notice, the Company has complied with the applicable provisions of Section 173 of the Companies Act 2013 read with clause 1.3.7 of the Secretarial Standard -1 of ICSI.
- 3) Majority decision is carried through while the dissenting member's views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
- 4) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, there were no instances of:

- a) Public / Preferential Issue of Shares/ Sweat Equity.
- b) Buy-back of Securities.
- c) Merger / Amalgamation / Reconstruction etc. and
- d) Foreign Technical Collaborations.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
CS:3214, COP:3005

Place : New Delhi
Date : 26th August, 2019

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as “**Annexure- A**” and forms an integral part of this report].

सेवा में,

सदस्यगण,

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: चतुर्थ तल, वैगमैन्स बिजनेस पार्क,

टॉवर- I, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क- III

सूरजपुर-कासना मेन रोड़, ग्रेटर नोएडा,

गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201306

हमारा इसी तारीख का प्रतिवेदन निम्नानुसार इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है:

- 1) सचिवालयी अभिलेख का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर इन सचिवालयी अभिलेखों पर एक मत व्यक्त करना है।
- 2) हमने उन लेखा परीक्षा परिपाटियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवालयी अभिलेखों की विषयवस्तु की त्रुटिहीनता के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए समीचीन थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार किया गया कि सचिवालयी अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और परिपाटियां हमारे मत के लिए एक औचित्यपूर्ण आधार उपलब्ध कराती हैं।
- 3) हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तिकाओं की सटीकता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
- 4) जहां कहीं अपेक्षित था, हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधक का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
- 5) निगमित और अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6) सचिवालयी लेखा परीक्षा न तो कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में, न ही उस कुशलता या प्रभावोत्पादकता का कोई आश्वासन है जिससे प्रबंधन ने कम्पनी का कामकाज चलाया है।

कृते नवनीत के अरोड़ा एंड कम्पनी एलएलपी
कम्पनी सचिव

ह/-

सीएस नवनीत अरोड़ा

प्रबंध भागीदार

सीएस: 3214, सीओपी: 3005

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26 अगस्त, 2019

Annexure -"A"

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

- 1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records on our audit.
- 2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- 3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.
- 4) Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- 5) The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- 6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries

Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner
CS:3214, COP:3005

Place : New Delhi
Date : 26th August, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन सदस्यगण राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)

(I) स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर संशोधित रिपोर्ट :

हमारी रिपोर्ट दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 जो समाप्त हुए वर्ष 31 मार्च, 2019 पर थी जिसको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत अनुपूरक अंकेक्षण किया गया और उनके द्वारा दी गई टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए रिपोर्ट को संशोधित किया गया ।

योग्य मत

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (निगम) के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2019 तक का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि सम्बन्धी विवरण, रोकड़ प्रवाह सम्बन्धी विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा तत्कालीन समाप्ति वर्ष की अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। उपरोक्त वित्तीय विवरणों में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड – कन्नूर, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर एवं विजयवाड़ा के निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित उस तारीख को समाप्त वर्ष की विवरणी अन्तर्विष्ट है। क्षेत्रीय कार्यालयों और सम्बन्धित सांविधिक लेखा परीक्षकों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :-

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा लेखा परीक्षकों का नाम और पता
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कन्नूर, केरल	मैसर्स जेकब एंड जॉर्ज, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, बी.बी.कॉम्प्लेक्स, साउथ बाजार, कन्नूर, केरल . 670002
2	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मिश्रा एंड मिश्रा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 1/1सी गोवा बागान स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता .700006
3	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	मैसर्स आलोक शर्मा एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, सी-13/5.।ए औरंगाबाद, वाराणसी
4	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा	मैसर्स विनोद ग़ोवर एंड एसोशिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 26.27, प्रथम तल, शकुंतला कॉम्प्लेक्स, पालिका बाजार, जीटी रोड़, पानीपत, हरियाणा
5	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना	मैसर्स एम.ए. मोहियाद्दीन एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 307, लेनाइन एस्टेट एबिड्स, हैदराबाद .500001
6	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मैसर्स एन.एम. एंड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 200/4 प्रथम तल, प्रीमियर एपार्टमेंट्स, एनएसआर रोड़, साई बाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर .641011
7	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, असम	मैसर्स एस.बोस एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, नं. 4/ए अविनाश निवास, जीएस रोड़, उलुबाड़ी, गुवाहाटी .781007
8	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर, ओडिशा	मैसर्स पीपीबी एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, प्लॉट नं. 97, प्रथम तल, नियर वाटर टैंक, शाहिद नगर, भुवनेश्वर, ओडिशा-751007
9	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	मैसर्स गद्दम सत्यानारायण एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 23.38.1 और 1ए, शिवरमन स्ट्रीट, सत्यानारायणपुरम, विजयवाड़ा .520011

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS
NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED(NHDC)**

(I) Revised Audit Report on the Standalone Financial Statements

Our report dated 31st October,2019 on the accounts for the year ended 31st March,2019 has been revised to give effect to the observations made by the Comptroller & Auditors General of India in the Supplementary audit carried out by them Under Section 143 (6) (a) of the Companies act 2013.

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2019, the Statement of Profit and Loss, Statement of change in equity and the Cash Flow Statement, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information including notes to the financial statements for the year ended on that date. The aforesaid financial statements incorporate the returns for the year ended on that date audited by the Branch auditors of the Corporation's Regional Offices at -Kannur, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad, Coimbatore, Guwahati, Bhubaneswar and Vijayawada. The detail of Regional Offices and the respective Auditors is being indicated as under-

Sl. No.	Name of the Regional Office	Name & Address of the Branch Auditors
1	National Handloom Development Corporation Limited, Kannur, Kerala	M/s. Jacob & George, Chartered Accountants, B.B. Complex, South Bazar, Kannur, Kerala- 670002
2	National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal	Mishra & Mishra, Chartered Accountants, 1/1C Goa Bagan Street 1st Floor, Kolkata-700006
3	National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi, Uttar Pradesh	M/s. Alok Sharma & Co. Chartered Accountants, C-13/5-A Aurangabad, Varanasi.
4	National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana	M/s Vinod Grover & Associates, Chartered Accountants,26-27, 1 st Floor, Shakuntala, Complex, Palika Bazar,G.T. Road, Panipat, Haryana.
5	National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Telangana.	M/s. M.A. Mohiaddin & Co., Chartered Accountants,307,Lenaine estate Abids, Hyderabad
6	National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu	M/s. N.M.&Co., Chartered Accountants 200/4 First Floor, Premier Apartments, NSR Road, Sai Baba Colony, Coimbatore-641011
7	National Handloom Development Corporation Limited, Guwahati, Assam	M/s S.Bose & Co. , Chartered Accountants, No.4/a, Avinash Niwas, GS Road, Ulubari, Guwahati-781007
8	National Handloom Development Corporation Limited, Bhubaneswar, Odisha	M/s. PPB & Co., Chartered Accountants, Plot No.97, 1 st Floor, Nr. Water Tank, Sahid Nagar, Bhubaneswar, Odisa
9	National Handloom Development Corporation Limited, Vijayawada, Andhra Pradesh	M/s Gaddam Satyanarayana & Co., Chartered Accountants, 23-38-1 & 1 A, Sivaraman Street, Satyanarayanapuram, Vijayawada-520011

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपयुक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां, कंपनी अधिनियम, 2013, की अपेक्षा अनुसार जानकारी देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, 31 मार्च 2019 को कंपनी के कार्यकलापो तथा उसी दिन समाप्त वर्ष के लिए हानि का विवरण, नगद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन विवरण पक्ष एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं ।

राय के लिए आधार

निगम अपने 9 क्षेत्रिय कार्यालयों के द्वारा, हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की आपूर्ति (क्रय – विक्रय) सुनिश्चित करता है जिसमें समय-समय पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा घोषित योजना के अनुसार मिलने वाली 10% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें भाड़ा सब्सिडी एवं डिपो शुल्क सम्मिलित) है ।

वर्ष के अंकेक्षण के दौरान निगम के शाखा कार्यालय लखनऊ, जो क्षेत्रिय कार्यालय वाराणसी के अधीन है, ने वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के प्रारंभ में कुल रु. 385.04 करोड़ का क्रय-विक्रय बुक किया (क्रमशः नोट संख्या 17 (I) एवं 19 (III) का संदर्भ लें)

इसमें से रु. 192.82 करोड़ की खरीद एवं बिक्री बुकिंग के मात्र दो सप्ताह के भीतर ईआरपी लेखा प्रणाली से लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया एवं रद्द करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया । इस मामले को जांच हेतु सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी भेज दिया गया है ।

योजना के अनुसार रु. 194.22 करोड़ की राशि के क्रय / विक्रय के लिए जिसकी सेवा शुल्क की धनराशि रु. 2.43 करोड़ (रु. 194.22 करोड़ का 1.25%) है, का निगम के द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है, यदि इस रु. 2.43 करोड़ के सेवा शुल्क का दावा कर लिया जाता, तो निगम को रु. 2.43 करोड़ से कम की हानि होती । इसके अतिरिक्त निगम ने सूत आपूर्ति योजना की दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोगी संस्थाओं को विक्रय मूल्य पर मिलने वाली इंसेंटिव को भी बुक नहीं किया है ।

रु. 194.22 करोड़ जो कुल देनदारी (संदर्भ नोट सं. 13 (iv)) एवं लेनदारी (संदर्भ नोट सं. 5 (ii)) में दिखाया जा रहा है क्योंकि यह मामला सीबीआई एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग में जांच हेतु विचाराधीन है अतः हम देनदारों से प्राप्त होने वाली धनराशि और लेनदारों को देय धनराशि पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ।

01.03.2018 से 31.03.2018 तक की बिक्री

निगम के क्षेत्रिय कार्यालय-लखनऊ ने माह मार्च 2018 के दौरान निम्नानुसार, रु. 215.79 करोड़ की बिक्री बुक की;

01.03.2018 से 31.03.2018 तक बिक्री	रु० 215.79 करोड़
10% सब्सिडी की कुल राशि	रु० 21.58 करोड़
योजना के अनुसार सेवा प्रभार	रु० 1.08 करोड़
कुल दावे	रु० 22.66 करोड़

वर्ष 2018-19 में उपरोक्त के अनुसार रु. 22.66 करोड़ की राशि खातों में वापिस करी, यदि रु. 1.08 करोड़ का सेवा शुल्क खातों में वापस नहीं किया गया होता तो निगम को रु. 1.08 करोड़ से कम की हानि होती । इसके अतिरिक्त एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को रु. 18.15 करोड़ की सब्सिडी दे दी है भले ही भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statement give the information required by the Companies Act 2013 in the manner so required and give true and fair view in the conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affair of the Company as at 31st March, 2019, its Loss, change in equity and its Cash Flow for the year ended on that date,

BASIS OF QUALIFIED OPINION

1. NHDC having “9” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time.

During the year under Audit the Company’s Lucknow branch Office, which is under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the year amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of 2018-19 (Refer Note No. 17(1) & 19 (III) respectively.

Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system within just two weeks of booking. Reasons for cancellation are not explained to us. Also, the matter has been referred to investigation agency CBI and Central Vigilance Commission.

For Remaining Sales/Purchase amounting to Rs. 194.22 Crore, the organization has not claimed any service charges amounting to Rs. 2.43 Crores (1.25% on Rs. 194.22 Crores) as per the scheme. Had this service charges of Rs. 2.43 Crores been claimed, the Loss would have been lesser by Rs. 2.43 Crores. Further organization has also not booked any incentives on the above sales, which is to be distributed to user agencies as per the YSS guidelines.

This Rs. 194.22 Crores is being shown in total debtors (Refer Note No. 13 (iv) as well as Creditors (Refer Note No. 5)

We cannot comment about the amount receivable from the debtors or payable to the creditor because the matter is under investigation with CBI and Central Vigilance Commission.

2. Sales From 01-03-2018 to 31-03-2018

The Company’s Branch Office Lucknow has also booked Sales to the tune of Rs. 215.79 Crores during the month of March 2018, as detailed below:--

Sales From 01-03-2018 to 31-03-2018	Rs. 215.79 Crores
Total amount of 10% subsidy	Rs. 21.58 Crores
Service charge as per scheme	Rs. 1.08 Crores
Total Claims	Rs. 22.66 Crores

The above amount of Rs. 22.66 Crores has been reversed in financial year 2018-19. Had this service charges of Rs. 1.08 Crores not been reversed, the loss would have been lesser by Rs. 1.08 Crores. Further NHDC has released/dispensed Rs. 18.15 Crore as subsidy to the Suppliers, even though the same is not received from Government of India.

3. जैसा कि टिप्पणी "4क" में उल्लेख किया गया है, ₹.18,74,45,684 की राशि समग्र निधि के क्रेडिट (विपणन परिसर) में स्थायी है और परिणामस्वरूप इसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमाओं में निविष्ट किया गया है समग्र निधि (विपणन परिसर) की सावधि जमाओं पर 31 मार्च, 2017 तक अर्जित ब्याज को संबंधित समग्र निधि में क्रेडिट किया गया किंतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से सावधि जमा राशियों पर ब्याज को, समग्र निधि (विपणन परिसर) में क्रेडिट किए जाने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में ली गई है। तदनुसार यही प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी की गई, और ब्याज की राशि ₹. 1.20 करोड़ को अन्य आय में जमा की गई, यदि इस ब्याज की धनराशि ₹. 1.20 करोड़ को लाभ हानि खाते में क्रेडिट नहीं की जाती तो निगम की हानि ₹. 1.20 करोड़ से बढ़ जाती ।
4. 31.03.2019 के टिप्पणी संख्या सं. 4 (बी), के अनुसार, ₹. 9.50,00,000/- समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा है वित्तीय वर्ष 2017-18 से सावधि जमा के ब्याज को समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) में क्रेडिट करने के बजाए निगम की ब्याज की आय में जमा की गई । तदनुसार 2018-19 में भी यही प्रक्रिया की गई और ब्याज की राशि ₹. 0.61 करोड़ को अन्य आय में जमा की गई, यदि इस ब्याज की धनराशि ₹. 0.61 करोड़ को लाभ हानि खाते में क्रेडिट नहीं की जाती तो निगम की हानि ₹. 0.61 करोड़ से बढ़ जाती ।

उपर्युक्त के कारणों से निगम की कुल हानि ₹. 1.70 करोड़ से कम होती

हमने कंपनी एक्ट 2013 अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिट के मानको (एसए.एस.) के अनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परिक्षा के लिए लेखा परिक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'बोर्ड ऑफ एथिक्स' के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र है जो की नैतिक आवश्यकताओं के साथ अधिनियम और कंपनी एक्ट 2013 नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक है, और हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और अचारसंहिता के अनुसार पूरा किया है । हम मानते है कि हमने जो ऑडिट तक्ष्य प्राप्त किये है, वह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

(II) अन्य मामले

वित्तीय वर्ष 2018-19 से, प्रदर्शनी/आयोजनों पर किए गए अतिरिक्त व्यय (बजट से अधिक राशि) निगम ने खर्चों में डालने की प्रणाली शुरू कर दी है । तदनुसार इस वर्ष के लिए खर्च की गई पूरी अतिरिक्त राशि को लाभ और हानि खातों में डेबिट किया गया है । नतीजतन ₹. 2.02 करोड़ (पूर्व के वर्षों से संबंधित) को इस वर्ष के लाभ हानि खाते में डेबिट किया है अगर इस राशि को वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया होता तो कुल हानि ₹. 2.02 करोड़ ((संदर्भित नोट संख्या 24 (बी) (आई)) से कम की होती ।

हमने कम्पनी के स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में शामिल 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय वक्तव्यों/सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय वक्तव्यों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2019 तक 350.47 करोड़ की कुल सम्पत्ति को प्रतिबिम्बित किया गया है और स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में विचार के रूप में, उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल राजस्व 983.74 करोड़ रुपए प्रतिबिम्बित किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचनाएँ शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई हैं, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी अब तक की राय है कि इन शाखाओं के सम्बन्ध में शामिल मात्रा और प्रकटीकरण केवल इस तरह के शाखाधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित हैं ।

हमारा मत इन मामलों के संबंध में सशर्त नहीं है

3. As stated in Note No. "4A" Rs. 18,74,45,684 is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly Invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but from the financial year 2017-18 onwards the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). Accordingly, the same treatment has been done in financial year 2018-19 also. the amount of Interest Rs. 1.20 Crores has been credited to other income, Had this Interest of Rs. 1.20 Crores not been Credited in profit and loss accounts, the loss would have been increased by Rs. 1.20 Crores.
4. As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2019 Rs. 9,50,00,000/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). From financial year 2017-18 onwards the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster). Accordingly, the same treatment has been done in financial Year 2018-19 also. the amount of Interest Rs. 0.61 Crores has been credited to other income, Had this Interest of Rs. 0.61 Crores not been Credited in profit and loss accounts, the loss would have been increased by Rs. 0.61 Crores.

Due to above total loss of the Corporation would have been lesser by an amount of Rs. 1.70 Crore

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and ICAI Code of Ethics . We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

(II) Other matter:

1. From the financial year 2018-19, onwards, the organization has started the system of charging excess expenditure (over and above the budgeted amount) incurred on exhibition/events. Accordingly, for this year, the whole excess amount spent has been debited to profit and loss account. As a result, an amount of Rs. 2.02 Crores (relating to earlier years) has been debited to profit and loss account in this year. Had this amount not been debited to profit and loss account, the loss would have been lesser by Rs. 2.02 Crores (referred note no. 24 (b)(i).
2. We did not audit the financial statements/information of 9 Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 350.47 crores as at 31st March, 2019 and total revenues of Rs. 983.74 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सुचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है अन्य जानकारी में जैसे प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण जानकारियां, बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन और बोर्ड के प्रतिवेदन का अनुलग्नक, व्यावसायिक जिम्मेदारी का प्रतिवेदन नैगमिक शासन और शेरधारकों का प्रतिवेदन शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अन्य जानकारी) शामिल नहीं है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करता है और हम पर किसी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, ध्यान रखना है कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अंकेक्षण में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होता है ।

हमने जो कार्य सम्पन्न किए हैं, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारियों में कोई महत्वपूर्ण गलत वर्णन है तब हमें “अन्य जानकारियों के संबंध में अंकेक्षण की जिम्मेदारी” में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार मामलों को उनको जो इसे प्रकाशित करते हैं, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी :

कम्पनी का निदेशक मण्डल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय समग्रनिष्पादन तथा रोकड़ अन्तःप्रवाह का एक सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है। इस जिम्मेदारी को कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन तथा उनका अनुप्रयोग करने; युक्तियुक्त व विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन करने; तथा पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की अभिकल्पना, समग्रान्वयन व उनका रखरखाव करने जो लेखाकरण अभिलेख की यथार्थता व सम्पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से समग्रधील थे, वित्तीय विवरण जो एक सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करते हैं तथा जिनमें किसी प्रकार का अयथार्थ विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, नहीं होता है, के लिए अधिनियम को तैयार किए जाने के अनुरूप पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन कंपनी की व्यवसाय जारी रखने संभावना का आकलन, प्रकृतिकरण, जैसा लागू हो, व्यवसाय जारी रखने के रूप में संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार तय करने के लिए उत्तरदायी हैं, जबतक प्रबंधन या तो निगम को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है ।

निदेशक मण्डल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख रेख के लिए भी जिम्मेदार है ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों लेखा परिक्षा के लिए लेखा परिक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलत वर्णन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है और एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह एक गारंटी नहीं है कि स्टैंडअलोन के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा महत्वपूर्ण गलत वर्णन, जबकि वे मौजूद हैं, का पता लगाएगा। गलत वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं एवं उन्हें महत्वपूर्ण माना जायेंगे यदि, व्यक्तिगत या समग्र रूप से इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित प्रभावित करने की उम्मीद रखते हैं।

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Company Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

एस एस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर निरपेक्षता को बनाये रखते हैं। हम भी:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत वर्णन की जोखिमों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि से हों, को पहचानना और उसका आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं की रचना एवं निष्पादन एवं हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त एवं उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना। किसी धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत वर्णन को न ढूँढ पाने की जोखिम, किसी गलती के परिणामस्वरूप होने वाले गलत वर्णन, से ज्यादा होती है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत अर्थ निरूपण या आंतरिक नियंत्रण को अधिभावी करना शामिल होता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन के व्यवसाय जारी रखने के आधार पर प्रयोग की गयी लेखांकन की उपयुक्त और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना, की क्या एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता, उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कंपनी की व्यवसाय जारी रखने संभावना पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में सम्बंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षण करना होगा, और यदि इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो हमारी राय को संशोधित करना। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से कंपनी की व्यवसाय जारी रखने संभावना समाप्त हो सकती है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के रूप में की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का प्रकटीकरण सहित मूल्यांकन करना था क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अर्न्तर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करे।

हमने अपने ऑडिट के दौरान, अन्य मामलों के बीच, ऑडिट की योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते जिसे हमने अपने ऑडिट के दौरान पहचाना है, को उनके साथ साझा किया है जो इसे प्रशासित करते हैं।

हम उन्हें जो इसे प्रशासित करते हैं, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के लिये जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर वहन करने में और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उन्हें सूचित किया है।

शासन से आरोपित मामलों से संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह समझते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के परिणाम से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने की उम्मीद की जाएगी।

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the qualified, consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

विधि तथा विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट्स

अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) ऊपर राय मत के आधार के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमने हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु यथावश्यकतानुसार हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुरूप सभी सूचनाएँ प्राप्त की हैं तथा उसके सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दिया है।

ख) ऊपर राय मत के आधार के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में विधि द्वारा यथावश्यकतानुसार कम्पनी को बही खातों का सही प्रकार से रखरखाव करना चाहिए जैसा कि इन बहियों के सम्बन्ध में हमारी जाँच से यह तथ्य उभर कर सामने आया है। और हमारे द्वारा नहीं देखी गई शाखाओं से हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए उचित प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।

ऊपर राय मत के आधार के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, अधिनियम की धारा 143 (8) के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय हमने उन रिपोर्टों का बारीकी से अवलोकन किया है।

ग) ऊपर राय मत के आधार के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि सम्बन्धी विवरण एवं रोकड़ अन्तःप्रवाह सम्बन्धी विवरण, जिसका इस रिपोर्ट में हमने अवलोकन किया है, हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बही खातों तथा प्राप्त रिटर्न के अनुरूप है।

घ) ऊपर राय मत के आधार के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि संबंधी विवरण और नगद प्रवाह विवरण कम्पनी (खाता) कंपनी एक्ट नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत निर्धारित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

ङ) दिनांक 31 मार्च, 2019 को निदेशकों से प्राप्त लिखित ज्ञापन के आधार पर और निदेशक मण्डल के रिकार्ड पर लिया गया, अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत निदेशकों की अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।

नैगमिक कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ङ), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत निदेशकों की अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

च) ऊपर राय मत के आधार के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियन्त्रणों की कार्यशील प्रभाविकता के सम्बन्ध में अनुलग्नक (ग) में अलग से प्रस्तुत की गई हमारी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

छ) कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :-

- i) निगम ने उसके वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति पर लम्बित वादों के प्रभाव का खुलासा किया है – देनदारों के लिए 16(ii) में सन्दर्भ नोट, 18(iii) पाद टिप्पणी, 18(vii) में पाद टिप्पणी, वित्तीय विवरण के 32 (1) (क) में सन्दर्भ नोट।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:

a) We have sought, the except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) Except for the possible effect of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us

The reports on the accounts of the branch offices of the Company audited under section 143(8) of the Act by the branch auditors have been sent to us and, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, have been properly dealt with by us in preparing this report.

c) Except for the possible effect of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the Balance Sheet, the statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and the statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of accounts.

d) In our opinion, subject to Basis of Qualified Opinion section in our report, the aforesaid, except for the possible effect of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the Balance Sheet, the statement of Profit and Loss & Cash Flow standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

e) On the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2019, and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2019, from being appointed as a director in terms of section 164(2) of the Act.

In terms of Notification No. G.S.R. 463(E) dated 05th June 2015 issued by the Government of India, the provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of directors, are not applicable to the Corporation.

f) Except for the possible effect of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure "C"

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note on account in 16(ii) for debtors, Refer Note on account in 18(iii) foot note, 18(vii) foot note, Refer Note on account in 32(1)(A) to the financial statements.

- ii) निगम के पास गौण संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं हैं इसलिए, यह अप्रयोज्य है।
- iii) यह पाया गया है कि अन्तरित धनराशि, जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में हस्तान्तरित किया जाना था, में विलम्ब से सम्बन्धित खण्ड अप्रयोज्य है।

कंपनीज अधिनियम (लेखा परिक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 के आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम 143 के उपनियम (11) के अनुसार, हम आदेश के पैरा तीन और चार में विनिर्दिष्ट मामलो पर परिशिष्ट – 'क' में दे रहे है ।

हम अधिनियम की धारा 143 (5) के बारे में नियंत्रक व भारत के महालेखा परिक्षा द्वारा जारी निदेशों तथा उपनिदेशों पर अनुपालन करते हुए अनुलग्नक 'ख' में विवरण दे रहे है ।

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
एफ आर संख्या: 007351N

ह/—
एन.के. गुप्ता
भागीदार
(एम. नं. 085713)

दिनांक: 18 दिसम्बर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन : 19085713AAAAAGF9267

- ii. The Corporation does not have any long term contracts including derivative contracts, hence, not applicable.
- III. It is found that clause relating to delay in transferring amount, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation is not applicable.

As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2016 ("the order") issued by the Central Government in the terms of section 143 (11) of the Act , we Give in Annexure "A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the order.

As required by the Directions/Sub Directions under Section143 (5) of the Companies Act, 2013, we give in "**Annexure B**", a report on compliance thereof.

Dated: 18th December, 2019
Place: New Delhi

For MANV & Associates
(Chartered Accountants)
F.R.No: 007351N

Sd/-
N.K.GUPTA
Partner:
(M No.085713)
UDIN : 19085713AAAAGF9267

स्वतंत्र लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अर्न्तगत "विधि" तथा विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ - II में संदर्भित देखें

क्र. सं.	विवरण	हमारा उत्तर
(i)	(क) क्या कम्पनी अचल परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा तथा उनकी स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित अभिलेखों का रखरखाव कर रही है।	नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा हमें प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार, इन कार्यालयों ने अचल परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा तथा उनकी स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है। जबकि निगम के मुख्यालय ने अभी तक पूर्ण विवरण दिखाते हुए, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति शामिल है, उचित अभिलेख बनाए जाने अभी बाकि है।
	ख) क्या युक्तियुक्त अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा इन अचल परिसम्पत्तियों की वास्तविक रूप से जाँच की गई है, क्या ऐसी जाँच के दौरान कोई वास्तविक अनियमितता पाई गई है और यदि हाँ, तो क्या उसे बही खातों में उचित तरीके से दर्शाया गया है।	नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा हमें प्रस्तुत लेखा परीक्षा विवरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान नियमित अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा अचल परिसम्पत्तियों को वास्तविक रूप से जाँच की गई है। हालाँकि, मुख्यालय में अचल परिसम्पत्तियों की वर्ष के दौरान नियमित अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा वास्तविक रूप से जाँच नहीं की गई है।
	ग) क्या अचल परिसम्पत्तियों के स्वत्व विलेखों को कम्पनी के नाम पर रखा जाता है। यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लेखा परीक्षा के दौरान हमने रा.ह.वि.नि. के नाम पर पंजीकृत फ्रीहोल्ड एवं लीज होल्ड भूमि के लीज डीड्स की जाँच की है। भूमि के अधिकार स्पष्ट हैं और निगम द्वारा उपरोक्त भूमि पर कोई भार नहीं बनाया गया है। यह बताया जाना है कि 21,63,293 रुपए वाली मुम्बई स्थित 221.70 वर्ग मीटर क्षेत्र के कार्यालय भवन उपयुक्त प्राधिकरण में उसके पंजीयन के लिए लम्बित है। अभिलेखों में 152.35 वर्ग मीटर वाले क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के भवन का हस्तान्तरण विलेख उपलब्ध है परन्तु सम्पत्ति का पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
(ii)	क्या प्रबन्धन द्वारा युक्तियुक्त अन्तराल पर इन्वेंटरी की वास्तविक रूप से जाँच की गई है और क्या कोई अनियमितताएँ पाई गई हैं और यदि हाँ, तो क्या उसे बही खातों में उचित तरीके से दर्शाया गया है।	जैसा कि हमें सूचित किया गया था, इन्वेंटरी की वास्तविक जाँच प्रबन्धन द्वारा नियमित अन्तराल पर की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की राय में आवृत्ति की जाँच युक्तियुक्त है तथापि, सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में सूत की खरीद तथा बिक्री आदि के लिए केवल दस्तावेजी अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है। उपयुक्त सामग्री के आवागमन से सम्बन्धित जानकारी लेखा परीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी।

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Referred to in paragraph II under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements
section of our report to the Members of National Handloom Development Corporation limited
of even date)

S. No.	PARTICULARS	Our Reply
(i)	(a) Whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.	As per the audit reports submitted to us by Auditors of 9 Regional Offices, these offices have maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Fixed Assets. Whereas Head Office of the Corporation has yet to maintain proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
	(b) Whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts.	As per the audit reports submitted to us by Auditors of 9 Regional Offices, Fixed Assets have been physically verified by the Management during the year at regular intervals. However, Fixed Assets at Corporate Office have not been physically verified by the Management during the year at regular intervals
	(c) Whether the title deeds of immovable properties are held in the name of the company. If not, provide the details thereof.	During the course of audit, we have verified the title deeds of free hold and lease hold land registered in the name of NHDC. The title of the land is clear and no encumbrance has been created by the Corporation on the above land. It is to be pointed out that the office building area 221.70 sq. meters, at Mumbai amounting to Rs. 2163293 is pending for registration with the appropriate authority. Conveyance deed of R.O. Kolkata Building area 152.35 sq. meters is available on records but registered documents of property not found.
(ii)	Whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether any material discrepancies were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account.	As informed to us, physical verification of inventory is conducted by the Management at regular intervals. In the opinion of Statutory Auditors of Regional Offices, the frequency of verification is reasonable. However, only the documentary records are maintained for purchase and sale of yarn etc. at the respective R.O. The physical movement of above material could not be shown to audit.

(iii)	<p>क्या कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज की गई अन्य कम्पनियों, फर्मों, अन्य पक्षकारों की सीमित देयता वाली साझेदारी फर्मों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का कोई ऋण दिया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।</p>	<p>कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में कवर की गई अन्य कम्पनियों, फर्मों, अन्य पक्षकारों की सीमित देयता वाली साझेदारी फर्मों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया है।</p>
	<p>(क) क्या ऐसे ऋण प्रदान करने से सम्बन्धित निबन्धन व शर्तें कम्पनी के हित में नहीं हैं।</p>	<p>लागू नहीं।</p>
	<p>(ख) क्या मूलधन के पुर्नभुगतान तथा ब्याज के भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई है तथा पुर्नभुगतान तथा प्राप्तियाँ नियमित हैं।</p>	<p>लागू नहीं।</p>
	<p>(ग) यदि राशि बकाया है तो नब्बे दिनों से अधिक समय से बकाया कुल राशि का उल्लेख करें और क्या मूलधन एवं ब्याज की वसूली के लिए कम्पनी द्वारा युक्तियुक्त कदम उठाए गए हैं।</p>	<p>लागू नहीं।</p>
(iv)	<p>क्या ऋण, निवेश, गारंटियों तथा प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है। यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।</p>	<p>लागू नहीं।</p>

(iii)	Whether the company has granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013, if so.	The company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnership of other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.
	(a) Whether the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest.	Not Applicable
	(b) Whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular.	Not Applicable
	(c) if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than ninety days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest.	Not Applicable
(iv)	In respect of loans, investments, guarantees and security whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with. If not, provide the details thereof.	Not Applicable

<p>(v)</p>	<p>यदि कम्पनी ने जमा राशि स्वीकार की है तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों, जो भी प्रयोज्य हों, का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो ऐसे उल्लघनों के स्वरूप का उल्लेख करें और क्या कम्पनी विधि बोर्ड अथवा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी अन्य अधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया गया है और क्या उसका अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?</p>	<p>कम्पनी ने किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है। इसके मद्देनजर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधान लागू नहीं होते हैं।</p>
<p>(vi)</p>	<p>क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव का निर्धारण किया गया है और क्या ऐसे लेखों और अभिलेखों को इस प्रकार तैयार किया जाता है और उनका रखरखाव किया जाता है।</p>	<p>निगम से यह अपेक्षित नहीं है कि वह लागत अभिलेखों का रखरखाव करे क्योंकि केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव का उल्लेख नहीं किया है।</p>
<p>(vii)</p>	<p>(क) क्या निगम भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उप कर तथा कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरण के पास जमा कर रही है। यदि नहीं तो सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि तक ऐसे कितने सांविधिक बकाया शेष जो कि देयता तिथि से 6 माह से अधिक पुराने बकाया हैं।</p>	<p>निगम स्रोत पर कटौती, भविष्य निधि एवं आयकर सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि को नियमित रूप से जमा करा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा तथा बिक्रीकर और जी.एस.टी को उपयुक्त प्राधिकरणों के पास जमा कराया जाता है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उप कर निगम के लिए लागू नहीं होते हैं।</p>

(v)	<p>In case, the company has accepted deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under, where applicable, have been complied with ? If not, the nature of such contraventions be stated, if an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not?</p>	<p>The Company has not accepted any deposits. In view of this the provisions of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act, 2013 does not apply.</p>
(vi)	<p>Whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub section (1) of Section 148 of the Companies Act 2013 and whether such accounts and records have been so made and maintained.</p>	<p>The Corporation is not required to maintain the cost records, as the Central Government has not prescribed to maintain cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013.</p>
(vii)	<p>(a) Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the day they became payable, shall be indicated.</p>	<p>The corporation is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund Income Tax including TDS. Employees' state insurance, Sales Tax & GST with the appropriate authorities. The payments of customs duty, excise duty and cess are not applicable to the Corporation.</p>

	<p>(ख) क्या बकाया राशि अथवा आयकर या बिक्री कर अथवा सेवा कर या सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है तब ऐसी राशि तथा उस न्यायाधिकरण, जहाँ विवाद लम्बित है, का उल्लेख करें (सम्बन्धित विभाग के समक्ष केवल प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने को विवाद नहीं माना जाएगा)।</p>	<p>निगम के अभिलेखों के अनुसार बिक्री कर, व्यावसायिक कर के सम्बन्ध में कोई भी अविवादित देय राशि लम्बित नहीं है। तथापि निगम के निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सांविधिक बकाया राशि की लम्बितता को बिक्री कर के समान दर्शाया है।</p> <p>1) क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी</p> <p>बिक्री कर – वित्त वर्ष 2010-11 के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण बिक्री कर कार्यालय लखनऊ द्वारा रु. 95.21 लाख के लिए उठाई गई माँग के खिलाफ सहायक आयुक्त, बिक्री कर, वाराणसी के समक्ष एक अपील लम्बित है।</p> <p>2) क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर</p> <p>वित्त वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए बिक्री कर विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बटूर द्वारा दावा किए गए कुछ छूट प्राप्त बिक्री राशि को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया गया था और रु. 53.88 लाख की माँग की थी। इस आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 11 दिसम्बर 2014 को इस मामले में किसी भी प्रकार की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी तथा बिक्री विभाग को इसके प्रत्युत्तर में जवाब दायर करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था जिसे लेखा परीक्षा की तारीख तक विभाग द्वारा दायर नहीं किया गया था।</p>
(viii)	<p>क्या कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार से लिए गए ऋण अथवा ऋण-पत्र धारकों के पास बकाया राशि के पुर्नभुगतान में चूक की है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि तथा रिपोर्ट की गई चूक की राशि (बैंक, वित्तीय संस्थान तथा सरकारी उधार प्रदान करने वाले संस्थान के सम्बन्ध में की गई चूक का ब्यौरा प्रस्तुत करें)।</p>	<p>लागू नहीं</p>

	<p>(b)Where dues or income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned (A mere representation to the concerned Department shall not be treated as a dispute).</p>	<p>According to the records of the Corporation, no undisputed amounts payable in respect of Sales Tax, Professional Tax is pending. However, the Statutory auditors of the under noted Regional Offices of the Corporation have indicated the pendency of the statutory dues like Sales Tax.</p> <p>1) Regional Office Varanasi</p> <p>Sales Tax-An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs.95.21 Lakhs the assessing authority Sales Tax office Lucknow for the financial year 2010-11.</p> <p>2) Regional Office Coimbatore</p> <p>For the Financial Year 2011-12 & 2012-13 the Sales Tax department arbitrarily rejected some of the exempted sales claimed by the R.O Coimbatore and raised a demand of Rs. 53.88 Lakhs. This order has been challenged by the R.O in the Hon'ble Madras High Court. The High Court granted the stay on any further proceeding in the matter on 11-12-2014 and gave 8 weeks' time to Sales Tax Department to file their counter, which they have not filed till the date of audit.</p>
(viii)	<p>Whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowing to a financial institution, bank, government or dues to debenture holders ? If yes, the period and the amount of default to be reported (in case of defaults to banks, financial institutions, and Government lender wise details to be provided).</p>	<p>Not Applicable.</p>

(ix)	क्या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा इसके आगे के सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के द्वारा प्राप्त की गई राशि तथा सावधि ऋण का प्रयोग प्रयोजनार्थ हुआ है। यदि नहीं, तो विलम्ब और चूक सहित सम्मिलित ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा तदनन्तर समाशोधन, यदि कोई हो, जो प्रयोज्य हो, का उल्लेख करें।	लागू नहीं
(x)	क्या वर्ष के दौरान कम्पनी अथवा कम्पनी के किन्हीं अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी ध्यान में लाई गई है अथवा उसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट की गई है; यदि हाँ, तो उसकी प्रकृति तथा उसमें निहित राशि का उल्लेख करें।	हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार जैसी सूचना और स्पष्टीकरण दिया गया, जैसा कि योग्यता के आधार पर राय के पैरा में वर्णित है, हमारे लिए यह संभव नहीं है कि टिप्पणी करें कि क्या यह एक धोखाधड़ी है या नहीं और यदि हां कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध है जो मामला सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत है, निगम के लखनऊ शाखा कार्यालय के संबंधित कर्मचारी भी निलंबित है।
(xi)	क्या कम्पनी अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है अथवा उसका प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित धनराशि तथा कम्पनी द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करें।	प्रबन्ध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान डीपीई द्वारा अनुमोदित आईडीए स्केल्स के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक सरकारी कम्पनी होने के कारण निगम को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 से छूट प्रदान की गई है।
(xii)	क्या निधि कम्पनी ने देयताओं को पूरा करने के लिए 1 : 20 के अनुपात में राशि जमा करने के लिए निवल स्वाधिकृत निधियों का अनुपालन किया है और क्या देयताओं को पूरा करने के लिए निधि नियमावली, 2014 में यथानिर्दिष्ट दस प्रतिशत अभारित सावधि जमाओं को पूरा किया जा रहा है।	लागू नहीं
(xiii)	क्या सम्बन्धित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और क्या वे प्रयोज्य हैं तथा प्रयोज्य लेखाकरण मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में उसका ब्यौरा दर्शाया गया है।	निगम की रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित पक्षकार से कोई लेनदेन नहीं है।

(ix)	Whether moneys raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans were applied for the purposes for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported.	Not Applicable.
(x)	Whether any fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year; if yes, the nature and the amount involved is to be indicated.	To the best of our knowledge and according to the information and explanation given to us, as described in Paragraph "On the basis of Qualified Opinion" above, it is not possible for us to comment on, whether, it is a Fraud or not, and if so, committed by the Company or on the Company by it's officer/employee has been committed as matter is under investigation with CBI and Central Vigilance Commission for Lucknow Office of the Company and concerned staff is also under suspension.
(xi)	Whether managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act ? If not, state the amount involved and steps taken by the company for securing refund of the same.	Remuneration to Managing Director has been paid as per IDA Scales approved by DPE. Further, the Corporation is being a Government Company is exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013.
(xii)	Whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability and whether ten percent unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability.	Not Applicable.
(xiii)	Whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc. as required by the applicable accounting standards.	There is no related party's transaction as reported by the Corporation.

<p>(xiv) क्या समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई वरीयता प्राप्त आवंटन किया है अथवा शेयरों का निजी रूप से नियोजन किया है अथवा डिबेंचरों का आंशिक रूप से परिवर्तन किया है और यदि हाँ, तो क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की आवश्यकता का अनुपालन किया गया है तथा उगाही गई राशि का उस प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग किया गया है। यदि नहीं, तो संलग्न राशि के सम्बन्ध में ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा गैर-अनुपालना की प्रकृति का भी ब्यौरा प्रस्तुत करें।</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>(xv) क्या कम्पनी ने निदेशकों अथवा उसके साथ सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकदी लेनदेन किया है और यदि हाँ, तो क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।</p>	<p>जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, निगम द्वारा निदेशकों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया गया है।</p>
<p>(xvi) क्या कम्पनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 (क) के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है और यदि हाँ, तो क्या पंजीकरण कराया गया है।</p>	<p>लागू नहीं</p>

दिनांक: 18 दिसम्बर, 2019

स्थान: नई दिल्ली

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

एफ आर संख्या: 007351N

ह/-

एन.के. गुप्ता

भागीदार

(एम. नं. 085713)

(xiv)	Whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review and if so, as to whether the requirement of section 42 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the amount raised have been used for the purposes for which the funds were raised. If not, provide the details in respect of the amount involved and nature of noncompliance.	Not Applicable.
(xv)	Whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of Section 192 of Companies Act, 2013 have been complied with	As reported, there is no non-cash transaction entered by the Corporation with the Directors.
(xvi)	Whether the company is required to be registered under Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and if so, whether the registration has been obtained.	Not Applicable.

Dated: 18th December, 2019

Place: New Delhi

**For MANV & Associates
(Chartered Accountants)**

F.R.No: 007351N

**Sd/-
N.K.GUPTA
Partner:
(M No.085713)**

स्वतंत्र लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – ग
(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समदिनांकित रिपोर्ट की धारा
“विधिक तथा विनियमन” की अन्य आवश्यकताओं पर रिपोर्ट्स के पैराग्राफ 1 (च) में
संदर्भित किया गया परिशिष्ट ‘ग’)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के क्लॉज (I) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च 2019 को वित्तीय रिपोर्ट पर एवं उस दिन कंपनी की हमारी ओर से आंकेक्षित वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण किया है।

(i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) के द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के दिशा निर्देश नोट में उल्लेखित आवश्यक मदों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मापदंड के अनुसार निगम के निदेशक मण्डल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा छल कपट व त्रुटियों को खोजने तथा अनियमितताओं को रोकने के लिए पर्याप्त लेखा नीतियों के चयन न्यायोजित व अनुमान लगाना, जो उचित व विवेकपूर्ण हो तथा डिजाईन, अनुपालन व पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव जो लेखा रिकार्ड्स के पूर्ण व परिशुद्धता हेतु प्रभावशाली प्रचालन कार्य कर रहे हो, जिससे वित्तीय विवरणियों को तैयार व प्रस्तुत किया जाये ताकि वित्तीय विवरणियों छल-कपट व त्रुटि के कारण मेटेरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्त हो, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता है।

(ii) लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के दिशा निर्देश नोट, आई.सी.ए.आई द्वारा जारी लेखा परीक्षक के मानक और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन समझे जानेवाले निर्धारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की सीमा तक लागू, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू एवं जो दोनों ही द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई) के द्वारा जारी किए गए हैं, के आधार पर की है। इन मानकों व दिशा निर्देश नोट की अपेक्षा है कि हम आवश्यकतानुसार इस अनुपालन व योजना को बनाए तथा लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर हम उचित आश्वासन देते हैं कि पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित तथा बनाए रखा गया है तथा सभी मेटेरियल में इस नियंत्रण का प्रभावशाली रूप से परिचालन किया जा रहा है।

लेखा परीक्षा की जाँच, परीक्षा के आधार पर राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं उनके संचालन की प्रभावशीलता की अभिव्यक्ति शामिल है। चयनित पध्दति में, लेखा परीक्षकों के निर्णयों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मिस-स्टेटमेंटों के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है। उन जोखिमों के निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा तैयार किये गये संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पध्दति पर तथा उचित वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए परिस्थिति के अनुसार उचित लेखा पध्दति का डिजाईन तैयार करने पर सही तथा क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पध्दति स्थापित की है तथा ऐसे नियंत्रण पर प्रभावशाली प्रचालन कर रही है। वित्तीय विवरणियों के छल-कपट के कारण मेटेरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिम का निर्धारण शामिल करके लेखा परीक्षा के निर्णय पर आश्रित कार्यविधि का चयन किया गया है।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर जो साक्ष्य लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त हुए हैं वे हमारी राय में लेखा परीक्षा के आधार हेतु वित्तीय विवरण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

ANNEXURE "C" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 1(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of **National Handloom Development Corporation Limited** of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause**(i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **National Handloom Development Corporation Limited** ("the Company") as of March 31, 2019 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Both applicable to the audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company.

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक का अभिप्रायः

सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाध्य लक्ष्यों हेतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने तथा विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में उचित सुनिश्चितता उपलब्ध करवाने में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को 1' डिजाईन किया गया है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की वो नीतियाँ व प्रक्रिया शामिल है जो 1) कंपनी के रिकॉर्ड के रखरखाव को कंपनी लेनदेन व परिसंपत्तियों के व्यय को सही व उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है । 2) सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने की उचित सुनिश्चितता प्रदान करने तथा प्रबंधक व कंपनी के निदेशक के प्राधिकरण के अनुरूप प्राप्ति व व्यय को तैयार करना तथा 3) अप्राधिकृत अर्जन का उपयोग व कंपनी की परिसंपत्तियों के व्यय की रोकथाम अथवा समयानुसार पता लगाने के बारे में उचित सुनिश्चितता उपलब्ध करवाना जिससे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर तात्त्विक प्रभाव पड़ सकता है।

(iv) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक की अंतरनिहित परिसीमा:

मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अधीभावी अनुचित प्रबंधन, अनियमताओं अथवा छल कपट तथा त्रुटियों के कारण मटीरियल मिसस्टेटमेंट को शामिल करके वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्त नियंत्रक की अंतरनिहित परिसीमा के कारण घटित हो सकता है जिसको पकड़ना मुमकिन नहीं है । भावी अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी मूल्यांकन के प्रकलन का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के जोखिम पर होगा जिस पर परिस्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण अपर्याप्त अथवा नीतियों या प्रक्रिया के अनुपालन की डिग्री से विकृत होगा ।

(v) योग्य राय:

हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में हमारी ऑडिट प्रक्रिया के आधार पर 31 मार्च, 2019, में निम्नलिखित मटीरियल की कमजोरी की पहचान की गई है ।

निगम अपने 9 क्षेत्रिय कार्यालयों के द्वारा, हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की आपूर्ति (क्रय – विक्रय) सुनिश्चित करता है जिसमें समय-समय पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा घोषित योजना के अनुसार मिलने वाली 10% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें भाड़ा सब्सिडी एवं डिपो शुल्क सम्मिलित) है।

वर्ष के अंकेक्षण के दौरान निगम के शाखा कार्यालय लखनऊ, जो क्षेत्रिय कार्यालय वाराणसी के अधीन है, ने वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के प्रारंभ में कुल रु. 385.04 करोड़ का क्रय-विक्रय बुक किया (क्रमशः नोट संख्या 17 (I) एवं 19 (III) का संदर्भ लें)

इसमें से रु. 190.82 करोड़ की खरीद एवं बिक्री बुकिंग के मात्र दो सप्ताह के भीतर ईआरपी लेखा प्रणाली से लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया एवं रद्द करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया । इस मामले को जांच हेतु सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी भेज दिया गया है।

योजना के अनुसार रु. 194.22 करोड़ की राशि के क्रय / विक्रय के लिए जिसकी सेवा शुल्क की धनराशि रु. 2.43 करोड़ (रु. 194.22 करोड़ का 1.25%) है, का निगम के द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है, यदि इस रु. 2.43 करोड़ के सेवा शुल्क का दावा कर लिया जाता, तो निगम को रु. 2.43 करोड़ से कम की हानि होती । इसके अतिरिक्त निगम ने सूत आपूर्ति योजना की दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोगी संस्थाओं को विक्रय मूल्य पर मिलने वाली इंसेंटिव को भी बुक नहीं किया है ।

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weakness have been identified as at March 31, 2019 as also pointed out in our Audit Report.

1. NHDC having "9" Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time

During the year under Audit the Company's Lucknow branch Office, which is under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the year amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of 2018- 19 (Refer Note No. 17(1) & 19 (III) respectively.

Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system within just two weeks of booking. Reasons for cancellation are not explained to us. Also, the matter has been referred to investigation agency CBI and Central Vigilance Commission.

For Remaining Sales/Purchase amounting to Rs. 194.22 Crore, the organization has not claimed any service charges amounting to Rs. 2.43 Crores (1.25% on Rs. 194.22 Crores) as per the scheme. Had this service charges of Rs. 2.43 Crores been claimed, the Loss would have been lesser by Rs. 2.43 Crores. Further organization has also not booked any incentives on the above sales, which is to be distributed to user agencies as per the YSS guidelines.

रु. 194.22 करोड़ जो कुल देनदारी (संदर्भ नोट सं. 13 (iv)) एवं लेनदारी (संदर्भ नोट सं. 5 (ii)) में दिखाया जा रहा है क्योंकि यह मामला सीबीआई एवं केन्द्रीय सर्तकता आयोग में जांच हेतु विचाराधीन है अतः हम देनदारों से प्राप्त होने वाली धनराशि और लेनदारों को देय धनराशि पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ।

01.03.2018 से 31.03.2018 तक की बिक्री

निगम के क्षेत्रीय कार्यालय-लखनऊ ने माह मार्च 2018 के दौरान निम्नानुसार, रु. 215.79 करोड़ की बिक्री बुक की;

01.03.2018 से 31.03.2018 तक बिक्री	रु० 215.79 करोड़
10% सब्सिडी की कुल राशि	रु० 21.58 करोड़
योजना के अनुसार सेवा प्रभार	रु० 1.08 करोड़
कुल दावे	रु० 22.66 करोड़

वर्ष 2018-19 में उपरोक्त के अनुसार रु. 22.66 करोड़ की राशि खातों में वापिस करी, यदि रु. 1.08 करोड़ का सेवा शुल्क खातों में वापस नहीं किया गया होता तो निगम को रु. 1.08 करोड़ से कम की हानि होती । इसके अतिरिक्त एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को रु. 18.15 करोड़ की सब्सिडी दे दी है भले ही भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

- जैसा कि टिप्पणी "4क" में उल्लेख किया गया है, रु.18,74,45,684 की राशि समग्र निधि के क्रेडिट (विपणन परिसर) में स्थायी है और परिणामस्वरूप इसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमाओं में निविष्ट किया गया है समग्र निधि (विपणन परिसर) की सावधि जमाओं पर 31 मार्च, 2017 तक अर्जित ब्याज को संबंधित समग्र निधि में क्रेडिट किया गया किंतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से सावधि जमा राशियों पर ब्याज को, समग्र निधि (विपणन परिसर) में क्रेडिट किए जाने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में ली गई है। तदनुसार यही प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी की गई, और ब्याज की राशि रु. 1.20 करोड़ को अन्य आय में जमा की गई, यदि इस ब्याज की धनराशि रु. 1.20 करोड़ को लाभ हानि खाते में क्रेडिट नहीं की जाती तो निगम की हानि रु. 1.20 करोड़ से बढ़ जाती ।
- 31.03.2019 के टिप्पणी संख्या सं. 4 (बी), के अनुसार, रु. 9.50,00,000/- समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा है वित्तीय वर्ष 2017-18 से सावधि जमा के ब्याज को समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) में क्रेडिट करने के बजाए निगम की ब्याज की आय में जमा की गई । तदनुसार 2018-19 में भी यही प्रक्रिया की गई और ब्याज की राशि रु. 0.61 करोड़ को अन्य आय में जमा की गई, यदि इस ब्याज की धनराशि रु. 0.61 करोड़ को लाभ हानि खाते में क्रेडिट नहीं की जाती तो निगम की हानि रु. 0.61 करोड़ से बढ़ जाती ।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 से, संगठन ने चार्जिंग की प्रणाली शुरू कर दी है प्रदर्शनी / आयोजनों पर किए गए अतिरिक्त व्यय (बजट से अधिक राशि) तदनुसार, इस वर्ष के लिए खर्च की गई पूरी अतिरिक्त राशि को लाभ और हानि के लिए डेबिट किया गया है लेखा। नतीजतन, रुपये की राशि। 2.02 करोड़ (पूर्व के वर्षों से संबंधित) पर डेबिट किया गया है इस वर्ष में लाभ और हानि खाता। इस राशि को लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया था, नुकसान रुपये से कम होगा। 2.02 करोड़ (संदर्भित नोट संख्या 24 (बी) (I) ।

This Rs. 194.22 Crores is being shown in total debtors (Refer Note No. 13 (iv) as well as Creditors (Refer Note No.5 (ii)). We cannot comment about the amount receivable from the debtors or payable to the creditor because the matter is under investigation with CBI and Central Vigilance Commission.

2. Sales From 01-03-2018 to 31-03-2018

The Company's Branch Office Lucknow has also booked Sales to the tune of Rs. 215.79 Crores during the month of March 2018, as detailed below:--

Sales From 01-03-2018 to 31-03-2018	Rs. 215.79 Crores
Total amount of 10% subsidy	Rs. 21.58 Crores
Service charge as per scheme	Rs. 1.08 Crores
Total Claims	Rs. 22.66 Crores

The above amount of Rs. 22.66 Crores has been reversed in financial year 2018-19. Had this service charges of Rs. 1.08 Crores not been reversed, the loss would have been lesser by Rs. 1.08 Crores. Further NHDC has released/dispensed Rs. 18.15 Crore as subsidy to the beneficiaries, even though the same is not received from Government of India.

- As stated in Note No. "4A" Rs. 18,74,45,684 is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly Invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but from the financial year 2017-18 onwards the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). Accordingly, the same treatment has been done in financial year 2018-19 also. The amount of Interest Rs. 1.20 Crores has been credited to other income, Had this Interest of Rs. 1.20 Crores not been Credited in profit and loss accounts, the loss would have been increased by Rs. 1.20 Crores.
- As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2019 Rs. 9,50,00,000/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster). From financial year 2017-18 onwards the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster). Accordingly, the same treatment has been done in financial Year 2018-19 also. The amount of Interest Rs. 0.61 Crores has been credited to other income, Had this Interest of Rs. 0.61 Crores not been Credited in profit and loss accounts, the loss would have been increased by Rs. 0.61 Crores.
- From the financial year 2018-19, onwards, the organization has started the system of charging excess expenditure (over and above the budgeted amount) incurred on exhibition/events. Accordingly, for this year, the whole excess amount spent has been debited to profit and loss account. As a result, an amount of Rs. 2.02 Crores (relating to earlier years) has been debited to profit and loss account in this year. Had this amount not been debited to profit and loss account, the loss would have been lesser by Rs. 2.02 Crores (referred note no. 24 (b)(i)).

6. तीसरी पी आर सी सिफारिशों के आधार पर रु. 4.35 करोड़ के वेतन बकायों (गत वर्ष 6.52 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। वित्तीय लेखों की टिप्पणी संख्या 7 के अनुसार, प्रावधानों का सृजन किया गया है किंतु लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक इनका भुगतान नहीं किया गया है।
7. निगम ने गत तीन वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में किए गए अधिकांश महत्वपूर्ण अवलोकनों पर कार्रवाई आरंभ की है। इन अवलोकनों पर अंतिम चरण पर पहुँचने के लिए कदम उठाया जाना निगम की लेखाकरण प्रणाली, वित्तीय नीति और आर्थिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। इस संबंध में इन्हें पुनः उद्धृत किया जाना अनावश्यक होगा।
8. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र निधि (कार्पस डवलपमेंट) के लिए टिप्पणी संख्या 6 की जांच करते हुए, अवलोकन किया गया है कि कार्यशील पूंजी के लिए क्लस्टरों की मांग को पूरा करने के लिए समग्र निधि को संवितरित किया गया है। निधियों के इन संवितरणों को अन्य जरूरतमंद क्लस्टरों के पक्ष में रिकवरी करके और पुनः वितरित करके आवर्तित किया जाना है। इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। लेखा परीक्षकों ने यह भी इंगित किया है कि समग्र निधि की कार्यशील पूंजी में कोई गतिविधि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, समग्र निधि के लिए शेष अभिपुष्टि की संख्या संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है।

एक भौतिक कमजोरी, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में एक कमी या कमियों का संयोजन है, इस तरह की उचित सम्भावना है कि कम्पनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों की सामग्री का गलत विवरण किसी समय के आधार पर रोका या पता नहीं किया जाएगा।

हमारी राय में, नियन्त्रण मानदण्डों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के प्रभाव/सम्भावित प्रभावों को छोड़कर, निगम ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लेखा परीक्षा के आवश्यक घटकों को देखते हुए सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली और इस तरह की आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियन्त्रण, 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था, निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदण्डों पर आन्तरिक नियन्त्रण के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रण किया है।

हमने निगम की दिनांक 31 मार्च, 2019 के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में लागू लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने वाली भौतिक कमजोरियों पर और ऊपर की गई रिपोर्टों पर विचार किया है और ये भौतिक कमजोरियां निगम के वित्तीय बयानों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
एफ आर संख्या: 007351N

ह/-
एन.के. गुप्ता
भागीदार
(एम. नं. 085713)

दिनांक: 18 दिसंबर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

6. Provision of Salary Arrears amounting to Rs. 4.35 Crores (Previous year Rs. 6.52 Crores) has been provided on account of 3rd PRC. As per note no. 7 of Financial Accounts, the provisions have been created but it's not paid till the date of finalization of accounts.
7. The Corporation has initiated action on many of the vital observations made in the audit reports of the previous three years. It would be in the greater interest of the betterment of the accounting system, financial policy and fiscal health of the Corporation to take steps to reach at the conclusive stage on those observations. It would be unnecessary to reiterate the same in this respect.
8. While scrutinizing note No.6 for Corpus fund (Corpus development) of the financial statements for Financial Year 2018-19, it is observed that Corpus fund have been disbursed to meet out their demands of clusters for working capital. These disbursements of the funds are to be recycled by making recovery and re-disbursing the same in favor of other needy clusters. Effective action in this regard is wanting. The Internal Auditor has also pointed out that there is no movement in the working capital of the Corpus fund. In addition to this number of balance confirmation for Corpus fund is not available at the respective offices.

A material weakness is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2019 financial statements of the Corporation, and these material weaknesses do not affect our opinion on the financial statements of the Corporation.

Dated: 18th December, 2019

Place: New Delhi

**For MANV & Associates
(Chartered Accountants)
F.R.No: 007351N**

**Sd/-
N.K.GUPTA
Partner:
(M No.085713)**

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा हमें जारी किए गए निर्देशों / उपनिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा की है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि हमने दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उपनिर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
एफ आर संख्या: 007351N

ह/—
एन.के. गुप्ता
भागीदार
(एम. नं. 085713)

दिनांक: 18 दिसंबर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2019 in accordance with the directions/Sub-directions to us by the C & AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and we certify that we have complied with all the directions/Sub-directions issued to us by submitting our report dated 18th December, 2019.

Dated: 18th December, 2019

Place: New Delhi

For MANV & Associates

(Chartered Accountants)

F.R.No: 007351N

Sd/-

N.K.GUPTA

Partner:

(M No.085713)

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के लेखों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रयोज्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन

क्र.सं.	प्रश्न-सूचि	प्रश्न-सूचि का उत्तर
1	क्या कंपनी ने आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखाकरण के लिए कोई प्रक्रिया अपना रखी है ? यदि वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ लेखाओं के समेकन पर आईटी प्रणाली के अलावा लेखाकरण के लेनेदेन की प्रक्रिया में किसी तरह की अन्यथा किसी तथ्य के बारे में उल्लेख किया गया है।	निगम में ईआरपी सिस्टम है और ईआरपी सिस्टम के माध्यम से वित्तीय लेन-देन दर्ज किए गए। कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो सभी लेखा लेन-देन को आईटी सिस्टम के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है।
2	क्या ऋण के भुगतान में कंपनी की किस देयता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किसी प्रकार के ऋण अथवा दिए गए ब्याज इत्यादि को बढ़े खाते डालने के मामले अथवा मौजूदा ऋण को किसी प्रकार पुनर्गठित किया गया है / यदि हाँ तो उसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	कंपनी द्वारा लिया गया ऋण का पुनर्गठन नहीं हुआ है या अन्य मामलों जैसे ऋणदाता द्वारा ऋण, कर्ज या ब्याज इत्यादि में छूट / बटटे खाते डालने जैसा कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्र अथवा राज्य सरकार की एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य विशिष्ट स्कीम से संबंधित निधि की उचित रूप से गणना की गई है या उसकी शर्तों के अनुसार इसका प्रयोग किया गया है। विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करिये।	केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धन उसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग / लेखांकन किया गया।

कृते एम ए एन वी एंड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
एफ आर संख्या: 007351N

ह/-
एन.के. गुप्ता
भागीदार
(एम. नं. 085713)

दिनांक: 18 दिसंबर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

Annexure - "B"

COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 APPLICABLE FOR THE FINANCIAL YEAR 2018-19 ON ACCOUNTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, GREATER NOIDA, U.P.

S. No.	Questionnaire	Reply of the Auditors
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transaction through IT? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implication, if any, may be stated.	Yes, The Company has ERP System to process all the accounting transactions. The company has adequate internal control system to process all the accounting transactions through IT system.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	There is no restructuring of loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. taken by the company.
3	Whether funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Funds received/ receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.

Dated: 18th December, 2019
Place: New Delhi

For MANV & Associates
(Chartered Accountants)
F.R.No: 007351N

Sd/-
N.K.GUPTA
Partner:
(M No.085713)

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन नियन्त्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो लेखा परिक्षा के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परिक्षा और अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित आश्वासन मानदंड पर आधारित बताया गया है। यह उनके द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 18 दिसंबर, 2019 जो पिछली ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के हटाने के बाद किया गया था।

मैंने, नियन्त्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की ओर से दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की धारा 143 (6) (अ) के अधीन अनुपूरक लेखा परिक्षा की है यह अनुपूरक लेखा परिक्षा सांविधिक लेखा परिक्षकों के वर्किंग कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा सांविधिक लेखा परिक्षकों के प्रश्नों और कंपनी कार्मिक एवं कुछ लेखा रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक मुख्यतः सीमित है।

अनुपूरक लेखा परिक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परिक्षा की रिपोर्ट पर, मेरे द्वारा दिए गए दो ऑडिट अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए किए गए आंकेक्षण रिपोर्ट में संशोधन के अतिरिक्त, मेरे ज्ञान में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक हों।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

ह./-

(कमलजीत सिंह रामवालिया)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड- II

नई दिल्ली

दिनांक: 6 जनवरी, 2020

स्थान: नई दिल्ली

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b)
OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM
DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019.**

The preparation of financial statements of the National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 Act. is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 18 December 2019 which supersedes their earlier Audit Report dated 31 October 2019 .

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have Conducted a supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the statutory auditor's report, to give effect to two of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Dated: 6th January 2020

Place: New Delhi

**Sd/-
(Kamaljit Singh Ramuwalia)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II
New Delhi.**

उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां

लेखाकरण परिपाटी :

सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए प्रयोज्य लेखाकरण मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अन्तर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए जाते रहे हैं।

स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

अधिप्राप्त/क्रय की गई परिसम्पत्तियों को क्रय मूल्य के आधार पर अभिलेख किया जाता है।

परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास एवं क्षति :

स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास सरल लेखा विधि से प्रभारित किया जाता है। ह्रास की गणना वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों में हुई वृद्धियों पर आनुपातिक आधार पर उस वर्ष में की गयी है। जिस वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों को उपयोग में लाया गया है। अधिग्रहीत की गयी ऐसी परिसम्पत्तियों पर 100% मूल्य ह्रास लगाया गया है। जिनका अलग-अलग मूल्य रु. 5000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) से अधिक नहीं है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में वर्णित परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्य ह्रास की गणना की गयी है।

ह्रास से जुड़े प्रत्येक तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों की लागत की जाँच की जाती है ताकि ह्रास सम्बन्धी हानि, यदि कोई हो, जिसके सम्बन्ध में कार्रवाई अपेक्षित हो अथवा पूर्ववर्ती अवधियों में जिसका निर्धारण किया गया हो, की जाँच की जा सके।

अनुदान :

सहायता अनुदान के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किया गया है तथा उन्हें तदनुसार सरकार से प्राप्त विशिष्ट अनुदानों में समायोजित किया जाता है। सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/प्राप्य राशि को उसके समग्र संग्रहण की निश्चिन्तता के मद्देनजर प्रोद्भूत आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इन्वेन्ट्रीज :

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत मूल्य पर अथवा निवल वसूली मूल्य, जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है। विक्रय वापसी के कारण अथवा अन्य किसी कारण मार्गस्थ माल को क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

बिक्री :

सूत, रंग एवं रसायन तथा वस्त्र की बिक्री उपभोक्ताओं को प्रेषित सामानों के मूल्य को दर्शाती है।

व्यय का वर्गीकरण :

सभी व्यय एवं आय का लेखाकरण स्वभाविक खाता शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है। जहाँ कहीं आवश्यक हुआ है, व्यय का आवंटन कार्यात्मक आधार पर किया गया है।

अतिदेय बिलों पर ब्याज:

अतिदेय बिलों पर ब्याज का प्रावधान, उनके साथ निर्णीत क्रेडिट की शर्तों के अनुसार, विलंबित भुगतानों के लिए किया गया है। अनिष्पाद्य अतिदेय ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

वित्तीय प्रभार:

रंगों और रसायनों के ग्राहकों पर लगाए गए वित्तीय प्रभारों को इनके अंतिम एकत्रण की अनिश्चितता के दृष्टिगत प्राप्ति आधार पर राजस्व के रूप में स्वीकृत किया गया है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

ACCOUNTING CONVENTIONS:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles, the provisions of Companies Act' 2013 and applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

FIXED ASSETS:

The assets acquired/ purchased are recorded on the basis of purchase value.

DEPRECIATION AND IMPAIRMENT OF ASSETS:

Depreciation on fixed Assets is charged on straight-line method. Depreciation is calculated on pro-rata basis on all additions made during the year in which the assets are put to use/ brought on charges. However, 100% depreciation is charged on the assets acquired during the year where individual cost does not exceed Rs.5000. Depreciation is calculated as per useful life of assets mentioned in Schedule – II of the Companies Act 2013.

The carrying amount of assets is tested at each Balance Sheet date for impairment so as to determine and provide for the impairment loss, if any, required or the reversal, if any, required for impairment loss recognized in previous periods.

GRANTS:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

INVENTORIES:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

SALES:

The sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics represent the value of goods dispatched to customers.

CLASSIFICATION OF EXPENDITURE:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

INTEREST ON OVERDUE BILLS:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

FINANCE CHARGE

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

सेवानिवृत्ति लाभों का लेखाकरण:

- (क) ग्रेच्युटी के लिए देनदारी का प्रावधान लेखाकरण मानक-15 के अनुसार बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- (ख) छुट्टी नकदीकरण से संबंधित देनदारी का प्रावधान लेखाकरण मानक-15 के अनुसार बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- (ग) छुट्टी यात्रा छूट की अनुमति निगम के नियमों के अनुसार दी गई है और इसे लेखों में उस वर्ष में दर्ज किया गया है जिसमें कर्मचारियों द्वारा ये अनुमतियां ली गई हैं।

पूर्व अवधि सम्बन्धी समायोजन :

पूर्व अवधि सम्बन्धी समायोजन वे समयोजन हैं जो मूलभूत भूल-चूक का अशुद्धि-शोधन किए जाने से पूर्व अवधियों के लिए प्रयोज्य होते हैं।

विकास कार्यों के लिए आरक्षित धन :

निगम द्वारा विकास कार्यों पर अपने स्रोत से किये गये व्यय तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से अधिक किये गये व्यय को विकास कार्यों के लिए आरक्षित कोष से सीधे प्रभारित किया गया है तथा जिसे निगम के लाभ में से विनियोजित किया गया है।

खण्ड लेखाकरण नीति :

खण्ड लेखाकरण नीतियाँ निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, खण्ड की रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का अनुसरण किया गया है :-

- (क) खण्ड राजस्व में खण्ड के साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञेय तथा आबंटित बिक्री व अन्य सम्मिलित हैं। जिसमें अंतर्खण्ड राजस्व को भी सम्मिलित किया गया है। कम्पनी की वह आय जो खण्डों में आबंटित नहीं है को अन्य गैर आबंटित आय की मद में रखा गया है।
- (ख) खण्ड परिणाम का निर्धारण करते समय खण्ड के साथ अप्रत्यक्षतः अभिज्ञेय/आबंटित खर्चों को भी ध्यान में रखा गया है। कम्पनी के ऐसे सम्पूर्ण खर्च जो खण्डों को आबंटित नहीं है उन्हें अन्य गैर आबंटित खर्चों की मद में रखा गया है।
- (ग) खण्ड परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में सीधे सम्बन्धित खण्डों के साथ अभिज्ञेय परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ शामिल हैं। अबंटनीय नैगमिक परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ उन परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को दर्शाती हैं जो समग्र रूप से निगम से सम्बन्धित हैं तथा जिन्हें किसी भी खण्ड में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

आय पर कर :

मौजूदा अवधि के लिए आय कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय तथा कर समंजन के आधार पर किया जाता है तथा जो निर्धारणों / अपीलों के सम्भावित निष्पादनों पर आधारित होता है।

आस्थगित कर का निर्धारण वर्ष विशेष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के मध्य के अन्तर के आधार पर किया जाता है तथा उसका परिकलन कर दरों एवं अधिनियमित विधियों अथवा तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित विशिष्ट विधियों के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का निर्धारण तथा उन परिसम्पत्तियों को तुलन पत्र में उस सीमा तक आगे अग्रेषित किया जाता है जोकि निश्चित रूप से युक्तियुक्त हों तथा जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के बदले पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

ACCOUNTING OF RETIREMENT BENEFITS:

- (a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.
- (b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.
- (c) Leave travel concession is allowed as per rules of the corporation and booked in accounts in the year in which it is availed by the employees.

PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

RESERVE FOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

SEGMENT ACCOUNTING POLICY:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

- a) Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments is included in "Other Un-allocable Income".
- b) Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments are included under "Other Un-allocable Expenditure".
- c) Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the corporation as a whole and not allocable to any segment.

TAXES ON INCOME:

Tax income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on the expected outcome of assessments/ appeals.

Deferred tax is recognized on timing difference between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date.

Deferred tax assets are recognized and carried forward to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2019 को तुलना-पत्रा (बैलेंस शीट)

विवरण	नोट सं.	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
1	2	3	4
I. इक्विटी एवं देयता			
1 अंशधारक की निधियाँ			
क) शेयर पूंजी	1	19,00,00,000	19,00,00,000
ख) रिजर्वस एवं अतिरेक	2	80,72,57,605	97,02,32,744
2 गैर मौजूदा देयताएं			
क) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	3	(2,26,62,983)	(2,56,68,842)
ख) अन्य दीर्घावधि देयताएं (समग्र)	4	78,51,15,586	82,54,69,560
3 मौजूदा देयताएं			
क) व्यापार देनदारियां	5	3,37,81,22,367	4,60,92,46,672
ख) अन्य मौजूदा देयताएं	6	66,75,34,234	65,16,89,518
ग) अल्पावधि प्रावधान	7	20,21,22,861	35,68,89,580
कुल		6,00,74,89,670	7,57,78,59,232
II. परिसंपत्तियां			
गैर मौजूदा परिसंपत्तियां			
1(क) नियत परिसंपत्तियां			
i) मूर्त परिसंपत्तियां	8	12,76,01,865	13,06,91,403
ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	9	1,18,40,225	1,45,13,824
ख) स्दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	10	3,67,778	3,68,278
ग) अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (समग्र)	11	78,51,15,586	82,54,69,560
2 मौजूदा परिसंपत्तियां			
क) इन्वेंट्रीज	12	2,27,64,433	99,98,237
ख) प्राप्य व्यापार	13	2,98,41,74,184	3,72,99,94,072
ग) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	14	87,19,08,728	1,02,03,21,541
घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	1,15,89,67,092	1,80,86,71,974
ड) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	16	4,47,49,779	3,78,30,343
कुल		6,00,74,89,670	7,57,78,59,232

नोट: 1 से 28 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलना-पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है ।

अंजलि यादव
कम्पनी सचिव

जितेन्द्र वी पुरोहित
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

संजीव दुआ
प्रबंध निदेशक
डी आई एन 08447827

संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डी आई एन 07722405

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अक्टूबर, 2019

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

ह/-

साझेदार : एन. के. गुप्ता
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2019

PARTICULARS	NOTE NO.	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
1	2	3	4
I. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholder's funds			
a) Share Capital	1	19,00,00,000	19,00,00,000
b) Reserves and Surplus	2	80,72,57,605	97,02,32,744
2 Non- current liabilities			
a) Deferred tax liabilities (Net)	3	(2,26,62,983)	(2,56,68,842)
b) Other long term liabilities (Corpus)	4	78,51,15,586	82,54,69,560
3 Current liabilities			
a) Trade payables	5	3,37,81,22,367	4,60,92,46,672
b) Other current liabilities	6	66,75,34,234	65,16,89,518
c) Short term provisions	7	20,21,22,861	35,68,89,580
TOTAL		6,00,74,89,670	7,57,78,59,232
II. ASSETS			
Non current assets			
1(a) Fixed Assets			
i) Tangible assets	8	12,76,01,865	13,06,91,403
ii) Intangible assets	9	1,18,40,225	1,45,13,824
b) Long term loans and advance	10	3,67,778	3,68,278
c) Other non current assets(Corpus)	11	78,51,15,586	82,54,69,560
2 Current assets			
a) Inventories	12	2,27,64,433	99,98,237
b) Trade receivable	13	2,98,41,74,184	3,72,99,94,072
c) Cash and cash equivalents	14	87,19,08,728	1,02,03,21,541
d) Short term loans and advances	15	1,15,89,67,092	1,80,86,71,974
e) Other current assets	16	4,47,49,779	3,78,30,343
TOTAL		6,00,74,89,670	7,57,78,59,232

Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Anjali Yadav
Co. Secretary

Jitendra V Purohit
DGM (F&A)/CFO

Sanjeev Dua
Managing Director
DIN - 08447827

Sanjay Rastogi
Chairman
DIN - 07722405

Date : 28th October, 2019

As per our Report of even date
For MANV & Associates
Chartered Accountants

Place : New Delhi
Date : 31st October, 2019

Sd/-
Partner : N.K Gupta
M.No. 085713
F.R.No. 007351N

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण

विवरण	नोट सं.	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए (01.04.2018 से 31.03.2019) (रु. में)	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए (01.04.2017 से 31.03.2018) (रु. में)
I. (क) कार्य संचालनों से प्राप्त राजस्व	17	9,50,93,58,715	27,26,14,72,913
(ख) यॉर्न आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान	17	32,80,61,998	1,49,56,89,561
II. अन्य आय	18	10,31,32,059	21,15,71,314
III. कुल राजस्व (I+II)		9,94,05,52,771	28,96,87,33,788
IV. व्यय:			
व्यापार में स्टॉक की खरीद	19	9,49,66,41,807	27,23,99,32,070
परिवहन/डिपो प्रभारों की प्रतिपूर्ति	20	24,03,58,992	90,23,15,064
व्यापार में इवेंट्रीज/स्टॉक में परिवर्तन	21	(1,27,66,196)	27,38,334
कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	22	23,49,67,171	29,20,07,599
वित्तीय लागत	23	-	-
अवमूल्यन और प्रतिशोधन व्यय	8 & 9	96,05,996	90,11,195
अन्य व्यय	24	11,07,86,181	15,29,43,527
कुल व्यय		10,07,95,93,952	28,59,89,47,789
V. आपवादिक, असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)		(13,90,41,181)	36,97,85,999
VI. आपवादिक मदें	25	90,62,276	1,01,75,389
VII. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	26	1,05,74,012	57,88,604
VIII. असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (V-VI-VII)		(15,86,77,468)	35,38,22,006
IX. असाधारण मदें			
X. कर पूर्व लाभ (VIII- IX)		(15,86,77,468)	35,38,22,006
XI. कर व्यय:			
1 मौजूदा कर (प्रावधान)	27	4,99,536	11,72,00,000
2 आस्थगित कर	3	30,05,859	8,47,504
XII. सतत कार्यसंचालन से अवधि के दौरान लाभ (हानि) (X - XI)		(16,21,82,863)	23,57,74,502
XIII. बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि		-	-
XIV. बंद कार्य संचालनों का कर संबंधी व्यय		-	-
XV. बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि (कर के भुगतान के पश्चात्) (XIII-XIV)		-	-
XVI. उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) (XII + XV)		(16,21,82,863)	23,57,74,502
XVII.(i) प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों से पूर्व)			
(1) मूलभूत		(-) 85.36	124.09
(2) डायल्युटेड		(-) 85.36	124.09
(ii) प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों के पश्चात्)			
(1) मूलभूत		(-) 85.36	124.09
(2) डायल्युटेड		(-) 85.36	124.09

नोट: 1 से 28 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलना-पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है।

अंजलि यादव
कम्पनी सचिव

जितेन्द्र वी पुरोहित
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

संजीव दुआ
प्रबंध निदेशक
डी आई एन 08447827

संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डी आई एन 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अक्टूबर, 2019

ह/-
साझेदार : एन. के. गुप्ता
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

PARTICULARS	NOTE NO.	For FY 2018-19 (01-04-2018 to 31-03-2019)(Rs.)	For FY 2017-18 (01-04-2017 to 31-03-2018) (Rs.)
I. (a)Revenue from operations	17	9,50,93,58,715	27,26,14,72,913
(b)Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme	17	32,80,61,998	1,49,56,89,561
II. Other Income	18	10,31,32,059	21,15,71,314
III. Total Revenue (I+II)		9,94,05,52,771	28,96,87,33,788
IV. Expenses:			
Purchases of stock in trade	19	9,49,66,41,807	27,23,99,32,070
Reimbursement of Transportation/depot charges	20	24,03,58,992	90,23,15,064
Changes in inventories/stock in trade	21	(1,27,66,196)	27,38,334
Employee benefits expenses	22	23,49,67,171	29,20,07,599
Finance costs	23	-	-
Depreciation and amortization expenses	8 & 9	96,05,996	90,11,195
Other expenses	24	11,07,86,181	15,29,43,527
Total Expenses		10,07,95,93,952	28,59,89,47,789
V. Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		(13,90,41,181)	36,97,85,999
VI. Exceptional items	25	90,62,276	1,01,75,389
VII. Corporate social responsibility (CSR) Expenses	26	1,05,74,012	57,88,604
VIII. Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII)		(15,86,77,468)	35,38,22,006
IX. Extraordinary Items			
X. Profit before tax (VIII- IX)		(15,86,77,468)	35,38,22,006
XI. Tax expense:			
1 Current Tax (Provision)	27	4,99,536	11,72,00,000
2 Deferred Tax	3	30,05,859	8,47,504
XII. Profit (Loss) for the period from continuing operations (X - XI)		(16,21,82,863)	23,57,74,502
XIII. Profit/loss from discontinuing operations		-	-
XIV. Tax expenses of discontinuing operations		-	-
XV. Profit/(loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)		-	-
XVI. Profit(Loss) for the period (XII + XV)		(16,21,82,863)	23,57,74,502
XVII.(i)Earnings per equity share (Before extra ordinary items)			
(1) Basic		(-) 85.36	124.09
(2) Diluted		(-) 85.36	124.09
(ii)Earnings per equity share (After extra ordinary items)			
(1) Basic		(-) 85.36	124.09
(2) Diluted		(-) 85.36	124.09

Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Anjali Yadav
Co. Secretary

Jitendra V Purohit
DGM (F&A)/CFO

Sanjeev Dua
Managing Director
DIN No. - 08447827

Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No.- 07722405

Date : 28th October, 2019

As per our Report of even date
For MANV & Associates
Chartered Accountants

Place : New Delhi
Date : 31st October, 2019

Sd/-
Partner : N.K Gupta
M.No. 085713
F.R.No. 007351N

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1 शेयर पूंजी

विवरण			31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
प्राधिकृत				
प्रत्येक 100/- रु. मूल्य वाले 20,00,000 इक्विटी शेयर (पूर्व वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर)		20,00,00,000		20,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रत्येक 100/- रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद राशि का भुगतान किया गया था तथा जो डीसीएच कार्यालय के जरिए भारत सरकार द्वारा धारित थे (पूर्व वर्ष प्रत्येक 100 रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर)	18,98,46,500		18,98,46,500	
प्रत्येक 100/- रु. मूल्य वाले 1,535 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद भुगतान नहीं किया गया था (कंपनी के निगमीकरण व्यय के बदले भारत के राष्ट्रपति को डीसीएच कार्यालय के जरिए आबंटित किए गए शेयर) पूर्व वर्ष प्रत्येक 100/- रु. मूल्य वाले 1535 इक्विटी शेयर	1,53,500	19,00,00,000	1,53,500	19,00,00,000
कुल		19,00,00,000		19,00,00,000

2 रिजर्वस तथा अतिरेक

विवरण			31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
(A) रिजर्वस				
(I) तुलन-पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व			24,61,630	24,61,630
वृद्धि: लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि लाभ और हानि			-	-
कमी: वर्ष के दौरान उपयोग			-	-
कुल(i)			24,61,630	24,61,630
(II) तुलन-पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व			95,57,902	101,89,606
वृद्धि: लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि लाभ और हानि			-	-
वृद्धि: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज			5,74,296	8,26,347
कमी: वर्ष के दौरान उपयोग			13,66,572	14,58,051
कुल(ii)			87,65,626	95,57,902
कुल(i+ii)			1,12,27,256	1,20,19,532
(ख) अधिशेष				
तुलन-पत्र के अनुसार			95,82,13,212	80,76,53,590
वृद्धि: लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि मौजूदा वर्ष में लाभ			(16,21,82,863)	23,57,74,502
कमी:				
प्रस्तावित लाभांश			-	7,08,00,000
नेगमिक कर लाभांश			-	1,44,14,880
विकास गतिविधि के लिए आरक्षित राशि को हस्तांतरित किया गया			-	-
सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंतरित की गई चिकित्सा निधि			-	-
अधिशेष (ख)			79,60,30,349	95,82,13,212
कुल (क+ख)			80,72,57,605	97,02,32,744
प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश			0.00	37.26

NOTES ON ACCOUNTS

1 SHARE CAPITAL

Particulars			As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
Authorized				
20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each		20,00,00,000		20,00,00,000
Issued, Subscribed & Paid-up				
18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year: '18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each)	18,98,46,500		18,98,46,500	
1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses (Previous year 1,535 equity shares of Rs. 100/- each)	1,53,500	19,00,00,000	1,53,500	19,00,00,000
TOTAL		19,00,00,000		19,00,00,000

2 RESERVES & SURPLUS

Particulars		As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
(A) RESERVES:			
(I) Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet		24,61,630	24,61,630
Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss		-	-
Less: Utilization during the year		-	-
Total(i)		24,61,630	24,61,630
(II) Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet		95,57,902	101,89,606
Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss		-	-
Add : Interest Earned during the year		5,74,296	8,26,347
Less: Utilization during the year		13,66,572	14,58,051
Total(ii)		87,65,626	95,57,902
Total(i+ii)		1,12,27,256	1,20,19,532
(B) SURPLUS			
As per last Balance sheet		95,82,13,212	80,76,53,590
Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss - Current year profit		(16,21,82,863)	23,57,74,502
Less:-			
Proposed Dividend		-	7,08,00,000
Corporate Tax on Dividend		-	1,44,14,880
Amount transferred to reserve for developmental activity		-	-
Transferred to post retirement medical corpus		-	-
SURPLUS(B)		79,60,30,349	95,82,13,212
TOTAL (A+B)		80,72,57,605	97,02,32,744
Proposed Dividend per Equity Share		0.00	37.26

3 आस्थगित कर देयता (निवल)

मौजूदा समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के घटक तथा आस्थगित कर देयता	31.03.2019 को	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (रु. में)	आस्थगित कर देयता (रु. में)
आस्थगित कर देयताएं		
लेखा बहियों के अनुसार अवमूल्यन योग्य परिसंपत्तियों का बही मूल्य तथा कर अवमूल्यन के अनुसार लिखित मूल्य का अंतर		64,24,646
समय का अंतर करने के लिए अन्य आस्थगित कर देयता		55,95,624
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
शंकायुक्त ऋण एवं अग्रिम आदि के लिए प्रावधान	1,52,47,907	
छुट्टी संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	1,87,84,923	
मृतक कर्मचारी योजना के लिए प्रावधान	2,42,357	
समय संबंधी अंतर के लिए अन्य आस्थगित कर परिसंपत्ति (वीआरएस)	4,08,066	
कुल	3,46,83,253	1,20,20,270
मौजूदा समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		(2,26,62,983)
पूर्व समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		(2,56,68,842)
मौजूदा समीक्षावधि के दौरान लाभ संबंधी विवरण के लिए प्रभारित निवल देयता/(परिसंपत्ति)		30,05,859

4 गैर मौजूदा देयता-अन्य दीर्घावधि देयताएं

I) अन्य दीर्घावधि देयता ;समग्रद्ध

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
(A) समग्र निधि (विपणन कॉम्प्लेक्स)		
क) भारत सरकार से प्राप्ति	8,25,80,850	8,25,80,850
ख) कमी: समायोजित/सरकार को वापस की गई धनराशि	4,81,58,949	4,81,58,949
ग) सरकार को प्रतिदेय मूल राशि (क-ख)	3,44,21,901	3,44,21,901
घ) समायोजनों सहित एजेंसियों से प्राप्त धनराशि	9,74,69,297	9,72,37,567
ड) कमी: एजेंसियों की ओर से कॉम्प्लेक्सों के लिए स्थान का अभिग्रहण/ अन्य व्यय आदि के लिए अदा की गई राशि	9,67,59,550	9,62,78,128
च) एजेंसियों को प्रतिदेय राशि (घ-ड)	7,09,747	9,59,439
छ) शेष (क-ख+घ-ड) या (ग+च)	3,51,31,648	3,53,81,340
ज) अर्जित लाभ में से विविध व्यय को घटाने के बाद राशि	15,23,14,036	15,23,14,036
कुल (छ+ज)	18,74,45,684	18,76,95,376

प्रारंभ में समग्र निधि (विपणन कॉम्प्लेक्स) लेखा में जमा करने के पश्चात् उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, जयपुर और नई दिल्ली में विपणन परिसर की एकमुश्त खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा 82580850/-रु. (पिछले वर्ष 82580850/-रु.) की निधि जारी की गई थी जिसका विपणन परिसरों की खरीद के लिए उपयोग कर लिया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 97469297/-रु. (पिछले वर्ष 97237567/-रु.) की राशि समग्र निधि में जमा कर दी गई है और विपणन परिसरों की स्थापना पर किए गए 96759550/-रु. (पिछले वर्ष 96278128/-रु.) का व्यय समग्र निधि से प्रभारित किया गया है। विविध व्यय, यदि कोई हो को समायोजित करने के पश्चात् 31 मार्च 2017 तक अव्ययित समग्र निधि से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज 152314036/-रु. को जमा कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 (पिछले वर्ष रु. शून्य) के दौरान, समग्र निधियों (विपणन परिसर) पर ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया है।

3 DEFERRED TAX LIABILITY (Net)

The break up of net deferred tax liability as at the end of current reporting period is as under:

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As on 31-03-2019	
	Deferred Tax Assets (Rs.)	Deferred Tax Liability (Rs.)
Deferred Tax Liabilities		
Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation		64,24,646
Other deferred tax liability giving rise to timing difference		55,95,624
Deferred Tax Assets		
Provision for doubtful debts and advances etc. based on Income Tax Rate of Provision	1,52,47,907	
Provision for leave salary	1,87,84,923	
Provision for Deceased Employee Scheme	2,42,357	
Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS)	4,08,066	
Total	3,46,83,253	1,20,20,270
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period		(2,26,62,983)
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of previous reporting period		(2,56,68,842)
Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period		30,05,859

4 NON CURRENT LIABILITIES – OTHER LONG TERM LIABILITIES

I) Other Long Term Liability (Corpus)

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
(A) Corpus Fund (Marketing Complex)		
a) Receipt from Govt. of India upto date	8,25,80,850	8,25,80,850
b) Less: Amount adjusted/ refunded to Govt. upto date	4,81,58,949	4,81,58,949
c) Principle amount refundable to Govt. (A-B)	3,44,21,901	3,44,21,901
d) Amount realized from agencies including adjustments upto date	9,74,69,297	9,72,37,567
e) Less: Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies upto date	9,67,59,550	9,62,78,128
f) Refundable to agencies (D-E)	7,09,747	9,59,439
g) Balance (A-B+D-E) or (C+F)	3,51,31,648	3,53,81,340
h) Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure upto date	15,23,14,036	15,23,14,036
Total (G+H)	18,74,45,684	18,76,95,376

Funds released by the Govt. of India amounting to Rs. 82580850 (Previous Year Rs. 82580850) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies, after initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs 97469297(Previous Year Rs 97237567) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs 96759550 (Previous Year Rs 96278128) has been charged to the corpus fund. The interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs. 152314036 till 31st March 2017 has been credited thereto. During the year 2018-19 (Previous Year- Nil) Interest has not been credited to the Funds (Marketing Complex)

रु. 306844 (पिछले वर्ष का रु. 306844) एजेंसी को जो वापस कर दिया गया था लेकिन इसको एजेंसियों से प्राप्त राशि समायोजन सहित के खाते में डेबिट करने के बजाय एजेंसियों की ओर से कॉम्प्लेक्स के लिए स्थान का अधिग्रहण / अन्य व्यय आदि के लिए अदा की गई राशि के खाते में डेबिट कर दिया गया था अब इसका समायोजन एवं सुधार कर लिया गया है ।

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
(ख) समग्र निधि (मेगा क्लस्टर)		
क) भारत सरकार से प्राप्ति	9,50,00,000	9,50,00,000
ख) अर्जित लाभ की राशि		3,21,75,213
ग) घटाएं: आय में स्थानांतरित करें		3,21,75,213
कुल	9,50,00,000	9,50,00,000

सरकारी निदेशों के अनुसार वाराणसी, शिवसागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद तथा प्रकाशम मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति के लिए 95000000/-रु. (पिछले वर्ष 95000000/-रु.) सरकार द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति करने के लिए किया गया है।

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
(ग) समग्र निधि (व्यापार सुविधा केंद्र)		
क) भारत सरकार से प्राप्ति	2,68,69,16,952	2,68,69,16,952
ख) समायोजन / सूसी प्रस्तुत की गई राशि और अन्य खर्चों अघतित	4,41,55,546	4,41,55,546
ग) अनुदान खाते में हस्तांतरित राशि	72,36,208	
घ) कुल (क-ख-ग)	2,64,99,97,614	2,64,27,61,406
ड) कमी: परियाजे ना प्रबंधन एजेंसी को अंतरित की गई राशि (एनबीसीसी)	2,60,31,08,724	2,60,31,08,724
च) कमी: आकिर्टवेट शुल्क अघतित (सिक्का)	3,71,94,772	3,71,94,772
शेष (घ-ड-च)	96,94,118	24,57,910

समायोजन की धनराशि जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य खर्च रु. 36919338 (पिछला वर्ष रु. 44155546), रु. 7236208 धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकारी अनुदान के खातों में समायोजन कर दिया गया ।

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
(घ) हैंडलूम पार्क, पोचमपल्ली		
क) केंद्रीय / राज्य से प्राप्ति	28,00,00,000	24,75,02,000
ख) वर्ष के दौरान प्राप्ति	1,00,00,000	3,24,98,000
ग) अर्जित ब्याज की राशि / कम व्यय	3,26,97,705	1,67,92,763
घ) भुगतान की ब्याज की राशि	2,72,54,320	1,09,14,424
ड) कुल (क+ख+ग-घ)	29,54,43,385	28,58,78,339
च) कम: पोचमपल्ली में स्थानांतरित राशि (अग्रिम भुगतान)	1,00,00,000	1,00,00,000
छ) कम: कच्चे माल के लिए स्थानांतरित राशि	1,00,00,000	75,00,000
शेष (ड-च-छ)	27,54,43,385	26,83,78,339

Rs.306844 (Previous Year Rs. 306844) has been refunded to agency but wrongly debited in Amount paid for acquisition of space /others expenses instead of Amount realized from agencies including adjustments. Now rectified.

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
(B) Corpus Fund (Mega Cluster)		
a) Receipt from Govt. of India upto date	9,50,00,000	9,50,00,000
b) Amount of interest earned		3,21,75,213
c) Less : transfer to income		3,21,75,213
Total	9,50,00,000	9,50,00,000

i) As per Government directives, the funds released by Govt. of India amounting to Rs. 9,50,00,000 (Previous Year Rs. 9,50,00,000) for supply of yarn to the Handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster.

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
(C) Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)		
a) Receipt from Govt. of India upto date	2,68,69,16,952	2,68,69,16,952
b) Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses up to date	4,41,55,546	4,41,55,546
c) Amount transferred to Grant account	72,36,208	
d) Total (A-B-C)	2,64,99,97,614	2,64,27,61,406
e) Less: Amount transferred to Project Management Agency upto date(NBC C)	2,60,31,08,724	2,60,31,08,724
f) Less : Architect fee upto date(SIKKA)	3,71,94,772	3,71,94,772
Balance (D-E-F)	96,94,118	24,57,910

Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses Rs 36919338(Previous Year Rs.44155546) Utilisation certificate for Rs.7236208 has been transferred to grant account,

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
(D) Pochampally for Handloom Park		
a)Receipt from Central / State	28,00,00,000	24,75,02,000
b)Receipt during the year	1,00,00,000	3,24,98,000
c)Amount of Interest earned/ Less Expenses	3,26,97,705	1,67,92,763
d)Amount of Interest paid	2,72,54,320	1,09,14,424
e)Total (A+B+C-D)	29,54,43,385	28,58,78,339
f) Less: Amount transferred to Pochampally (Advance paid)	1,00,00,000	1,00,00,000
g)Less: Amount transferred for Raw Material	1,00,00,000	75,00,000
Balance (E-F-G)	27,54,43,385	26,83,78,339

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
(ड) कार्पस फण्ड (हथकरघा सम्बर्धन सहायता योजना)		
क) भारत सरकार से प्राप्त राशि	12,06,72,180	12,06,72,180
ख) नोडल एजेंसियों से प्राप्त राशि	17,64,98,357	15,95,52,343
ग) अर्जित ब्याज की राशि	2,60,58,490	1,02,50,426
घ) कमी: राशि का भुगतान	10,56,96,628	1,85,37,014
योग (क+ख+ग-घ)	21,75,32,399	27,19,37,935
कुल योग (क+ख+ग+ड)	78,51,15,586	82,54,69,560

5 मौजूदा देयताएं – व्यापार देनदारियां

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
विविध लेनदार (एसएसआई इकाइयों को देय रु. 70332799/- शामिल है – पिछले वर्ष रुपये 1041453512/-)	3,20,21,07,278	4,51,40,46,140
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम राशि	17,60,15,089	9,52,00,531
कुल	3,37,81,22,367	4,60,92,46,672

संतुलन पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत में इस वर्ष के अंत तक की शेष राशि सभी लेनदारों तथा अन्य पक्षकारों को पुष्टि के लिए भेज दी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त की गई है-

विवरण	कुल		पुष्टि 31.03.2019 को प्राप्त हुई		31.03.2019 शेष राशि की पुष्टि का %	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.) %
बकाया राशि	409	3,20,21,07,278	177	39,57,60,940	43.28%	12.36
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम राशि	2111	17,60,15,089	385	3,54,26,449	18.24%	20.13

- ऊपर दर्शाए गए पुष्टि प्राप्त शेष राशि में वह राशि शामिल नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार का विवाद हो परंतु इसमें केवल वह शेष राशि शामिल है जहां अंतर/समाधान के कारण की गई प्रविष्टियां दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हों। वह शेष राशि जो पुष्टि के लिए लंबित है, उसकी नियत समय में समीक्षा की जाएगी और उसके संबंध में समाधान निकाला जाएगा तथा इस संबंध में समायोजन यदि कोई हो जिसकी इन मामलों में आवश्यकता हो, तो उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा।
- विविध लेनदारों में रु. 3202107278 (पिछले वर्ष रु. 4514046140) जिसमें रु. 1950792520 (पिछले वर्ष रु. शून्य) सूत क्रय की राशि शामिल है जो लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित है जिसका विवादित मामला हथकरघा आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय एवं केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं मुख्य सतर्कता विभाग के अधीन है।
- विविध लेनदारों में रु. 24989226 (पिछले वर्ष रु. 1005823484) की राशि शामिल है जो मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में 30 से अधिक दिनों के लिए से बकाया है तथा जो लघु उद्योग को देय है। उपर्युक्त लघु उद्योग वाले लेनदारों को देय राशि को उनके साथ किए गए करार के आधार पर रोक दिया गया है जिसमें उन्हें संबंधित लेनदारों से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही आगे का भुगतान किया जाएगा।

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
(E) Corpus Fund (Hathkargha Samverdhan Sahayata Yojna)		
a) Receipt from Govt. of India upto date	12,06,72,180	12,06,72,180
b) Receipt from Nodal agencies upto date	17,64,98,357	15,95,52,343
c) Amount of interest earned	2,60,58,490	1,02,50,426
d) Less : Amount Released	10,56,96,628	1,85,37,014
Total (A+B+C-D)	21,75,32,399	27,19,37,935
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	78,51,15,586	82,54,69,560

5 CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
Sundry creditors (Includes Rs.70332799/- payable to S.S.I units – Previous year Rs.1041453512/-)	3,20,21,07,278	4,51,40,46,140
Advance from customers/ others	17,60,15,089	9,52,00,531
Total	3,37,81,22,367	4,60,92,46,672

The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2019		% of Confirmation of balances as on 31-03-2019	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (%)
Creditors	409	3,20,21,07,278	177	39,57,60,940	43.28%	12.36
Advance from customers/ others.	2111	17,60,15,089	385	3,54,26,449	18.24%	20.13

- The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.
- Sundry Creditors of Rs.3202107278 (Previous year Rs.4514046140). Purchase sum of Rs 1950792520 (Previous year - Rs. Nil).relating to Lucknow Branch office which is under dispute of Govt. of India Ministry Of Textile office of Development Commissioner Handloom as matter is under Central Bureu of investigation/Chief Vigilance Commissioner
- Sundry Creditors includes a sum of Rs.24989226 (Previous year Rs. 1005823484) payable to Small Scale Industries, outstanding for more than 30 days as at the end of current reporting period. The amount due to creditors being small scale industries as above is based on the arrangement with them, wherein, the payment will be released to them after realization of the payment from the corresponding debtors.

iv) इसके अतिरिक्त ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन्हें धनराशि का भुगतान करने संबंधी कंपनी की कोई देनदारी हो और मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में 45 से अधिक दिनों से बकाया हों। यह सूचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट की जानी अपेक्षित है और यह निगम के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षकारों को अभिज्ञात करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेखा परीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा व्यक्त किया गया है।

6 मौजूदा देयताएं – अन्य मौजूदा देयताएं

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
प्रतिभूति जमा	1,06,13,722	1,06,13,722
सरकारी अनुदान/सहभागिता राशि	1,54,48,471	1,93,75,361
अवधारण राशि	3,41,649	3,41,649
अग्रिम राशि	14,54,763	7,02,763
समग्र निधि (क्लस्टर विकास)	16,56,09,697	16,16,09,697
परिवहन एवं डिपो को देय	41,93,42,211	43,91,71,289
अन्य देयताएं	5,47,23,722	1,98,75,038
कुल	66,75,34,234	65,16,89,518

i) सरकार अनुदान/ भागीदारी धन राशि 15448471 (पिछले वर्ष रु. 19375361) | रु. 271937935 की धनराशि हथकरघा संवर्धन सहायता योजना समग्र निधि खाते में हस्तांतरित की गयी।

विवरण	31.03.2018 को शेष राशि	समायोजन / वित्तीय वर्ष के लिए (एचएसएसवाई)	शेष राशि	वित्तीय वर्ष में प्राप्त / समायोजन और प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	31.03.2019 को शेष राशि
सरकार अनुदान/ भागीदारी धन राशि	29,13,13,296	27,19,37,935	1,93,75,361	39,26,890	1,54,48,471

7 मौजूदा देयताएं – अल्पावधि प्रावधान

विवरण	31.03.2018 को शेष राशि	वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	कुल	भुगतान/ उपयोग प्रभारित	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	31.03.2019 को शेष राशि
आय कर	11,72,00,000	-	11,72,00,000	11,76,99,536	4,99,536	-
प्रोद्भूत छुट्टी	7,90,34,262	73,91,880	8,64,26,142	1,40,03,281	-	7,24,22,861
उपदान दायित्व के लिए प्रावधान	3,32,40,438	-	3,32,40,438	3,32,40,438	-	-
अनुग्रह राशि का प्रावधान	2,10,00,000	1,50,00,000	3,60,00,000	2,10,00,000	-	1,50,00,000
प्रस्तावित लाभांश	2,08,00,000	-	2,08,00,000	2,08,00,000	-	-
प्रस्तावित लाभांश पर नैगमिक टैक्स	1,44,14,880	-	1,44,14,880	1,44,14,880	-	-
वेतन बकाए के लिए प्रावधान (संशोधित भुगतान)	7,12,00,000	4,35,00,000	11,47,00,000	-	-	11,47,00,000
	35,68,89,580	6,58,91,880	42,27,81,460	22,11,58,135	4,99,536	20,21,22,861

i) मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश रु. शून्य (पूर्व वर्ष रु. 37.26) है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

संशोधित एएस-15 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित मौजूदा दायित्व मूल्य के आधार पर छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए दायित्व को मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है। छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के संबंध में परिभाषित लाभ दायित्व के अर्थ शेष एवं अंत शेष का समाधान नीचे दिया गया है:-

- iv) Besides above, there are no micro and small enterprises, to whom the company owes dues which are outstanding for more than 45 days as at the end of current reporting period. This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and has been determined to the extent such parties had been identified on the basis of information available with the corporation. This has been relied upon by the auditors.

6 CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
Security deposits	1,06,13,722	1,06,13,722
Govt. grants/participation money	1,54,48,471	1,93,75,361
Retention money	3,41,649	3,41,649
Earnest money	14,54,763	7,02,763
Corpus fund (Cluster development)	16,56,09,697	16,16,09,697
Transportation and depot payable	41,93,42,211	43,91,71,289
Other Liabilities	5,47,23,722	1,98,75,038
Total	66,75,34,234	65,16,89,518

- i) Govt. grants/participation money Rs 15448471 (Previous year Rs.19375361). Amount of Rs 271937935 has been transferred to HSSY Corpus

Particulars	Balance as on 31-03-2018	Adjusment / Transfer during the year (HSSY)	Balance	Addition/ Adjusment & UC submitted during the year	Balance as on 31-03-2019
Govt. grants/participation money	29,13,13,296	27,19,37,935	1,93,75,361	39,26,890	1,54,48,471

7 CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS

Particulars	Balance as on 31-03-2018	Addition during the year	Total	Payment/ utilization/ charged off	Written back during the year	Balance as on 31-03-2019
Income tax	11,72,00,000	-	11,72,00,000	11,76,99,536	4,99,536	-
Accrued leave	7,90,34,262	73,91,880	8,64,26,142	1,40,03,281	-	7,24,22,861
Provision for gratuity liability	3,32,40,438	-	3,32,40,438	3,32,40,438	-	-
Provision for ex-gratia	2,10,00,000	1,50,00,000	3,60,00,000	2,10,00,000	-	1,50,00,000
Proposed dividend	2,08,00,000	-	2,08,00,000	2,08,00,000	-	-
Corporate tax on proposed dividend	1,44,14,880	-	1,44,14,880	1,44,14,880	-	-
Provision for Salary Arrears (pay revision)	7,12,00,000	4,35,00,000	11,47,00,000	-	-	11,47,00,000
	35,68,89,580	6,58,91,880	42,27,81,460	22,11,58,135	4,99,536	20,21,22,861

- i) The Proposed dividend per equity share for the current reporting period is Rs Nil (Previous year Rs. 37.26).
ii) Defined Benefit Plan

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

The reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation in respect of leave encashment and gratuity is as below:-

विवरण	छुट्टी नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	7,90,34,262	10,91,61,426
वृद्धि: अन्य पीएसयू से नए ज्वाइनी आदि से प्राप्त राशि।	-	-
वृद्धि: मौजूदा वर्ष के खर्चों के लिए प्रभारित करके उपलब्ध कराई गई राशि	73,91,880	-
कमी: अतिरिक्त प्रावधान वर्ष के दौरान वापस लिखा	-	2,17,22,254
कमी: लाभ का भुगतान/एन भुनाई गई छुट्टी	1,40,03,281	84,04,910
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	7,24,22,861	7,90,34,262

विवरण	ग्रेज्युटी	
	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए
एलआईसी के साथ साल की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	14,48,47,445	11,31,35,242
वृद्धि: योजना एसेट पर वास्तविक वापसी	88,69,426	83,09,523
वृद्धि: वर्ष के दौरान एलआईसी को दिया गया अंशदान	1,35,859	-
कमी: एलआईसी द्वारा अदा किया गया लाभ/निपटारा गया दावा	1,14,73,207	1,18,66,539
एलआईसी के साथ साल के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	14,23,79,523	10,95,78,226
वृद्धि : ग्रेज्युटी फंड के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान	-	3,52,69,219
कमी: भावी समायोजन के लिए एलआईसी के साथ वाले ग्रेज्युटी न्यास में जमा की गई राशि	-	-
कमी: वापस लिखी गई ग्रेज्युटी निधि के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान	29,83,351	-
प्रावधान के पश्चात् वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	13,93,96,172	14,48,47,445

Particulars	LEAVE ENCASHMENT	
	For FY 2018-19	For FY 2017-18
Defined benefit obligation at the beginning of the year as per actuarial valuation	7,90,34,262	10,91,61,426
Add: Amount received from new joinee etc. from other PSU	-	-
Add: Amount provided by charging to current year's expenses	73,91,880	-
Less: Excess Provision written back during the year	-	2,17,22,254
Less : Benefit paid/ leaves en-cashed	1,40,03,281	84,04,910
Defined benefit obligation at year end	7,24,22,861	7,90,34,262

Particulars	GRATUITY	
	For FY 2018-19	For FY 2017-18
Defined benefit obligation at the beginning of the year with LIC	14,48,47,445	11,31,35,242
Add : Actual Return on Plan Asset	88,69,426	83,09,523
Add : Contribution paid to LIC during the year.	1,35,859	-
Less : Benefit paid/ claim settled by LIC	1,14,73,207	1,18,66,539
Defined benefit obligation at year end with LIC.	14,23,79,523	10,95,78,226
Add : Further provision made against contribution towards Gratuity fund.	-	3,52,69,219
Less : Deposit with Gtaruuity Trust lying with LIC for future adjustment.	-	-
Less : Excess provision made against contribution towards Gratuity fund written back	29,83,351	-
Defined benefit obligation at year end after provision.	13,93,96,172	14,48,47,445

8 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां – वास्तविक परिसंपत्तियां

विवरण	मौजूदा समीक्षाधन अवाधि के लिए											पूर्व समीक्षाधीन अवाधि के लिए	
	भूमि	भवन	फर्नीचर एवं फिक्स्ड	कार्यालय एवं विधुत उपकरण	विधुत उपकरण एवं अधिष्ठापन	कार्यालय उपकरण	कार्यशाला उपकरण	वाहन	कंप्यूटर एवं डाटा प्रक्रमण ईकाई	कंप्यूटर एवं सर्वर्स एवं नेटवर्क्स	कुल		
सकल खंड													
वर्ष की शुरुआत में	7,59,09,184	3,53,38,192	1,30,01,272	2,73,467	2,23,73,279	88,31,300	4,12,455	40,13,084	99,10,096	24,52,719	17,25,15,048	16,44,42,825	
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	-	2,62,500	3,27,595	-	4,46,746	3,16,290	8,385	10,62,604	6,23,495	-	30,47,615	88,11,428	
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-	(37,459)	-	-	(53,098)	-	(7,00,230)	(83,500)	-	(8,74,287)	(91,05,382)	
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,66,177	
वर्ष के अंत में	7,59,09,184	3,56,00,692	1,32,91,408	2,73,467	2,28,20,025	90,94,492	4,20,840	43,75,458	1,04,50,091	24,52,719	17,46,88,376	17,25,15,048	
मूल्य हास													
वर्ष की शुरुआत में	-	1,03,40,880	60,48,963	2,60,880	73,24,871	53,19,324	2,08,971	21,88,080	78,44,838	22,86,835	4,18,23,642	3,69,67,707	
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	-	(36,942)	-	-	(50,470)	-	(5,58,796)	(79,319)	-	(7,25,527)	(36,88,578)	
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,74,706	
वर्ष के दौरान मूल्य हास (रिजर्व एवं अधिशेष में किया गया अंतरण)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वर्ष के दौरान मूल्य हास (लाम एवं हानि खाते में किया गया अंतरण)	-	5,24,493	9,26,397	2,536	20,08,715	9,49,649	45,937	4,34,337	10,14,445	81,886	59,88,396	54,69,810	
वर्ष के अंत में	-	1,08,65,373	69,38,419	2,63,416	93,33,586	62,18,503	2,54,908	20,63,621	87,79,964	23,68,721	4,70,86,511	4,18,23,645	
निवल खंड													
वर्ष की शुरुआत में	7,59,09,184	2,49,97,312	69,52,309	12,587	1,50,48,408	35,11,976	2,03,484	18,25,004	20,65,258	1,65,884	13,06,91,406	12,74,75,118	
वर्ष के अंत में	7,59,09,184	2,47,35,319	63,52,989	10,051	1,34,86,439	28,75,989	1,65,932	23,11,837	16,70,127	83,998	12,76,01,865	13,06,91,403	

(i) नियत परिसंपत्तियों में मुंबई स्थित कार्यालय भवन, सुंपत्ति की लंबित अंतरण औपचारिकता तथा उपयुक्त प्राधिकरणों में किया गया पंजीकरण शामिल है जिसकी लागत रु. 2163293 (पिछले वर्ष रु. 2163293) है तथा जिसके संबंध में कब्जा ले लिया गया है परंतु उक्त परिसंपत्तियों को प्रौढमूत होने पर पंजीकरण प्रभार अधिरोपित किया जाएगा ।

(ii) किसी परिसंपत्ति का बिगड़ी हुई अवस्था में जब समझा जाता है जब उस परिसंपत्ति की वहनीय लागत उसके प्राय मूल्य से अधिक होती है। उस परिसंपत्ति की खराब संबंधी हानि को उस वर्ष के लाम और हानि संबंधी विवरण में दर्शाया गया है जिस वर्ष में उस परिसंपत्ति की खराब होने की पहचान की जाती है। वर्ष के अंत में निगम के बही खातों में दर्शाई जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्य वह है जो उनमें दर्शाया गया है तथा किसी प्रकार की खराबी, यदि कोई हो तो उसे, तुलन पत्र के नोट 25 में दर्शाया गया है ।

8 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Rs.)

Items	For the current reporting period										For the previous reporting period			
	Land	Building	Furniture & Fixture	Office and Electrical Equipments	Electrical Equipment and Installation	Office Equipment	Laboratory Equipments	Vehicle	Computer & Data processing Units	Servers & Networks		TOTAL		
GROSS BLOCK														
As at beginning of the year	7,59,09,184	3,53,38,192	1,30,01,272	2,73,467	2,23,73,279	88,31,300	4,12,455	40,13,084	99,10,096	24,52,719	17,25,15,048	16,44,42,825		
Addition during the year	-	2,62,500	3,27,595	-	4,46,746	3,16,290	8,385	10,62,604	6,23,495	-	30,47,615	88,11,428		
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	(37,459)	-	-	(53,098)	-	(7,00,230)	(83,500)	-	(8,74,287)	(91,05,382)		
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,66,177		
As at end of the year	7,59,09,184	3,56,00,692	1,32,91,408	2,73,467	2,28,20,025	90,94,492	4,20,840	43,75,458	1,04,50,091	24,52,719	17,46,88,376	17,25,15,048		
DEPRECIATION														
As at beginning of the year	-	1,03,40,880	60,48,963	2,60,880	73,24,871	53,19,324	2,08,971	21,88,080	78,44,838	22,86,835	4,18,23,642	3,69,67,707		
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	(36,942)	-	-	(50,470)	-	(5,58,796)	(79,319)	-	(7,25,527)	(36,88,578)		
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,74,706		
Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Depreciation during the year (Transfer to Profit and Loss account)	-	5,24,493	9,26,397	2,536	20,08,715	9,49,649	45,937	4,34,337	10,14,445	81,886	59,88,396	54,69,810		
As at end of the year	-	1,08,65,373	69,38,419	2,63,416	93,33,586	62,18,503	2,54,908	20,63,621	87,79,964	23,68,721	4,70,86,511	4,18,23,645		
NET BLOCK														
As at beginning of the year	7,59,09,184	2,49,97,312	69,52,309	12,587	1,50,48,408	35,11,976	2,03,484	18,25,004	20,65,258	1,65,884	13,06,91,406	12,74,75,118		
As at end of the year	7,59,09,184	2,47,35,319	63,52,989	10,051	1,34,86,439	28,75,989	1,65,932	23,11,837	16,70,127	83,998	12,76,01,865	13,06,91,403		

(i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs.2163293 (Previous year Rs.2163293) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred

(ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in the Note 25 to the balance sheet.

9 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां – अवास्तविक परिसंपत्तियां

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	
	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु.)	पूर्ववर्ती समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु.)
सकल खंड		
वर्ष की शुरुआत में	2,14,27,867	2,12,58,320
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	9,44,000	24,40,547
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	-	22,71,000
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में	2,23,71,867	2,14,27,867
मूल्य ह्रास		
वर्ष के शुरुआत में	69,14,042	35,15,729
वर्ष के दौरान समायोजन	-	1,43,073
वर्ष के दौरान अंतरण	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास	36,17,600	35,41,387
वर्ष के अंत में	1,05,31,642	69,14,043
निवल खंड		
वर्ष के शुरुआत में	1,45,13,825	1,77,42,591
वर्ष के अंत में	1,18,40,225	1,45,13,824

10 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां – लंबी अवधि के और अग्रिम

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
प्रतिभूति जमा	3,67,778	3,68,278
कुल	3,67,778	3,68,278

11 अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां (समग्र)

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
(क) समग्र निधि का नियोजन (विपणन परिसर)	18,74,45,684	18,76,95,376
(ख) समग्र निधि का नियोजन (मेगा क्लस्टर)	9,50,00,000	9,50,00,000
(ग) समग्र निधि का नियोजन (व्यापार सुविधा केंद्र)	96,94,118	24,57,910
(घ) समग्र निधि का नियोजन (पोचमपल्ली)	27,54,43,385	26,83,78,339
(ङ) समग्र निधि का नियोजन (हथकरघा सम्वर्धन सहायता योजना)	21,75,32,399	27,19,37,935
कुल	78,51,15,586	82,54,69,560

उपरोक्त समग्र निधि, सावंधि जमा खाते और चालू खाते में है ।

9 NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

Particulars	Computer Software	
	For the current reporting period (Rs.)	For the previous reporting period (Rs.)
GROSS BLOCK		
As at beginning of the year	2,14,27,867	2,12,58,320
Addition during the year	9,44,000	24,40,547
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	22,71,000
Transfer to during the year	-	-
As at end of the year	2,23,71,867	2,14,27,867
DEPRICIATION		
As at beginning of the year	69,14,042	35,15,729
Adjustment during the year	-	1,43,073
Transfer to during the year	-	-
Transfer to general reserve	-	-
Depreciation during the year	36,17,600	35,41,387
As at end of the year	1,05,31,642	69,14,043
NET BLOCK		
As at beginning of the year	1,45,13,825	1,77,42,591
As at end of the year	1,18,40,225	1,45,13,824

10 NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
Security Deposit	3,67,778	3,68,278
TOTAL	3,67,778	3,68,278

11 OTHER NON CURRENT ASSETS (CORPUS)

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
(A) Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes)	18,74,45,684	18,76,95,376
(B) Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster)	9,50,00,000	9,50,00,000
(C) Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)	96,94,118	24,57,910
(D) Deployment of Corpus Fund Pochampally	27,54,43,385	26,83,78,339
(E) Hathkargha Samverdhan Sahayeta Yojna	21,75,32,399	27,19,37,935
TOTAL	78,51,15,586	82,54,69,560

The above Deployment of Corpus funds are in fixed deposit and current account.

12 मौजूदा परिसंपत्तियां – इन्वेंट्रीज

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
(प्रबंधन द्वारा यथा उल्लिखित, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)		
– स्टॉक-इन-ट्रेड – लागत पर (अप्रचलन के कारण कम लिखा गया) अथवा निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो .	2,27,64,433	99,98,237
परिवहन माल	-	-
कुल	2,27,64,433	99,98,237

13 मौजूदा परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
विविध देनदार (असुरक्षित)		
i) छह महीनों में		
– अच्छे माने गए	2,56,80,32,756	14,53,93,714
– संदिग्ध माने गए	4,56,77,106	3,91,95,817
	2,61,37,09,862	18,45,89,531
– घटाए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान”	(-) 4,56,77,106	2,56,80,32,756 (-) 3,91,95,817
		14,53,93,714
ii) अन्य (अच्छे माने गए)	41,61,41,428	3,58,46,00,358
कुल	2,98,41,74,184	3,72,99,94,072

- i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। मौजूदा समीक्षावधि के अंत में बची शेष राशि को सभी व्यापार प्राप्यों को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है, तथापि पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है:-

विवरण	कुल		पुष्टि 31.03.2019 को प्राप्त हुई		31.03.2019 को शेष राशि की पुष्टि का %	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.) %
व्यापार स्वीकार योग्य	1099	3,02,98,51,290	258	10,49,73,828	23.48%	3.46

उपर्युक्त पुष्टि की गई शेष राशि में वह राशि शामिल नहीं है जहां किसी प्रकार का विवाद हो परंतु उसमें केवल वह शेष राशि शामिल है जहां दोनों पक्षकारों को अंतर/समाधान के कारण की गई प्रवृत्तियां स्वीकार्य हो। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की यथा समय समीक्षा की जाएगी तथा उसका समाधान किया जाएगा एवं समायोजन, यदि कोई हो, जो इन मामलों में अपेक्षित हो, का यथाशीघ्र समाधान कर दिया जाएगा।

- ii) विविध देनदारों में रु. 3029851290 (पिछले वर्ष रु. 3769189899) जिसमें रु. 2455639916 (पिछले वर्ष रु. शून्य) सूत विक्रय की राशि शामिल है जो लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित है जिसका विवादित मामला हथकरघा आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय एवं केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं मुख्य सतर्कता विभाग के अधीन है ।
- iii) 3029851290 /-रु. (पिछले वर्ष 3769189899 /-रु.) के व्यापार प्राप्य में 17809268 की राशि (पिछले वर्ष 1835922 /-रु.) की राशि शामिल है जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापार प्राप्य में फ़ैब्रिक की आपूर्ति की बदले 18923921 /-रु. (पिछले वर्ष 18923921 /-रु.) की प्राप्य राशि शामिल है जिसमें निगम का लेनदारों से प्राप्त की जाने वाली शामिल है जो उगाही किए जाने के पश्चात् ही देय होगा। फ़ैब्रिक लेनदारों के पास 21011280 /-रु. (पिछले वर्ष 21011280 /- रु.) की राशि है। व्यापार प्राप्य में 106071247 /-रु. (पिछले वर्ष 55142050 /- रु.) की राशि भी शामिल है जिसमें समग्र निधि (क्लस्टर विकास) के रूप में निगम द्वारा प्राप्त परिक्रामी अग्रिम के बदले आपूर्ति की गई है।

12 CURRENT ASSETS - INVENTORIES

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
(As taken, valued and certified by the management)		
Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value, whichever is less	2,27,64,433	99,98,237
Goods in Transit	-	-
TOTAL	2,27,64,433	99,98,237

13 CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
SUNDRY DEBTORS (unsecured)		
i) Over six months		
- Considered good	2,56,80,32,756	14,53,93,714
- Considered doubtful	4,56,77,106	3,91,95,817
	2,61,37,09,862	18,45,89,531
- Less: Provision for doubtful debts"	(-) 4,56,77,106	(-) 3,91,95,817
	2,56,80,32,756	14,53,93,714
ii) Others (Considered good)	41,61,41,428	3,58,46,00,358
TOTAL	2,98,41,74,184	3,72,99,94,072

- i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2019		% of Confirmation of balances as on 31-03-2019	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (%)
Trade Receivables	1099	3,02,98,51,290	258	10,49,73,828	23.48%	3.46

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

- ii) Trade Receivables for Rs. 3029851290 (Previous year Rs3769189899) include a sum of Rs 2455639916 (Previous year - Rs. Nil).relating to sale made by Lucknow branch office which is under dispute as Govt. of India Ministry Of Textile Office Of Development Commissioner for Handloom has not disburse any claims available to above sales made to beneficiaries as matter is under Central Bureau of Investigation/Chief Vigilance Commissioner.
- iii) Trade Receivables for Rs. 3029851290 (Previous year Rs 3769189899) include a sum of Rs 17809268 (Previous year: Rs1835922) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs.18923921 (Previous year Rs. 18923921) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs 21011280 (Previous year Rs. 21011280). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 106071247 (Previous year Rs.55142050) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

iii) संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	31.03.2018 को शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	उगाही/ समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	31.03.2019 को शेष राशि
संदिग्ध व्यापार प्राप्त के लिए प्रावधान	3,91,95,817	83,87,244	4,75,83,061	19,05,955	-	4,56,77,106

14 मौजूदा परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्ष

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
अनुसूचित बैंक के पास जमा	10,16,06,744	31,14,60,201
गैर अनुसूचित बैंक के पास जमा	2,39,669	36,04,084
शब्दी जमा (फिक्स डिपोजिट)	77,00,62,314	70,52,57,256
कुल	87,19,08,728	1,02,03,21,541

15 मौजूदा परिसंपत्तियां – अल्पावधि ऋण और अग्रिम

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
(i) सुरक्षित ऋण (अच्छे समझे गए)		
– वाहनों के हाइपोथेकेशन के खिलाफ कर्मचारियों को वाहन ऋण	10,79,820	9,44,930
(ii) अग्रिम (असुरक्षित)		
(नकद अथवा उसके रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली की जाने वाली राशि)		
– आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि		
– अच्छे समझे गए	24,33,89,619	4,47,066
– संदिग्ध समझे गए	11,82,419	11,82,419
	24,45,72,039	16,29,485
– कमी: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(-) 11,82,419	(-) 11,82,419
	24,33,89,619	4,47,066
(iii) कर्मचारियों को अग्रिम		
– अच्छे समझे गए	6,62,963	6,55,226
– संदिग्ध समझे गए	1,26,274	1,26,274
	7,89,237	7,81,500
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 1,26,274	(-) 1,26,274
	6,62,963	6,55,226
(iv) अन्य को अग्रिम		
– अच्छे समझे गए	1,41,85,034	1,16,39,487
– संदिग्ध समझे गए	1,35,151	1,35,151
	1,43,20,185	1,17,74,638
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 1,35,151	(-) 1,35,151
	1,41,85,034	1,16,39,487

iii) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

Particulars	Balance as on 31-03-2018	Addition during the year	Total	Amount realized/adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2019
Provision for doubtful Trade Receivables.	3,91,95,817	83,87,244	4,75,83,061	19,05,955	-	4,56,77,106

14 CURRENT ASSETS - CASH & CASH EQUIVALENTS

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)	As on 31-03-2018 (Rs.)
Balances with scheduled bank	10,16,06,744	31,14,60,201
Balances with non- scheduled bank	2,39,669	36,04,084
FDR	77,00,62,314	70,52,57,256
TOTAL	87,19,08,728	1,02,03,21,541

15 CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

Particulars	As on 31-03-2019 (Rs.)		As on 31-03-2018 (Rs.)	
(i) Secured loans (considered good)				
- Vehicle loan to staff against hypothecation of vehicles		10,79,820		9,44,930
(ii) Advances (Unsecured) (Recoverable in cash or kind or for value to be received)				
- Advance to suppliers				
- Considered good	24,33,89,619		4,47,066	
- Considered doubtful	11,82,419		11,82,419	
	24,45,72,039		16,29,485	
- Less: Provision for doubtful advances	(-) 11,82,419	24,33,89,619	(-) 11,82,419	4,47,066
(iii) Advance to staff				
- Considered good	6,62,963		6,55,226	
- Considered doubtful	1,26,274		1,26,274	
	7,89,237		7,81,500	
- Less: Provision for doubtful advances	(-) 1,26,274	6,62,963	(-) 1,26,274	6,55,226
(iv) Advance to others				
- Considered good	1,41,85,034		1,16,39,487	
- Considered doubtful	1,35,151		1,35,151	
	1,43,20,185		1,17,74,638	
- Less: Provision for doubtful advances	(-) 1,35,151	1,41,85,034	(-) 1,35,151	1,16,39,487

(v) पूर्वदत्त व्यय		2,08,920		2,04,715
(vi) स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर		9,98,388		7,81,27,869
(vii) जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे गए)				
– सरकारी विभागों के साथ		-		-
– परिसरों/दूसरों के किराए के लिए				
– अच्छे समझे गए	42,43,109		18,59,850	
– संदिग्ध समझे गए	86,130		86,130	
	43,29,239		19,45,980	
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 86,130	42,43,109	(-) 86,130	18,59,850
(viii) प्राप्तियां				
– भारत सरकार से सहायता अनुदान के बदले		88,77,48,483		1,70,83,27,147
– प्राप्य दावें		42,72,577		42,80,294
– विपणन परिसर/अन्य के लिए बकाया राशि				
– अच्छे समझे गए	21,78,179		21,85,392	
– संदिग्ध समझे गए	16,64,418		16,64,418	
	38,42,597		38,49,810	
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 16,64,418	21,78,179	(-) 16,64,418	21,85,392
(ix) उपयोगकर्ता एजेंसियों से बकाया ब्याज				
आस्थागित अर्जित ब्याज				
– अच्छे समझे गए			-	-
– संदिग्ध समझे गए	1,79,34,693		1,79,34,693	
	1,79,34,693		1,79,34,693	
– कमी: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(-) 1,79,34,693		(-) 1,79,34,693	
कुल		1,15,89,67,092		1,80,86,71,974

i) संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

विवरण	31.03.2018 को शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि की गई राशि	कुल	उगाही/ समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	31.03.2019 को शेष राशि
क) आपूर्तिकर्ताओं के लिए संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	11,82,419	-	11,82,419	-	-	11,82,419
ख) कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	1,26,274	-	1,26,274	-	-	1,26,274
ग) अन्य को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	1,35,151	-	1,35,151	-	-	1,35,151
घ) संदिग्ध जमा राशि के लिए प्रावधान	86,130	-	86,130	-	-	86,130
ङ) संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	16,64,417	-	16,64,417	-	-	16,64,417
च) संदिग्ध आस्थागित उपाजित ब्याज के लिए प्रावधान	1,79,34,693	-	1,79,34,693	-	-	1,79,34,693
कुल	2,11,29,085	-	2,11,29,085	-	-	2,11,29,085

(v) Prepaid expenses			2,08,920		2,04,715
(vi) Advance income tax including tax deducted at source			9,98,388		7,81,27,869
(vii) DEPOSITS (Unsecured but considered good)					
- With Government departments			-		-
- For rent of complexes/ others					
- Considered good	42,43,109			18,59,850	
- Considered doubtful	86,130			86,130	
	43,29,239			19,45,980	
- Less: Provision for doubtful deposits	(-) 86,130	42,43,109	(-) 86,130		18,59,850
(viii) RECEIVABLES					
- From the Government of India against grant-in-aid		88,77,48,483			1,70,83,27,147
- Claims receivable		42,72,577			42,80,294
- Outstanding against marketing Complex/ others					
- Considered good	21,78,179			21,85,392	
- Considered doubtful	16,64,418			16,64,418	
	38,42,597			38,49,810	
- Less: Provision for doubtful receivables	(-) 16,64,418	21,78,179	(-) 16,64,418		21,85,392
(ix) Interest outstanding from user Agencies					
Deferred accrued Interest					
- Considered good			-		-
- Considered doubtful	1,79,34,693			1,79,34,693	
	1,79,34,693			1,79,34,693	
- Less: Provision for doubtful interest	(-) 1,79,34,693		-	(-) 1,79,34,693	
TOTAL			1,15,89,67,092		1,80,86,71,974

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

Particulars	Balance as on 31-03-2018	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2019
a) Provision for doubtful advances to suppliers.	11,82,419	-	11,82,419	-	-	11,82,419
b) Provision for doubtful advances to staff.	1,26,274	-	1,26,274	-	-	1,26,274
c) Provision for doubtful advances to others.	1,35,151	-	1,35,151	-	-	1,35,151
d) Provision for doubtful deposits.	86,130	-	86,130	-	-	86,130
e) Provision for doubtful receivables.	16,64,417	-	16,64,417	-	-	16,64,417
f) Provision for doubtful deferred accrued interest.	1,79,34,693	-	1,79,34,693	-	-	1,79,34,693
Total	2,11,29,085	-	2,11,29,085	-	-	2,11,29,085

- ii) आपूर्तिकर्ताओं को रु. 244572039 (पिछले वर्ष रु. 1629485) में रु. 215793613 जो मार्च की विक्रय राशि रु. 215.79 करोड़ का सूत आपूर्ति योजना के 10% सूत सब्सिडी घटक के अन्तर्गत है, शामिल है जिसको भारत सरकार ने आज की दिनांक तक अनुमोदित नहीं किया है, जिसका विवादित मामला हथकरघा आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के अधीन है ।
- iii) अन्य को अग्रिम राशि के अंतर्गत निगम के ग्रेज्युटी कोष के लिए एलआईसी में अग्रिम के लिए रखी हुए रु. 2983351 (पिछले वर्ष रु. शून्य) की राशि शामिल है।
- iv) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम की रु. 244572039 (पिछले वर्ष रु. 1629485) की राशि के अंतर्गत रु. 726947 (पिछले वर्ष रु. 726947) की राशि शामिल है जिसके लिए निगम ने उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है।
- v) आयोजनों के संबंध में भारत सरकार से सहायता अनुदान के बदले प्राप्त की जाने वाली राशि रु. 166127695 (पिछले वर्ष रु. 138309197) शामिल है जिसमें से समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार के समझ दावे प्रस्तुत किए जाने हैं।

विवरण	31.03.2018 को शेष राशि	वित्तीय वर्ष में प्राप्य और प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	समायोजन वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान भारत सरकार से रकम प्राप्त की	31.03.2019 को शेष राशि
सूत आपूर्ति योजना की सब्सिडी					
10: (डीबीटी) हैंक यार्न की सब्सिडी	49,69,02,874	30,82,73,988	22,65,83,508	26,17,80,351	31,68,13,003
सूत आपूर्ति योजना के दावे (एमजीपीएस)	1,07,31,15,078	33,83,44,805	-	1,00,66,52,098	40,48,07,785
अन्य अनुदान	13,83,09,197	15,70,43,158	6,30,53,951	6,61,70,709	16,61,27,695
कुल	1,70,83,27,149	80,36,61,951	28,96,37,459	1,33,46,03,158	88,77,48,483

- vi) दावा प्राप्तियों में 4024761 / -रु. (पिछले वर्ष 4024761 / -रु.) की राशि शामिल है, जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा वापस किए जाने हेतु देय है जिसमें पूर्व वर्षों से संबंधित मांग के आधार पर किए जा रहे विरोध के अंतर्गत निगम द्वारा जमा की गई बड़ी राशि शामिल है।
- vii) उपर्युक्त 17934694 / -रु. (पिछले वर्ष 17934694 / -रु.) के आस्थगित प्रौद्भूत ब्याज के संबंध में निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

16 मौजूदा परिसंपत्तियां – अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां

विवरण	31.03.2019 को (रु. में)	31.03.2018 को (रु. में)
क) अर्जित ब्याज लेकिन अप्राप्त	3,59,84,154	2,82,72,442
ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा निधि		
– चिकित्सा निधि के बदले एफडीआर	87,65,626	95,57,902
– अनुसूचित बैंक में मौजूदा खाते में शेष राशि	-	-
कुल (क+ख)	4,47,49,779	3,78,30,344

- ii) Advances to suppliers of Rs. 244572039. (Previous year Rs.1629485) include a sum of Rs 215793613 of 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme for the year 2017-2018 has not been approved by Ministry till date, as sale for the month of March amounting to rs 215.79Cr. is under dispute by the Govt. of India Ministry Of Textile Office of Development Commssioner Handloom .
- iii) Advance to Others include an amount of Rs 2983351 (Previous Year Rs. Nill) for advance lying with LIC of India against Gratuity Fund of the corporation.
- iv) Advances to suppliers of Rs. 244572039. (Previous year Rs. 1629485) include a sum of Rs 726947 (Previous year Rs726947) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.
- v) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs 166127695 (Previous year Rs.138309197) in respect of events wherein claims are submitted to the Government as at the end of current reporting period.

Particulars	Balance as on 31-03-2018	Addition during the Year UC Submitted	Adjustment during the year	Amount received during the year from Govt. of India	Balance as on 31-03-2019
YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEAME					
10% HANK YARN SUBSIDY	49,69,02,874	30,82,73,988	22,65,83,508	26,17,80,351	31,68,13,003
YSS CLAIMS (MGPS)	1,07,31,15,078	33,83,44,805	-	1,00,66,52,098	40,48,07,785
OTHER GRANTS	13,83,09,197	15,70,43,158	6,30,53,951	6,61,70,709	16,61,27,695
TOTAL	1,70,83,27,149	80,36,61,951	28,96,37,459	1,33,46,03,158	88,77,48,483

- vi) Claims receivables Rs 4042661 (Previous year Rs. 4042661), which is due to be refunded by the income tax authorities, wherein, the major amount has been deposited by the corporation under protest based on the demand for earlier years.
- vii) In respect of Deferred accrued interest for Rs.17934694 (Previous year Rs. 17934694) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.

16 CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

Particulars	Balance as on 31-03-2019 (Rs.)	Balance as on 31-03-2018 (Rs.)
A) Interest accrued but not received	3,59,84,154	2,82,72,442
B) Post Retirement Medical Corpus		
- FDR against Medical Corpus	87,65,626	95,57,902
- Balance with Scheduled Bank in Current Account	-	95,57,902
TOTAL (A+B)	4,47,49,779	3,78,30,344

17 परिचालकों से राजस्व

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	
(a) प्राप्तियां घटा बिक्री				
सूत – सूत आपूर्ति स्कीम	8,97,14,49,768		26,83,54,25,931	
कमी: हैंक यॉर्न पर 10% अनुवृत्ति	-	8,97,14,49,768	-	26,83,54,25,931
सामान्य स्कीम		8,35,79,543		5,22,25,041
डाई एवं केमिकल्स		45,42,51,764		37,37,96,802
फैब्रिक्स		77,640		25,140
कुल (क)		9,50,93,58,715		27,26,14,72,913
(b) सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान		32,75,54,913		1,43,51,92,996
हैंक यार्न पर 10% अनुवृत्ति		-		-
सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत 10% यार्न अनुवृत्ति घटक के बदले सेवा प्रभार		5,07,085		6,04,96,565
कुल (क)		32,80,61,998		1,49,56,89,561
कुल (क+ख)		9,83,74,20,713		28,75,71,62,474

- i) शाखा कार्यालय लखनऊ, ने वर्ष 2018-19 में कुल रु. 385.04 करोड़ का विक्रय बुक किया इसमें से रु. 192.82 करोड़ की बिक्री की बुकिंग को ईआरपी लेखा प्रणाली से लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया एवं रद्द करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया और योजना के अनुसार रु. 194.22 करोड़ की शेष विक्रय राशि विवादित है जिसका विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने कोई भी सब्सिडी उपरोक्त विक्रय के अनुसार नहीं किया है जिसका विवरण निम्नलिखित है इस मामले को जांच हेतु सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी भेज दिया गया है।

अवधि	यार्न की अपूर्ति मात्रा (कि.ग्रा. में)	यार्न का मूल्य सब्सिडी से पहले (रु. में)	सेवा शुल्क @ यार्न का 0.5% पहले मान सब्सिडी (रु. में)	यार्न सब्सिडी @ 10% के पहले यार्न का मूल्य (रु. में)	कुल दावा यार्न के लिए सब्सिडी (रु. में)	टिप्पणी
01.04.2018 से 18.04.2018	20,08,530	59,84,11,290	29,92,076	5,98,41,129	6,28,33,205	10% हैंक यार्न की सब्सिडी बीजक के ऊपर
01.05.2018 से 31.05.2018	44,79,730	1,33,61,77,398	66,80,887	13,36,17,743	14,02,98,630	
01.08.2018 से 31.08.2018	12,414	24,30,879		2,43,088	2,43,088	
01.09.2018 से 30.09.2018	5,494	11,82,390		1,18,239	1,18,239	
01.10.2018 से 31.10.2018	16,071	32,91,382		3,29,139	3,29,139	
01.01.2019 से 31.01.2019	2,880	6,14,045		61,404	61,404	
01.03.2019 से 31.03.2019	250	52,126		5,212	5,212	
कुल	65,25,369	1,94,21,59,510	96,72,963	19,42,15,954	20,38,88,917	

सूत आपूर्ति योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सब्सिडी प्राप्त करने के लिए दावों को प्रस्तुत करना था लेकिन आज तक उपभोगी संस्थाओं ने योजना की दिशा निर्देशों के अनुसार अंडरटेकिंग और दावों को अग्रसारित नहीं किया।

17 REVENUE FROM OPERATIONS

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)		For the year ended 31-03-2018 (Rs.)	
(a) Sales less returns				
-Yarn - Yarn Supply Scheme	8,97,14,49,768		26,83,54,25,931	
Less: 10% subsidy on Hank yarn	-	8,97,14,49,768	-	26,83,54,25,931
General Scheme		8,35,79,543		5,22,25,041
-Dyes & chemicals		45,42,51,764		37,37,96,802
-Fabrics		77,640		25,140
Total (A)		9,50,93,58,715		27,26,14,72,913
(b) Grant-in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme		32,75,54,913		1,43,51,92,996
10% Subsidy on Hank yarn		-		-
Service charges against 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme		5,07,085		6,04,96,565
Total (B)		32,80,61,998		1,49,56,89,561
TOTAL (A+B)		9,83,74,20,713		28,75,71,62,474

- i) Lucknow branch office have booked total sales during the year 2018-2019 amounting to Rs 385.04 Cr out of which Rs 190.82 cr have been cancelled by the branch office Lucknow in ERP of the corporation. Remaining sale amounting to Rs 194.22 Cr in the Lucknow Regional Office is under dispute as Govt. Of India, Ministry Of Textile, Office of the Development Commissioner for Handloom has not disbursed any claims available to above sale as stated below. Action is taken and the said matter is referred to the Central Bureau of Investigation and Chief Vigilance Commissioner (CVC)

Period	Quantity of Yarn Supplied (in Kgs.)	Value of Yarn before Yarn Subsidy (in Rs.)	Service charges @ 0.5% of yarn value before subsidy (in Rs.)	Yarn Subsidy @ 10% on yarn value before subsidy (in Rs.)	Total claim for yarn subsidy charges (in Rs.)	Remarks
01.04.2018 to 18.04.2018	20,08,530	59,84,11,290	29,92,076	5,98,41,129	6,28,33,205	10% hank yarn subsidy Upfront in the invoice
01.05.2018 to 31.05.2018	44,79,730	1,33,61,77,398	66,80,887	13,36,17,743	14,02,98,630	
01.08.2018 to 31.08.2018	12,414	24,30,879		2,43,088	2,43,088	
01.09.2018 to 30.09.2018	5,494	11,82,390		1,18,239	1,18,239	
01.10.2018 to 31.10.2018	16,071	32,91,382		3,29,139	3,29,139	
01.01.2019 to 31.01.2019	2,880	6,14,045		61,404	61,404	
01.03.2019 to 31.03.2019	250	52,126		5,212	5,212	
TOTAL	65,25,369	1,94,21,59,510	96,72,963	19,42,15,954	20,38,88,917	

Further as per the guidelines of the scheme has to submit claims for availing subsidy but till date User Agencies have not forwarded any undertaking & claims as per guidelines of the scheme

- ii) सूत आपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान की राशि रु. 328061998 (पिछले वर्ष रु. 1495689561) है जोकि सूत की आपूर्ति के लिए है तथा जिसे प्रौद्भूत आधार पर लेखांकित कर दिया गया है जिसमें से मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कुल रु. 82456913 (पिछले वर्ष रु. 452634693) के दावे की राशि लंबित है।
- iii) सूत आपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान की राशि रु. 338851893 (पिछले वर्ष रु. 1495689561) है जिसमें रु. 10789895 वर्ष 2017-18 का 10% हैंक यार्न सब्सिडी घटक का सेवा शुल्क का समायोजन चालू वर्ष के सेवा शुल्क में कर दिया गया है जो अभी तक मंत्रालय से अनुमोदित नहीं हुआ है।
- iv) सूत आपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान की राशि रु. 328061998 (पिछले वर्ष रु. 1495689561) है जोकि सूत की आपूर्ति के लिए है जिसमें दिनांक 18.04.2018 से सूत आपूर्ति योजना में परिवर्तन (निर्याताकों एवं बुनकर उद्यमियों को नई योजना से हटा दिया गया है) और 10% के अर्न्तगत सेवा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है (पिछले वर्ष 0.50% का सेवा शुल्क 10% हैंक यार्न सब्सिडी योजना की आपूर्ति के अर्न्तगत) और सूत आपूर्ति योजना के अर्न्तगत का सेवा शुल्क 1.25% कर दिया गया है (पिछले वर्ष सेवा शुल्क 2% सूत आपूर्ति योजना के आपूर्ति के अर्न्तगत)
- v) सूत आपूर्ति योजना के अर्न्तगत बिक्री रु. 8971449768 (पिछले वर्ष रु. 26835425931) दिनांक 18.04.2018 के प्रभाव से सूत आपूर्ति योजना (निर्याताकों एवं बुनकर उद्यमियों को नई योजना से हटा दिया गया है) में परिवर्तन के कारण सूत आपूर्ति के विक्रय में कमी आयी।
- vi) सूत आपूर्ति योजना के अर्न्तगत बिक्री रु. 8971449768 (पिछले वर्ष रु. 26835425931), वर्ष 2018-19 में लखनऊ कार्यालय द्वारा रु. 1950792520 (पिछले वर्ष शून्य) सूत आपूर्ति का विक्रय जुड़ा है और सूत आपूर्ति योजना के अर्न्तगत समतुल्य लिया गया है और कोई भी योजना का कोई लाभ प्रौद्भवन आधार और अनंतिम आधार पर मंत्रालय के निर्णय के आने तक प्रदान नहीं किया जाएगा। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो/ मुख्य सतर्कता आयुक्त के अधीन है
- vi) दिनांक 18.04.2018 से सूत आपूर्ति योजना में परिवर्तन के कारण (विक्रय बीजक में 10% की हैंक यार्न सब्सिडी नई योजना में समाप्त की जा चुकी है) रु. 10141959 दिनांक 18.04.2018 तक की सब्सिडी की धनराशि (पिछला वर्ष रु. 1209918745)

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय और फिर से समूहबद्ध किया गया है।

18 अन्य आय

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	38,851	2,49,845
विविध प्राप्ति/निविदा शुल्क	83,52,903	3,04,14,615
प्राप्त डिपो प्रभार	-	10,23,139
बैंक/वाहन ऋण/दूसरों से ब्याज	8,89,38,370	15,49,66,993
नकद छूट/कमीशन	5,03,421	1,17,234
अतिदेय बिल पर पक्षकारों से प्राप्त ब्याज	1,95,700	3,12,978
वापस लिखी गई देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान	31,96,859	2,18,51,756
ऐसे प्रावधान जिन्हें वापस लिखा जाना आवश्यक नहीं	19,05,956	26,34,754
कुल	10,31,32,059	21,15,71,314

- i) अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वापस लिखे गये 1905956 रुपए में 2634754 रुपए के देनदार वर्ष के दौरान एजेंसियों प्राप्त हुए हैं।
- ii) वापस लिखी गई देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान रु. 3196859 (पिछले वर्ष रु. 21851756) में से रु. 2983351 (पिछले वर्ष रु. शून्य) के प्रावधान में बीमाकिक मूल्यांकन की सिफारिश के अनुसार वापिस खाते में लिए गए।

- ii) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme amounting to Rs 328061998 (Previous year Rs. 1495689561) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims totaling Rs.82456913 (Previous year Rs.452634693) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period.
- iii) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme amounting to Rs 338851893 (Previous year Rs. 1495689561) on account of supply of yarn includes. Rs 10789895 Service charges against 10% hank yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme for the year 2017-2018 has still not been approved by the Ministry & same has been adjusted in current year service charges.
- iv) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme amounting to Rs 328061998 (Previous year Rs. 1495689561) on account of supply of yarn has been decreased due to change in Yarn Supply Scheme w.e.f.18.04.2018 (Exporters & Weavers Entrepreneurs has been discontinued in new scheme) and service charges under 10% reduced to Nil (Previous year 0.50% on supply under 10% hank yarn subsidy scheme) & service charges under YSS reduced to 1.25% (Previous year 2.00% on supplies under YSS) .
- v) Sales under Yarn Supply Scheme amounting to Rs8971449768 (Previous year Rs. 26835425931) on account of supply of yarn has been decreased due to change in Yarn Supply Scheme w.e.f.18.04.2018 (Exporters & Weavers Entrepreneurs has been discontinued in new scheme)
- vi) Sales under Yarn Supply Scheme amounting to Rs8971449768 (Previous year Rs. 26835425931) on account of supply of yarn includes Rs 1950792520(Previous year- Rs. Nil) sale of Lucknow office for FY. 2018-2019 under YSS taken at par , no benefits of scheme has been provided on accrual basis & provisional basis till the decision of Ministry as matter is under Central Bureau of Investigation/Chief Vigilance Commissioner
- vi) Due to change in Yarn Supply Scheme w.e.f.18.04.2018 (10% hank yarn subsidy upfront in sale invoice has been discontinued in new scheme) subsidy for amounting Rs 10141959 up to 18.04.2018 (Previous year Rs.1209918745).

The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped comparable with the figures of current year.

18 OTHER INCOME

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
Profit on sale of assets	38,851	2,49,845
Miscellaneous receipt/ tender Fees	83,52,903	3,04,14,615
Depot charges received	-	10,23,139
Interest from bank/ vehicle loan/ others	8,89,38,370	15,49,66,993
Cash discount/ commission	5,03,421	1,17,234
Interest received from parties on overdue bills	1,95,700	3,12,978
Liabilities/ excess provisions written back	31,96,859	2,18,51,756
Provision no longer required written back	19,05,956	26,34,754
TOTAL	10,31,32,059	21,15,71,314

- i) 'Provision no longer required written back for Rs 1905956(Previous year Rs. 2634754) realised during the year from agencies against debtors provision.
- ii) 'Liabilities/ excess provisions written back RS 3196859(Previous year Rs. 21851756) includes Rs 2983351 (Previous year Rs. Nil) for Excess Provision for Gratuity liability written back as per actuarial valuation

19 व्यापारिक स्टॉक की खरीद

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
क्रय घटा प्राप्तियां		
– सूत	9,06,71,84,436	26,88,45,58,714
– डाई एवं केमिकल्स	42,93,93,234	35,53,52,946
– फ़ैब्रिक्स	64,138	20,409
कुल	9,49,66,41,807	27,23,99,32,070

- i) 2018-19 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से प्राप्त सूत का मूल्य रु. 2148714457 (कुल अधिप्राप्त सूत का 22.63%) है जबकि पिछले वर्ष 2017 - 18 के दौरान यह मूल्य रु. 8150069502 (कुल अधिप्राप्त सूत का 30%) था।
- ii) सूत आपूर्ति योजना के अर्न्तगत क्रय रु. 8971449768 (पिछले वर्ष रु. 26835425931) दिनांक 18.04.2018 के प्रभाव से सूत आपूर्ति योजना (निर्याताकों एवं बुनकर उद्यमियों को नई योजना से हटा दिया गया है) में परिवर्तन के कारण सूत आपूर्ति के क्रय में कमी आयी।
- iii) वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में शाखा कार्यालय लखनऊ के द्वारा रु. 192.82 करोड धनराशि के क्रय बीजक निरस्त कर दिए जोकि सूत आपूर्ति योजना से संबंधित थे इस विषय में निगम को विकास आयुक्त हकिरघा का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार जोकि प्रशासनिक मंत्रालय है, से प्रशासनिक कार्यवाही करने का सूचना प्राप्त हुई तदनुसार निगम ने आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की और मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो मुख्य सतर्कता अधिकारी को अग्रसारित करना भी शामिल है। उपरोक्त मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो में मुख्य सतर्कता अधिकारी में विचाराधीन है शाखा कार्यालय लखनऊ की शेष क्रय विक्रय राशि रु. 195.10 करोड (पिछले वर्ष शून्य) को समतुल्य मूल्य पे खातों में दिखाया गया है और कोई भी लाभ नहीं लिया गया इसलिए वर्ष 2018-19 की लेखा पुस्तकों में वित्तीय प्रभाव नहीं है।

20 परिवहन/डिपो प्रभार

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
परिवहन प्रभार	13,41,71,106	43,72,33,501
डिपो प्रभार	10,61,87,886	46,50,81,563
कुल	24,03,58,992	90,23,15,064

- i) सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत सूत की आपूर्ति के लिए रु. 240358992 (पिछले वर्ष रु. 902315064) के परिवहन और डिपो प्रभार को प्रौद्भूत आधार पर लेखांकित किया गया है। इसमें से मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए कुल रु. 63509939 (पिछले वर्ष रु. 279722680) का दावा लंबित है। उपयोगकर्ता एजेंसियों को देय परिवहन और डिपो के प्रभारों के लिए स्कीम के अनुसार प्रावधान बनाए गए हैं।
- ii) सूत आपूर्ति योजना के अर्न्तगत भाडा और डिपो शुल्क के लिए रु. 240358992 (पिछले वर्ष रु. 902315064) दिनांक 18.04.2018 से प्रभावी सूत आपूर्ति योजना (निर्याताकों एवं बुनकर उद्यमियों को नई योजना से हटा दिया गया है) में परिवर्तन के कारण भाडा और डिपो शुल्क में कमी आयी है।

19 PURCHASES OF STOCK IN TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
Purchases less returns		
-Yarn	9,06,71,84,436	26,88,45,58,714
-Dyes & chemicals	42,93,93,234	35,53,52,946
-Fabrics	64,138	20,409
TOTAL	9,49,66,41,807	27,23,99,32,070

- i) The value of Yarn procured from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ ST entrepreneurs) during the year 2018-19 is Rs. 2148714457 (22.63% of total yarn procured) as against Rs. 8150069502 (30% of total yarn procured) during the previous year 2017-18.
- ii) Purchase of Yarn under Yarn Supply Scheme amounting to Rs 8971449768 (Previous year Rs. 26835425931 on account of purchase of yarn has been decreased due to change in Yarn Supply Scheme w.e.f.18.04.2018 (Exporters & Weavers Entrepreneurs has been discontinued in new scheme)
- iii) Purchase invoices amounting to Rs.190.82 cr. pertaining to YSS were cancelled by branch Lucknow In this regard a communication was received by the Corporation from Administrative Ministry i.e. Government of India, Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner Handlooms for taking necessary administrative action. Accordingly the Corporation took necessary administrative action including referring the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC).office in the first quarter of FY 2018-19. The above matter is pending at Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). In the balance sale/Purchase of RO Lucknow amount of Rs. 195.10 Crore (Previous year- Nil) be shown in the books of Accounts at par and no Profit/ Margin has been charged. Hence it has no financial impact in the books of account for the F.Y. 2018-19.

20 TRANSPORTATION / DEPOT CHARGES

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
Transportation Charges	13,41,71,106	43,72,33,501
Depot Charges	10,61,87,886	46,50,81,563
TOTAL	24,03,58,992	90,23,15,064

- i) Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme amounting to Rs 240358992 (Previous year Rs. 902315064) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims for expenses totaling Rs63509939 (Previous year Rs. 279722680) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.
- ii) Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme amounting to Rs 240358992 (Previous year Rs. 902315064) on account of supply of yarn has been decreased due to change in Yarn Supply Scheme w.e.f. 18.04.2018 (Exporters & Weavers Entrepreneurs has been discontinued in new scheme)

21 प्रक्रियाधीन तैयार माल की सूची में परिवर्तन और व्यापारिक स्टॉक

(In Rs.)

विवरण	दिनांक 01.04.2018 को प्रारंभिक स्टॉक	दिनांक 01.04.2019 को समापन स्टॉक	वृद्धि (-) कटौती (+)
सूत	67,78,305	2,07,28,530	-1,39,50,225
डाई एवं केमिकल्स	32,19,933	20,35,903	11,84,030
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	99,98,238	2,27,64,433	-1,27,66,195
विवरण	दिनांक 01.04.2017 को प्रारंभिक स्टॉक	दिनांक 01.04.2018 को समापन स्टॉक	वृद्धि (-) कटौती (+)
सूत	89,08,770	67,78,305	21,30,465
डाई एवं केमिकल्स	38,27,801	32,19,933	6,07,868
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	1,27,36,571	99,98,238	27,38,333

22 कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष को लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष को लिए (रु.)
क) वेतन एवं मजदूरी		
वेतन और भत्ते	17,96,14,942	19,12,71,760
वेतन और भत्ते (प्रबंध निदेशक)	7,86,835	22,41,836
प्रोद्भूत छुट्टी के लिए प्रावधान सहित छुट्टी नकदीकरण (प्रबंध निदेशक के लिए शून्य रु. शामिल है - पूर्व वर्ष शून्य रु.)	73,91,880	-
अनुग्रह राशि (प्रबंध निदेशक के लिए 66338/-रु. शामिल हैं-पूर्व वर्ष 396622 रु.)	1,50,00,000	2,10,00,000
बच्चों की शिक्षा राशि की प्रतिपूर्ति (प्रबंध निदेशक के लिए शून्य रु. शामिल है -पूर्व वर्ष शून्य रु.)	1,92,725	2,57,545
वाहन प्रतिपूर्ति	10,92,599	14,55,694
भर्ती व्यय	1,30,785	13,14,867
अवकाश यात्रा रियायत/नकदीकरण (प्रबंध निदेशक के लिए शून्य/-रु. शामिल है - पूर्व वर्ष शून्य रु.)	4,96,765	5,79,913
चिकित्सा व्यय (प्रबंध निदेशक के लिए 6263/-रु. शामिल है -पूर्व वर्ष 25000 रुपये)	64,37,396	72,01,231
कर्मियों को प्रशिक्षण	3,88,370	44,84,768
उप कुल (क)	21,15,32,297	22,98,07,614
ख) पीएफ और अन्य कोष में अंशदान		
सीपीएफ एवं एफपीएफ/ईडीएलआई स्कीम के लिए नियोक्ता अंशदान (एमडी के लिए 78147/-रु. शामिल हैं - पिछले वर्ष 269020/-रु.)	1,99,62,649	2,01,08,437
ग्रेच्युटी	1,35,859	3,52,69,219
उप कुल (ख)	2,00,98,508	5,53,77,656

21 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(In Rs.)

PARTICULARS	OPENING STOCK ON 01-04-2018	CLOSING STOCK ON 31-03-2019	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	67,78,305	2,07,28,530	-1,39,50,225
DYES & CHEMICALS	32,19,933	20,35,903	11,84,030
FABRICS	-	-	-
TOTAL	99,98,238	2,27,64,433	-1,27,66,195

PARTICULARS	OPENING STOCK ON 01-04-2018	CLOSING STOCK ON 31-03-2019	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	89,08,770	67,78,305	21,30,465
DYES & CHEMICALS	38,27,801	32,19,933	6,07,868
FABRICS	-	-	-
TOTAL	1,27,36,571	99,98,238	27,38,333

22 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
a) Salary & Wages		
Salary and allowances	17,96,14,942	19,12,71,760
Salary and allowances (Managing Director)	7,86,835	22,41,836
Leave encashment-Including provision for accrued leave (includes Rs. Nil for MD -Previous year Rs.Nil)	73,91,880	-
Ex-Gratia (Includes Rs 66338 for MD - Previous year Rs.396622)	1,50,00,000	2,10,00,000
Children education reimbursement (Includes Rs.NIL for MD - Previous year Rs.NIL)	1,92,725	2,57,545
Conveyance reimbursement	10,92,599	14,55,694
Recruitment Expenses	1,30,785	13,14,867
Leave travel concession/encashment (Includes Rs Nil for MD - Previous year Rs. Nil)	4,96,765	5,79,913
Medical expenses (Includes Rs.6263 for MD- Previous year Rs 25000)	64,37,396	72,01,231
Training to personnel	3,88,370	44,84,768
Sub Total (A)	21,15,32,297	22,98,07,614
b) Contribution to PF & other Fund		
Employers contribution to CPF & PPF/NPS/DDE/EDLI scheme (Includes Rs. 78147 for MD - Previous year Rs.269020)	1,99,62,649	2,01,08,437
Gratuity	1,35,859	3,52,69,219
Sub Total (B)	2,00,98,508	5,53,77,656

ग) कर्मचारी कल्याण खर्च			
कर्मचारी कल्याण खर्च (मानदेय, इनाम वर्दी और वर्दी सहित)	19,44,951		53,23,154
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और उपदान बीमा	77,765		82,375
मृतक कर्मचारी स्कीम के लिए भुगतान	13,13,650		14,16,800
उप कुल (ग)	33,36,366		68,22,329
कुल (क+ख+ग)	23,49,67,171		29,20,07,599

क) लेखांकन मानक-15 कर्मचारी लाभ के अनुसार लेखांकन मानक में यथापरिभाषित कर्मचारी लाभ का खुलासा नीचे दिया गया है:-

परिभाषित योगदान योजना

उक्त वर्ष के लिए खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त परिभाषित योगदान योजना के लिए किया जाने वाला योगदान निम्नानुसार है:-

विवरण	01.04.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	01.04.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
सीपीएफ/ईपीएफ एवं ईडीएलआई स्कीमों के लिए नियोक्ता का योगदान	1,99,62,649	2,01,08,437

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत निगम के भविष्य निधि को छूट प्रदान की गई है। छूट की शर्तों में यह उल्लेख है कि नियोक्ता ऐसी स्थिति में ब्याज दर में कटौती करेगा जब सांविधिक दर के बदले न्यास द्वारा घोषित ब्याज दर में किसी प्रकार का अंतर हो।

ख) वेतन और भत्ते रु. 180401777 (पिछला वर्ष रु. 193513596) में वेतन आयोग कि सिफारिश के अनुसार लेखा पुस्तकों में रु. 43500000 (पिछला वर्ष रु. 65200000) के दायत्वों का प्रावधान किया गया।

ग) वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:-

(In Rs.)

क्र सं	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		प्रबंध निदेशक	अधिशासी निदेशक (वित्त)	कम्पनी सचिव	कुल
01.	सकल वेतन	7,86,835	22,12,564	5,75,017	35,74,416
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	1,02,965	-	-	1,02,965
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के बदले लाभ	-	-	-	-
02.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
03.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
04.	आयोग				
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	-	-	-	-
	- अन्य, उल्लेख करें.....	-	-	-	-
05.	अन्य, कृपया विस्तृत विवरण दें.....	-	-	-	-
	कुल	8,89,800	22,12,564	5,75,017	36,77,381

c) Staff Welfare expenses		
Staff welfare expenses (including honorarium, reward, uniform & liveries)	19,44,951	53,23,154
Group personal accident and Gratuity insurance	77,765	82,375
Payment to Deceased Employee Scheme	13,13,650	14,16,800
Sub Total (C)	33,36,366	68,22,329
Total (A+B+C)	23,49,67,171	29,20,07,599

a) As per Accounting Standard -15 "Employee Benefits", the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

Particulars	For the year ended	For the year ended
	31-03-2019 (Rs.)	31-03-2018 (Rs.)
Employer's contribution to CPF/ FPF / NPS / DDE & EDLI Schemes.	1,99,62,649	2,01,08,437

Corporation's provident fund is exempted u/s 17 of Employee's Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

b) Salary and allowances for Rs180401777 (Previous year Rs.193513596) included Rs 43500000(previous year Rs.65200000) as provision for Salary Arrears (pay revision)

c) Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2018-19 is as below:-

(In Rs.)

SI No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		MD	ED (FINANCE)/ CFO	Co. Secretary	TOTAL
01.	Gross Salary	7,86,835	22,12,564	5,75,017	35,74,416
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961				
	(b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961	1,02,965	-	-	1,02,965
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
02.	Stock Option	-	-	-	-
03.	Sweat Equity	-	-	-	-
04.	Commission				
	- as % of Profit	-	-	-	-
	- others, specify.....	-	-	-	-
05.	Others, please specify.....	-	-	-	-
	TOTAL	8,89,800	22,12,564	5,75,017	36,77,381

23 वित्त लागत

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
बैंक/अन्य को ब्याज	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	-	-

24 अन्य व्यय

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
(a) प्रशासनिक व्यय		
यात्रा व्यय	77,98,801	3,29,79,074
लेखा परीक्षकों को भुगतान	3,88,533	6,57,673
बोर्ड की बैठक के खर्च	75,000	85,000
पुस्तकें व पत्रिकाएँ	84,564	1,13,260
वाहन खर्चे	61,89,559	1,22,04,751
बिजली/पानी का खर्च	31,09,342	30,81,819
बीमा	4,66,281	4,48,317
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	29,92,231	66,98,602
सदस्यता शुल्क और अंशदान	10,500	2,55,690
कार्यालय रखरखाव	14,31,063	19,03,877
छपाई और स्टेशनरी	17,51,529	26,06,398
डाक/तार/टेलीफोन और टैलेक्स	40,49,583	68,03,518
किराया दरें और कर (निवल वसूली) (प्रबंध निदेशक के लिए आवासीय सुविधा हेतु 1,65,000/- रु. का लीज रेंट शामिल है - पिछले वर्ष 6,45,000/- रु.)	1,93,59,888	3,08,14,766
मरम्मत एवं रखरखाव	16,97,449	50,86,257
सेवा वाहन खर्चे	8,37,689	11,20,157
सुरक्षा खर्चे	58,13,188	63,19,341
विविध व्यय	3,14,202	1,76,857
कुल (क)	5,63,69,403	11,13,55,356

i) लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान निम्नानुसार है:-		
लेखा परीक्षा शुल्क	2,83,000	2,83,000
अन्य क्षमता	1,05,533	3,74,673
कुल	3,88,533	6,57,673

23 FINANCE COSTS

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
Interest to bank/ others	-	-
Other Borrowing cost	-	-
Total	-	-

24 OTHER EXPENSES

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
(a) ADMINISTRATIVE EXPENSES		
Travelling expenses	77,98,801	3,29,79,074
Payment to auditors	3,88,533	6,57,673
Board meeting expenses (Sitting fees)	75,000	85,000
Books & periodicals	84,564	1,13,260
Conveyance expenses	61,89,559	1,22,04,751
Electricity/water charges	31,09,342	30,81,819
Insurance	4,66,281	4,48,317
Legal & professional charges	29,92,231	66,98,602
Membership fees & subscription	10,500	2,55,690
Office upkeep	14,31,063	19,03,877
Printing & stationery	17,51,529	26,06,398
Postage/telegram/telephone & telex	40,49,583	68,03,518
Rent, rates & taxes (net of recoveries) (includes lease rent for residential accommodation of MD Rs.1,65,000/- Previous year Rs.6,45,000/-)	1,93,59,888	3,08,14,766
Repair & maintenance	16,97,449	50,86,257
Service vehicle expenses	8,37,689	11,20,157
Security expenses	58,13,188	63,19,341
Miscellaneous expenses	3,14,202	1,76,857
TOTAL (A)	5,63,69,403	11,13,55,356

i) Payment made to auditors is as below:-		
Audit Fee	2,83,000	2,83,000
Other Capacity	1,05,533	3,74,673
TOTAL	3,88,533	6,57,673

(ख) व्यापार

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
विज्ञापन और प्रचार	16,39,261	7,66,579
व्यापार संवर्धन	3,75,23,993	3,10,22,451
बढ़ा, कमीशन और छूट	6,53,182	6,64,230
बैंक प्रभार	1,35,470	76,379
माल दुलाई और अन्य प्रभार	45,94,530	15,98,691
बैठक खर्च	14,54,879	20,22,343
बिक्री कर	-	21,929
सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन/रखरखाव का खर्च	45,13,238	14,51,736
डाटा प्रविष्टि प्रभार	39,02,226	39,63,833
कुल (ख)	5,44,16,779	4,15,88,171
कुल (क+ख)	11,07,86,181	15,29,43,527

- i) व्यावसायिक प्रोत्साहन व्यय (व्यापार संवर्धन) में प्रदर्शनी गतिविधियों व अन्य विकासात्मक गतिविधियों में चालू वित्त वर्ष के दौरान मंजूर किए गए बजट से अधिक किए गए व्यय शामिल हैं।

25 असाधारण मदें

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
क) प्रावधान, बढ़ा खाता आदि		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	66,964
संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	83,87,244	84,38,130
देनदारियों को बट्टेखाते में डालना	-	-
आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	3,90,496
उप कुल	83,87,244	88,95,589
क) पूर्व अवधि समायोजन	-	-
ग) वीआरएस क्षतिपूर्ति	6,75,032	12,79,800
कुल (क+ख+ग)	90,62,276	101,75,389

26 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय	105,74,012	57,88,604
कुल	105,74,012	57,88,604

वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू किए गए सी.एस.आर. कार्यकलाप का ब्योरा नीचे दिया गया है:

- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सी.एस.आर. कार्यकलाप पर व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि
- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय की गई राशि (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार)

(b) TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
Advertisement & publicity	16,39,261	7,66,579
Business promotion	3,75,23,993	3,10,22,451
Discount, commission & rebate	6,53,182	6,64,230
Bank charges	1,35,470	76,379
Freight & other charges	45,94,530	15,98,691
Meeting expenses	14,54,879	20,22,343
Sales tax	-	21,929
Software implementation/ maintenance expenses	45,13,238	14,51,736
Data entry charges	39,02,226	39,63,833
TOTAL (B)	5,44,16,779	4,15,88,171
TOTAL (A+B)	11,07,86,181	15,29,43,527

- i) 'Business promotion expenses includes expenses incurred on exhibition and other events/ activities over and above the sanctioned budget during the current financial year .

25 EXCEPTIONAL ITEMS

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
a) PROVISION, WRITE OFF ETC.		
Loss on sale of assets	-	66,964
Provision for doubtful debtors	83,87,244	84,38,130
Write off debtors	-	-
Provision for doubtful advances to supplier	-	3,90,496
Sub Total	83,87,244	88,95,589
b) Prior Period Adjustments	-	-
c) VRS Compensation	6,75,032	12,79,800
Total (A+B+C)	90,62,276	101,75,389

26 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXPENSES

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
Expenses on Corporate Social Responsibility	105,74,012	57,88,604
Total	105,74,012	57,88,604

The details of CSR activity undertaken during the year 2018-19 is as below:-

1. Gross amount required to be spent on CSR Activity during the F.Y. 2018-19
2. Amount spent during the F.Y. 2018-19 (as per details below)

विवरण	चालू वर्ष में किया गया भुगतान	भुगतान होना बाकी	कुल
विभिन्न हथकरघा क्षेत्रों में शौचालयों खंड का निर्माण, एक वर्ष की शौचालय की मरम्मत सहित जामलाडूगू (जिला वाई.एस.आर.कडप्पा आंध्र प्रदेश में), रावता (जिला उदलगुरी असम में), सिकिनी (जिला रामगढ़ झारखंड में), पडाना (जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में) और दुलीपुर (जिला चंदौली उत्तर प्रदेश में)	60.10	15.00	75.10
सरकारी चिकित्सालयों को ऐम्बुलेंस का दान चंदेल (मणिपुर) एंड बालनगीर (ओडिशा)	45.16	-	45.16
हथकरघा क्षेत्रों से गरीब महिलाओं को मोटर वाली 6 (स्वचालित) सिलाई मशीन और कपड़े का दान कालाहांडी (ओडिशा)	0.49	-	0.49
कुल	105.75	15	120.75

शौचालयों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूरा हो गया था जबकि वर्ष 2019-20 में शौचालयों को उपयोग में लाया गया, तदनुसार एक साल की मरम्मत की लागत जो रु. 15 लाख है, का भुगतान / समायोजन वर्ष 2019-20 में निगम को बिल प्रस्तुत करने पर होगा ।

27 कर व्यय - मैजूदा कर (प्रमाण पत्र)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
मौजूदा वर्ष के लिए आयकर	-	11,72,00,000
पूर्व वर्ष के लिए आयकर	4,99,536	-
कुल	4,99,536	11,72,00,000

वर्ष के दौरान लेखाओं में रु 'शून्य' (पिछले वर्ष रु. 117200000) के आयकर का प्रावधान किया गया है ।

28 अन्य टिप्पणियां

1 आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं :-

(क) आकस्मिक देयताएं

(क) बिक्री कर - रु. 14908994 (पिछले वर्ष रु. 14908994)

(i) आकलन प्राधिकारी, बिक्री कर कार्यालय, लखनऊ द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 (गत वर्ष 95,20,994) के लिए निकाली गई रु. 95,20,994 की एक लम्बित मांग के खिलाफ सहायक बिक्री कर आयुक्त, वाराणसी के समझ अपील लम्बित है

(ii) वित्त वर्ष 2011-12 और वित्त वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग, चेन्नई द्वारा रु. 5388000 (पिछले वर्ष रु. 5388000) की मांग की गई है जिस पर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से स्टे ले लिया गया है ।

(ख) निगम के संबंध में दावों/मांगों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया ।

(i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दावा की गई बकाया राशि पर ब्याज रु. 293000 (पिछले वर्ष रु. 293000) है ।

(ii) कंपनी के खिलाफ न्यायिक मामले - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

(iii) मेसर्स यू.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पट्टा मे जारी की गई बैंक गारंटी - रु. 200000 (पिछले वर्ष रु. 200000)

(iv) क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण सामान्य सेवा प्रभार रु. 45,77,446 (गत वर्ष रु. 45,77,446) बहुत लम्बी अवधि से बकाया है, दिनांक 31 मार्च, 2019 को आकस्मिक देयता और भी अधिक हो सकती है ।

Rs. in Lacs

Particulars	Paid during current year	Yet to be paid	Total
Construction of toilets in the following handloom clusters: Jammlamadugu (Y.S.R.Kadapa district in A.P.), Rawta (Udalguri district in Assam), Sikni (Ramgarh district in Jharkhand), Padana (Rajgarh district in M.P.) and Dulhipur (in Chandauli district in U.P.)	60.10	15.00	75.10
Donation of Ambulances to Government Hospitals of Chandel (Manipur) and Balangir (Odisha) districts. The procurement of the ambulance should be done through tendering process.	45.16	-	45.16
Donation of 6 motorized (automatic) sewing machine and fabric to poor women in the handloom cluster of Kalahandi, Orissa	0.49	-	0.49
Total	105.75	15	120.75

construction of toilets is complete and they are fully functional. Further, one year maintenance of the toilets amounting to Rs.15,00,000 shall be paid as and when the bills are produced by Sulabh.

27 TAX EXPENSES - Current Tax

Particulars	For the year ended 31-03-2019 (Rs.)	For the year ended 31-03-2018 (Rs.)
Income Tax for Current year	-	11,72,00,000
Income Tax for earlier year	4,99,536	-
Total	4,99,536	11,72,00,000

During the year provision for income tax of Rs. NIL(Previous year Rs.117200000) has been made in the accounts.

28 OTHER NOTES

1 CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS :-

A Contingent Liabilities:-

- (a) Sales tax- Rs14908994 (Previous year Rs.14908994).
- (i) An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs.9520994 by assessing authority sales tax office Lucknow for the F.Y. 2010-11 (Previous year 9520994)
- (ii) Demand for Rs. 5388000 (Previous Year Rs. 5388000) has been raised by the Sales Tax Department Chennai for the financial year 2011-12 and financial year 2012-13, on which a stay has been obtained from Hon'ble Madras High Court.
- (b) Claims/ demands against the corporation not acknowledged as debts.
- (i) Interest on outstanding claimed by the suppliers Rs 293000 (Previous year Rs.293000)
- (ii) Court cases against the company - Rs. Nil (Previous year Nil)
- (iii) Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - Rs 200000 (Previous year Rs.200000).
- (iv) Lucknow Development Authority common service charges- Rs4577446.(Previous Year 4577446) since this is from long period. There may be more contingent liability as on 31st March 2019

(ख) प्रतिबद्धता:-

- 1 चूंकि संबंधित बिक्री पर प्राधिकारियों द्वारा कर राशि का पता नहीं लगा पाने के कारण निर्धारण प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है, इसलिए केन्द्र और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सूत, डाई और रसायन एवं कपड़ा के संबंध में बिक्री कर और जीएसटी देयता, यदि कोई हो, संबंधी कोई प्रावधान नहीं है ।
- 2 प्रबंध निदेशक को वर्ष के दौरान गैर अधिकारिक यात्राओं के लिए रु. 325 प्रति माह के भुगतान पर कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी ।
- 3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसरण में अतिरिक्त सूचन निम्नानुसार है ।

(क) निर्माण की लाइसेंसित और अधिष्ठापित क्षमता-लागू नहीं

(ख) प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, बिक्री तथा समापन स्टॉक के संबंध में मात्रात्मक सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं	विवरण	सूत		डाई एवं रसायन		कपड़ा	
		यूनिट	मुल्य	यूनिट	मुल्य	यूनिट	मुल्य
1	प्रारम्भिक स्टॉक - मौजूदा वर्ष	0.217	67,78,305	0.137	32,19,933		
	- पिछले वर्ष	0.191	89,08,770	0.231	38,27,801		
2	क्रय - मौजूदा वर्ष	445.884	9,06,71,84,436	40.423	42,93,93,234	-	64,138
	- पिछले वर्ष	1557.201	26,88,45,58,715	38.812	35,53,52,946		20,409
3	बिक्री - मौजूदा वर्ष	445.594	9,05,50,29,311	40.514	45,42,51,764		77,640
	- पिछले वर्ष	1557.175	25,67,77,32,226	38.906	37,37,96,802	-	25,140
4	समापन स्टॉक - मौजूदा वर्ष	0.506	2,07,28,530	0.046	20,35,903		
	- पिछले वर्ष	0.217	67,78,305	0.137	32,19,933		

(ग) रंग एवं रसायन के संबंध में सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.), (ii) कच्चा माल, (iii) घटक एवं कलपुर्जों पूंजीगत सामानों के संबंध में शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) है ।

(घ) विदेशी मुद्रा में आए - शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रु.) हैं ।

(ङ) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय-शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

(च) आयातित कच्चे माल, कलपुर्जों तथा उपयोग किए गए घटकों का मूल्य-शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

- 4 एएस-17 अर्थात् आईसीएआई द्वारा जारी की गई खंड-वार रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्टिंग खंडों के रूप में गतिविधि-वार वित्तीय विवरण जिसमें सूत, डाई एवं रसायन तथा कपड़ा का विवरण शामिल है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(B) Commitment:-

- 1 Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability & GST, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.
- 2 The Managing Director was allowed the use of Company Car during the year for non-duty journeys on payment of Rs.325/- per month.

3 Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-

A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.

B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

Sl. No.	PARTICULARS	YARN		DYES & CHEMICAL		FABRIC	
		Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Opening Stock - Current Year	0.217	67,78,305	0.137	32,19,933		
	- Previous Year	0.191	89,08,770	0.231	38,27,801		
2	Purchase - Current Year	445.884	9,06,71,84,436	40.423	42,93,93,234	-	64,138
	- Previous Year	1557.201	26,88,45,58,715	38.812	35,53,52,946		20,409
3	Sale - Current Year	445.594	9,05,50,29,311	40.514	45,42,51,764		77,640
	- Previous Year	1557.175	25,67,77,32,226	38.906	37,37,96,802	-	25,140
4	Closing Stock - Current Year	0.506	2,07,28,530	0.046	20,35,903		
	- Previous Year	0.217	67,78,305	0.137	32,19,933		

C) Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).

D) Earning in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).

E) Expenditure incurred in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).

F) Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

4 In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabric is as under:-

(रु. राशि में)

खंड-वार विवरण	सूत	डाई एवं रसायन	फैब्रिक्स	कुल
(क) प्राथमिक सूचना				
1 खंड-वार राजस्व	905,50,29,311	45,42,51,764	77,640	9,50,93,58,715
2 खंड-वार परिणाम	(-) 3,83,64,293	2,36,74,499	13,502	(-) 1,46,76,292
3 अनाबंटित ओवरहेड्स	-	-	-	(-) 20,74,27,278
4 बैंक एवं अन्यो से प्राप्त ब्याज	-	-	-	6,33,04,509
5 अन्य आय	-	-	-	106,95,604
6 अवधि पूर्व समायोजन	-	-	-	-
7 सीएसआर व्यय e				(-) 105,74,012
8 कर पूर्व लाभ	-	-	-	(-) 15,86,77,469
9 कर पूर्व लाभ	-	-	-	(-) 4,99,536
10 आस्थगित कर	-	-	-	(-) 30,05,861
11 कर पश्चात् लाभ	-	-	-	(-) 16,21,82,865
12 खंड-वार परिसंपत्तियां	3,42,21,20,933	6,37,16,894	1,89,23,921	3,50,47,61,748
13 अबंटनीय नैगमिक परिसंपत्तियां (वित्तीय परिसंपत्तियों सहित)	-	-	-	2,50,27,27,922
14 कुल परिसंपत्तियां	-	-	-	600,74,89,670
15 बैंक उधारियों सहित खंड-वार देयताएं	404,46,43,018	2,39,34,926	204,68,635	408,90,46,579
16 अबंटनीय नैगमिक देयताएं (बैंक उधारियों सहित)	-	-	-	92,11,85,488
17 कुल देयताएं	-	-	-	501,02,32,067
18 खंड-वार मूल्य हास	33,45,987	-	-	33,45,987

नोट:- 1. खंड-वार राजस्व में अंतर खंड लेनदेन शामिल नहीं है ।

ii. खंड-वार परिणाम में बकाया बिलों पर ब्याज रु. 195700 का आस्थगित प्रौदभूत ब्याज शामिल है ।

iii. खंड-वार परिणाम में रु. 2119464 (क्रेडिट) के संबंध में देयताएं/वापस लिखा गया प्रावधान तथा रु. शून्य (डेबिट) के लिए प्रावधान तथा उसे बटटे खाते में डालना आदि शामिल है ।

(Amount in Rs)

Segment wise Information	Yarn	Dyes & Chemicals	Fabrics	Total
A) Primary information				
1 Segment wise Revenue	905,50,29,311	45,42,51,764	77,640	9,50,93,58,715
2 Segment wise Results	(-) 3,83,64,293	2,36,74,499	13,502	(-) 1,46,76,292
3 Unallocated overheads	-	-	-	(-) 20,74,27,278
4 Interest from Bank & others	-	-	-	6,33,04,509
5 Other Income	-	-	-	106,95,604
6 Prior period adjustments	-	-	-	-
7 CSR Expenditure				(-) 105,74,012
8 Profit before tax	-	-	-	(-) 15,86,77,469
9 Provision for Tax including earlier year adjustments	-	-	-	(-) 4,99,536
10 Deferred tax	-	-	-	(-) 30,05,861
11 Profit after tax	-	-	-	(-) 16,21,82,865
12 Segment-wise assets	3,42,21,20,933	6,37,16,894	1,89,23,921	3,50,47,61,748
13 Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets).	-	-	-	2,50,27,27,922
14 Total Assets	-	-	-	600,74,89,670
15 Segment wise liabilities includes Bank Borrowing	404,46,43,018	2,39,34,926	204,68,635	408,90,46,579
16 Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings)	-	-	-	92,11,85,488
17 Total liabilities	-	-	-	501,02,32,067
18 Depreciation segment-wise	33,45,987	-	-	33,45,987

Notes:-i. There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.

ii. Segment- wise result includes interest on overdue bills/ deferred accrued interest for Rs 195700

iii. Segment-wise result includes liabilities/ provisions written back for Rs 2119464 (credit) , and provisions & write off etc made for Rs NIL (Debit).

ख)	द्वितीयक सूचना	क्षेत्र का नाम	खंड-वार राजस्व
1	ऐसे खंड जिनका राजस्व सभी भौगोलिक खंडों के कुल राजस्व का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार खंड-वार राजस्व	क्षे.का. कोयम्बटूर	3,25,74,57,687
		क्षे.का. वाराणसी	2,10,04,88,575
		क्षे.का. हैदराबाद	105,69,65,110
		क्षेत्र का नाम	परिसंपत्तियां
2	ऐसे खंड जिनकी परिसंपत्तियां सभी भौगोलिक खंडों की कुल परिसंपत्तियों का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार खंड-वार परिसंपत्तियां	क्षे.का. वाराणसी	2,60,95,15,782
		क्षेत्र का नाम	नियत परिसंपत्तियों में की गई वृद्धि
3	ऐसे खंड जिनकी परिसंपत्तियां सभी भौगोलिक खंडों की कुल परिसंपत्तियों का 10% अथवा उससे अधिक है, के लिए नियत परिसंपत्तियों में की गई वृद्धि	क्षे.का. गुहाटी	8,89,462
		क्षे.का. कोयम्बटूर	2,88,218
		क्षे.का. कोलकाता	1,81,720

- मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में बनाए गए तुलन पत्र के साथ संलग्न नोट 1 से 28 व महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा लाभ संबंधी विवरण एवं हानि तथा वर्ष की समाप्ति की तारीख को इक्विटी एवं नकदी अंतरप्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का अभिन्न अंग है ।
- जहां कही पूर्व वर्ष के आंकड़ों का मौजूदा आंकड़ों के साथ तुलना करना आवश्यक प्रतीत हुआ वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है ।
- आंकड़ों को नजदीकी पूर्णांक रू. के रूप में दर्शाया गया है ।

अंजलि यादव
कम्पनी सचिव

जितेन्द्र वी पुरोहित
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

संजीव दुआ
प्रबंध निदेशक
डी आई एन नं. 08447827

संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डी आई एन नं. 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अक्टूबर, 2019

ह/-
साझेदार : एन. के. गुप्ता
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N

B)	Secondary Information	Name of the Region	Segment Revenue
1	Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments.	RO Coimbatore	3,25,74,57,687
		RO Varanasi	2,10,04,88,575
		RO Hyderabad	105,69,65,110
		Name of the Region	Assets
2	Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments.	RO Varanasi	2,60,95,15,782
		Name of the Region	Addition to Fixed Assets
3	Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments.	RO Guwahati	8,89,462
		RO Coimbatore	2,88,218
		RO Kolkotta	1,81,720

- 5 Note 1 to 28 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.
- 6 The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.
- 7 Figures have been rounded off to the nearest rupees .

Anjali Yadav
Co. Secretary

Jitendra V Purohit
DGM (F&A) / CFO

Sanjeev Dua
Managing Director
DIN No. 08447827

Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405

Date : 28th October, 2019

Place : New Delhi
Date : 31st October, 2019

**As per our Report of even date
For MANV & Associates,
Chartered Accountants**

Sd/-
Partner : N.K. Gupta
M.No . : 085713
F.R.No. : 007351N

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी अंतःप्रवाह का विवरण

(राशि रु. में)

विवरण	2018-19	2017-18
(क) प्रचालन कार्यकलापों से नकदी अंतः प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	(-) 15,86,77,468	35,38,22,006
समायोजन:		
i मूल्यहास	96,05,995	90,11,194
ii विकासत्मक कार्यकलापों/चिकित्सा निधि पर किया गया व्यय संगत निधि से प्रभारित किया गया	(-) 7,92,276	(-) 6,31,704
iii वर्ष के दौरान वापस लिखा गया आयकर प्रावधान	0	(-) 13,50,007
iv परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0	66,964
v परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(-) 38,850	(-) 2,49,845
पूँजीगत परिवर्तन संबंधी कार्य करने से पूर्व प्रचालन लाभ	(-) 14,99,02,600	36,06,68,608
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन		
(नकदी एवं बैंक जमा राशियों को छोड़कर)		
वृद्धि/कमी:		
i माल	(-)1,27,66,195	27,38,334
ii बुक-ऋण	74,58,19,888	(-)1,51,95,13,561
iii ऋण और अग्रिम	(-)25,26,98,266	2,93,45,175
iv प्राप्तियां	81,83,54,732	(-)76,95,53,204
v व्यापार एवं अन्य देय	(-)1,21,76,31,427	1,25,29,83,321
कार्यकलापों से सृजित नकद राशि	(-)6,88,23,868	(-)64,33,31,327
कम: आयकर का भुगतान*	(-)405,70,055	(-)10,66,32,298
कार्यशील गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (क)	(-)10,93,93,923	(-)74,99,63,625
(ख) निवेश कार्यकलापों से नकदी अंतःप्रवाह		
i नियत परिसंपत्तियों की बिक्री	1,87,605	24,36,142
ii नियत परिसंपत्तियों/डब्ल्यूआईपी में की गई वृद्धि	(-)39,91,615	(-)1,12,51,975
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (ख)	(-)38,04,010	(-)88,15,833
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी अंतःप्रवाह		
i लाभांश का भुगतान	(-)3,52,14,880	(-)15,47,13,200
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (ग)	(-)3,52,14,880	(-)15,47,13,200
(घ) नकदी एवं नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	(-)14,84,12,813	(-)91,34,92,658
(ङ) नकदी एवं नकद समतुल्य-प्रारंभिक शेष	102,03,21,540	1,93,38,14,199
(च) कुल	87,19,08,728	102,03,21,541
(छ) नकदी एवं नकद समतुल्य - समापन शेष	87,19,08,728	102,03,21,541
नकदी एवं नकद समतुल्य:		
1 रोकड़ शेष	-	-
2 बैंक में चालू और सावधि जमा खाते में शेष राशि	87,19,08,728	102,03,21,541
कुल	87,19,08,728	102,03,21,541

Notes:- (i) अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत नकदी अंतः प्रवाह संबंधी विवरण तैयार किया गया है जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एएस-3 में निर्धारित किया गया है।

(ii) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं प्रयोज्य हैं, उन्हें पुनः समूहीकृत किया गया है।

अंजलि यादव
कम्पनी सचिव

जितेन्द्र वी पुरोहित
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

संजीव दुआ
प्रबंध निदेशक
डी आई एन नं. 08447827

संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डी आई एन नं. 07722405

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2019

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अक्टूबर, 2019

ह/-
साझेदार : एन. के. गुप्ता
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2019

(Amount In Rs.)

PARTICULARS	2018-19	2017-18
(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit before tax	(-) 15,86,77,468	35,38,22,006
Adjustments :		
i Depreciation	96,05,995	90,11,194
ii Expenditure on developmental activities/medical corpus charged to relevant fund	(-) 7,92,276	(-) 6,31,704
iii Income tax provision written back during the year	0	(-) 13,50,007
iv Loss on Sale of Assets	0	66,964
v Profit on Sale of Assets	(-) 38,850	(-) 2,49,845
OPERATING PROFIT BEFOREWORKING CAPITAL CHANGES	(-) 14,99,02,600	36,06,68,608
CHANGES IN WORKING CAPITAL		
(Excluding Cash & Bank Balances)		
Increase/Decrease in:		
i Inventories	(-)1,27,66,195	27,38,334
ii Book-debts	74,58,19,888	(-)1,51,95,13,561
iii Loans & Advances	(-)25,26,98,266	2,93,45,175
iv Receivables	81,83,54,732	(-)76,95,53,204
v Trade & other Payables	(-)1,21,76,31,427	1,25,29,83,321
Cash Generated from Operations`	(-)6,88,23,868	(-)64,33,31,327
Less : Income Tax paid*	(-)405,70,055	(-)10,66,32,298
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(-)10,93,93,923	(-)74,99,63,625
(B)CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
i Sale of Fixed Assets	1,87,605	24,36,142
ii Addition to Fixed Assets/W.I.P	(-)39,91,615	(-)1,12,51,975
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(-)38,04,010	(-)88,15,833
(C) CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES		
i Payment of Dividend	(-)3,52,14,880	(-)15,47,13,200
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	(-)3,52,14,880	(-)15,47,13,200
(D)NET CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENT (A+B+C)	(-)14,84,12,813	(-)91,34,92,658
(E)CASH AND CASH EQUIVALENT- OPENING BALNACE	102,03,21,540	1,93,38,14,199
(F)TOTAL	87,19,08,728	102,03,21,541
(G)CASH AND CASH EQUIVALENT- CLOSING BALANCE	87,19,08,728	102,03,21,541
Cash & Cash Equivalent represent :		
1 Cash in Hand	-	-
2 Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account	87,19,08,728	102,03,21,541
Total	87,19,08,728	102,03,21,541

Notes:- (i) Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.

(ii) 'Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.

Anjali Yadav
Co. Secretary

Jitendra V Purohit
DGM (F&A) / CFO

Sanjeev Dua
Managing Director
DIN No. 08447827

Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405

Date : 28th October, 2019

Sd/-

Place : New Delhi

Date : 31st October, 2019

Partner : N.K. Gupta

M.No . : 085713

F.R.No. : 007351N

As per our Report of even date

For MANV & Associates, Chartered Accountants

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी	(राशि रु. में)
समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि
1900000000	1900000000

विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	मिश्रित वित्तीय साधनों के इक्विटी घटक	पूँजीगत रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व का उल्लेख करें)	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व का उल्लेख करें)	अन्य रिजर्व (कृपया स्वरूप का उल्लेख करें)	प्रतिधारित आय	अन्य समग्र आय के जरिए ऋण विलेख	नकदी अतिशेष का अंतप्रवाह पर प्रभावी भाग	अधिशेष पुनर्मुल्यांकन	एक विदेशी कार्यकलाप के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय संबंधी मतभेद	अन्य समय आय की अन्य मदें (कृपया स्वरूप का उल्लेख करें)	शेयर वारंट्स कुल के बदले प्राप्त की गई धनराशि	कुल
समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में शेष राशि				1,20,19,532	95,82,13,212									
पूर्व की अवधि संबंधी त्रुटियों की लेखांकन नीति में परिवर्तन				-	-									
समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में पुनरु उल्लिखित शेष राशि				-	-									
कुल समग्र आय				-	-									
लामाश					0									
प्रतिधारित आय का अंतरण				5,74,296	(-)	16,21,82,863								
कोई अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करने के लिए)				13,66,572	0									
समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि				1,12,27,256	79,60,30,349									

अंजलि यादव
कम्पनी सचिव

जितेन्द्र वी पुरोहित
डीजीएम (वित्त एवं लेखा) सीएफओ

संजीव दुआ
प्रबंध निदेशक

संजय रस्तोगी
अध्यक्ष

डी आई एन 08447827

डी आई एन 07722405

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2019

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 31 अक्टूबर, 2019

ह/—

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार एम ए एन वी और एसोसिएट्स के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

साझेदार : एन. के. गुप्ता
एम. नं. 085713, एफ.आर.नं. 007351N

**NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW
STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019**

(A) Equity Share Capital	(Amount in Rs.)
Balance at the beginning of the reporting period	190000000
Changes in equity share capital during the year	-
Balance at the end of the reporting period	190000000

(B) Other Equity	(Amount in Rs.)												
Particulars	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Reserves and Surplus	Retained earnings	Debt instruments through other Comprehensive income	Effective portion on Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of other comprehensive income (specify nature)	Money received against share warrants	Total
Balance at the beginning of the reporting period					1,20,19,532	95,82,13,212							
Changes in accounting policy of prior period errors					-	-							
Restated balance at the beginning of the reporting period					-	-							
Total Comprehensive Income for the year					-	-							
Dividends						0							
Transfer to retained earnings					5,74,296	(+)-16,21,82,863							
Any other change (to be specified)					13,66,572	0							
Balance at the end of the reporting period					1,12,27,256	79,60,30,349							

Anjali Yadav Co. Secretary	Sanjeev Dua Managing Director DIN 08447827
Jitendra V Purohit DGM (F&A) / CFO	Sanjay Rastogi Chairman DIN - 07722405

Date : 28th October, 2019

Sd/-

Partner : **N.K. Gupta**
M.No . : **085713**
F.R.No. : **007351N**

Place : New Delhi
Date : 31st October, 2019

As per our Report of even date
For MANV & Associates, Chartered Accountants

**कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अनुसरण में सूचना, तुलन-पत्र
तथा कंपनी की सामान्य व्यावसायिक रूप रेखा**

i) पंजीकरण संबंधी ब्यौरा :	
सीआईएन सं.	U17299UP1983GOI005974
पंजीकरण सं.	5974/83
राज्य का कोड	20
तुलन-पत्र की तारीख	31-03-2019
ii) वर्ष के दौरान बढ़ाई गई पूंजी (राशि रु. में) जिसे भारत सरकार द्वारा सब्सक्राइब किया गया	
	-
iii) निधियों की गत्यात्मकता तथा उनके नियोजन की स्थिति (राशि रु. में)	
कुल देयताएं	Total Assets
6,00,74,89,670	6,00,74,89,670
निधियों का स्रोत	
चूकता पूंजी	19,00,00,000
रिजर्व एवं अधिशेष	80,72,57,605
आस्थगित कर देयता (निवल)	(-)2,26,62,983
समग्र निधि (विपणन परिसर, मेगा क्लस्टर, टीएफसी और पीएचपी)	78,51,15,586
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	0
मौजूदा देयताएं	4,24,77,79,462
निधियों का अनुप्रयोग	
निवल नियत परिसंपतियां – वास्तविक	12,76,01,865
– अवास्तविक	1,18,40,225
प्रक्रियाधीन पूंजीगत काय	0
समग्र निधि का नियोजन (विपणन परिसर एवं मेगा क्लस्टर)	78,51,15,586
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	3,67,778
मौजूदा परिसंपतियां	5,08,25,64,216
iv) कंपनी का कार्यनिष्पादन	
कारोबार	9,50,93,58,715
कुल व्यय	9,66,80,36,183
कर पूर्व लाभ	(-)15,86,77,468
कर पश्चात् लाभ	(-)16,21,82,863
प्रति शेयर आय रु. में	(-)85.36
लाभांश (शेयर पूंजी का)	0.00%%
v) कंपनी के प्रमुख उत्पाद का जेनेरिक नाम	
उत्पाद का वर्णन	मद कोड सं. (आईटीसी कोड)
सूत	5208(कपास)
डाई एवं रसायन	3204(डाई)
फैब्रिक	N.A.

**INFORMATION PURSUANT TO SCHEDULE III TO THE COMPANIES ACT, 2013,
BALANCE SHEET AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE**

i) Registration details:	
CIN No.	U17299UP1983GOI005974
Registration No.	5974/83
State Code	20
Date of Balance sheet	31-03-2019
ii) Capital raised during the year (Amount in Rs.) subscribed by Government of India.	
	-
iii) Position of Mobilization and Deployment of Funds (Amount in Rs.)	
Total Liabilities	Total Assets
6,00,74,89,670	6,00,74,89,670
Sources of Funds	
Paid up Capital	19,00,00,000
Reserve & Surplus	80,72,57,605
Deferred tax liability (net)	(-)2,26,62,983
Corpus Fund (Marketing Complex, Mega Cluster, TFC & PHP)	78,51,15,586
Other Non Current liabilities	0
Current liabilities	4,24,77,79,462
Application of Funds	
Net Fixed Assets Tangible	12,76,01,865
I - ntangible	1,18,40,225
Capital work in progress	0
Deployment of Corpus Fund (Marketing Complex & Mega Cluster)	78,51,15,586
Other Non Current Assets	3,67,778
Current Assets	5,08,25,64,216
iv) Performance of the company	
Turnover	9,50,93,58,715
Total Expenditure	9,66,80,36,183
Profit before Tax	(-)15,86,77,468
Profit after Tax	(-)16,21,82,863
Earning per share in Rupees	(-)85.36
Dividend (% age of Share Capital)	0.00%
v) Generic name of the principal product of the company	
Product description	Item Code No. (ITC Code)
Yarn	5208(Cotton)
Dyes & Chemicals	3204(Dyes)
Fabric	N.A.

i) अनुदान संबंधी विवरण

मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए सरकारी अनुदान तथा प्रतिभागियों की राशि का ब्यौरा

(रु. में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.2018 को	वर्ष के दौरान प्राप्तियां		कुल	वर्ष के दौरान लेन-देन		कुल	दिनांक 31.03.2019 को शेष राशि
			सरकार से	प्रतिभागियों से		खर्च	वापसी / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7	8	9(7+8)	10(6-9)
(क)	विपणन प्रदर्शनी व्यय								
1	सिल्क फ़ैब, गुवाहाटी 2016-17	(-)64,676			(-)64,676		(-)64,676	(-)64,676	0
2	सिल्क फ़ैब, पुणे 2016-17	98,631			98,631		98,631	98,631	0
3	सिल्क फ़ैब, हैदराबाद 2016-17	3,00,151			3,00,151		3,00,151	3,00,151	0
4	सिल्क फ़ैब, भुवनेश्वर 2016-17	7,66,167			7,66,167		7,66,167	7,66,167	0
5	नैशनल हैंडलूम एक्सपो अहमदाबाद 2016-17	31,01,489			31,01,489		31,01,489	31,01,489	0
6	सिल्क फ़ैब, विजयवाडा 16-17	(-)25,000			(-)25,000		(-)25,000	(-)25,000	0
7	सिल्क फ़ैब, लखनऊ 16-17	(-)1,70,000			(-)1,70,000		(-)1,70,000	(-)1,70,000	0
8	सिल्क फ़ैब, रायपुर 16-17	(-)59,559			(-)59,559		(-)59,559	(-)59,559	0
9	सिल्क फ़ैब, कोयम्बटूर 16-17	(-)14,250			(-)14,250		(-)14,250	(-)14,250	0
10	मेगा सिल्क सिल्क फ़ैब, नई दिल्ली 16-17	(-)25,000			(-)25,000		(-)25,000	(-)25,000	0
11	मेगा प्रदर्शनी, बैंगलूरु 16-17	(-)75,000			(-)75,000		(-)75,000	(-)75,000	0
12	मेगा प्रदर्शनी, इंदौर 16-17	(-)10,000			(-)10,000		(-)10,000	(-)10,000	0
13	मेगा सिल्क फ़ैब, कोलकाता 16-17	(-)25,000			(-)25,000		(-)25,000	(-)25,000	0
14	सिल्क फ़ैब, सूरत 16-17	(-)1,00,000			(-)1,00,000		(-)1,00,000	(-)1,00,000	0
15	सिल्क फ़ैब, वाराणसी (एनएचई) 17-18	(-)9,24,509			(-)9,24,509	16,03,804		16,03,804	6,79,295
16	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, रायपुर 17-18	(-)5,87,226			(-)5,87,226	12,24,381		12,24,381	6,37,155
17	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, हैदराबाद 17-18	1,34,297		50,000	84,297	8,83,194		8,83,194	9,67,491
18	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, जम्मू एंड कश्मीर 17-18	1,37,271			1,37,271	7,80,457		7,80,457	9,17,728
19	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, अमृतसर 17-18	1,47,558		50,000	97,558	8,98,744		8,98,744	9,96,302
20	ऊन फ़ैब, जोधपुर 17-18	2,99,851			2,99,851		(-)40,044	(-)40,044	2,59,807
21	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, गुवाहाटी 17-18	6,23,221		(-)10,000	6,13,221	2,89,410		2,89,410	9,02,631
22	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, रांची 17-18	7,02,819		(-)15,000	6,87,819	2,46,269		2,46,269	9,34,088
23	ऊन फ़ैब प्रदर्शनी, लखनऊ 17-18	7,62,771		10,000	7,52,771	96,349		96,349	8,49,120
24	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, ईटानगर 17-18	8,23,759			8,23,759	0	(-)12,123	(-)12,123	8,11,636
25	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, कोयम्बटूर 17-18	8,30,558			8,30,558	1,67,373		1,67,373	9,97,931
26	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, देहरादून 17-18	8,70,790		(-)10,000	8,60,790	89,365		89,365	9,50,155
27	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, गैंगटोक 17-18	8,94,885			8,94,885		(-)52,477	(-)52,477	8,42,408
28	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, पुणे 17-18	9,57,224		62,500	8,94,724	1,01,407		1,01,407	9,96,131
29	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, सूरत 17-18	11,36,097		(-)25,000	11,11,097	12,86,083		12,86,083	23,97,180
30	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, जमशेदपुर 17-18	12,58,189			12,58,189	8,99,555		8,99,555	21,57,744
31	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, लखनऊ 17-18	13,54,192		29,60,000	(-)16,05,808	25,98,992		25,98,992	9,93,184
32	ऊन फ़ैब प्रदर्शनी, दिल्ली 17-18	14,62,760			14,62,760		(-)5,68,143	(-)5,68,143	8,94,617
33	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, चंडीगढ़ 17-18	15,28,758		(-)3,05,000	12,23,758	11,70,713		11,70,713	23,94,471
34	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, पटना 17-18	15,98,463		45,000	15,53,463	18,16,116		18,16,116	33,69,579
35	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, अहमदाबाद 17-18	20,37,126		(-)1,25,000	19,12,126	4,81,220		4,81,220	23,93,346
36	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी, विजयवाडा 17-18	47,01,847			47,01,847		(-)37,08,678	(-)37,08,678	9,93,169

i) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

Sr. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2018	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance as on 31.03.2019
			From Govt.	From Participants		Expenses	Refund / Adjustment/Transfer		
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7	8	9(7+8)	10(6-9)
(A) MARKETING EXHIBITION EXPENSES									
1	SILK FAB GUWAHATI 2016-2017	(-)64,676			(-)64,676		(-)64,676	(-)64,676	0
2	SILK FAB PUNE 2016-2017	98,631			98,631		98,631	98,631	0
3	SILK FAB HYDERABAD 2016-2017	3,00,151			3,00,151		3,00,151	3,00,151	0
4	SILK FAB BHUBHNEHWAR 2016-2017	7,66,167			7,66,167		7,66,167	7,66,167	0
5	NATION HAND LOOM EXPO AHMADABAD 2016-2017	31,01,489			31,01,489		31,01,489	31,01,489	0
6	SILK FAB VIJAWADA 16-17	(-)25,000			(-)25,000		(-)25,000	(-)25,000	0
7	SILK FAB LUCKNOW 16-17	(-)1,70,000			(-)1,70,000		(-)1,70,000	(-)1,70,000	0
8	SILK FAB RAIPUR 16-17	(-)59,559			(-)59,559		(-)59,559	(-)59,559	0
9	SILK FAB COIMBATORE 16-17	(-)14,250			(-)14,250		(-)14,250	(-)14,250	0
10	MEGA SILK FAB NEW DELHI -16-17	(-)25,000			(-)25,000		(-)25,000	(-)25,000	0
11	MEGA EXHIBITION BENGALURU 16-17	(-)75,000			(-)75,000		(-)75,000	(-)75,000	0
12	MEGA EXHIBITION INDORE 16-17	(-)10,000			(-)10,000		(-)10,000	(-)10,000	0
13	MEGA SILK FAB KOLKATTA 16-17	(-)25,000			(-)25,000		(-)25,000	(-)25,000	0
14	SILK FAB SURAT 16-17	(-)1,00,000			(-)1,00,000		(-)1,00,000	(-)1,00,000	0
15	SILK FAB VARANASI (NHE) 2017-2018	(-)9,24,509			(-)9,24,509	16,03,804		16,03,804	6,79,295
16	SILK FAB EXHIBITION RAIPUR 2017-2018	(-)5,87,226			(-)5,87,226	12,24,381		12,24,381	6,37,155
17	SILK FAB HYDERABAD 2017-18	1,34,297		50,000	84,297	8,83,194		8,83,194	9,67,491
18	SILK FAB EXHIBITION J & K 2017-2018	1,37,271			1,37,271	7,80,457		7,80,457	9,17,728
19	SILK FAB EXHIBITION AMRITSAR 2017-2018	1,47,558		50,000	97,558	8,98,744		8,98,744	9,96,302
20	WOOL FAB JODH PUR 2017-2018	2,99,851			2,99,851		(-)40,044	(-)40,044	2,59,807
21	SILK FAB EXHIBITION GUWAHATI 2017-2018	6,23,221		(-)10,000	6,13,221	2,89,410		2,89,410	9,02,631
22	SILK FAB RANCHI 2017-2018	7,02,819		(-)15,000	6,87,819	2,46,269		2,46,269	9,34,088
23	WOOL FAB EXHIBITION LUCKNOW 2017-2018	7,62,771		10,000	7,52,771	96,349		96,349	8,49,120
24	SILK FAB EXHIBITION ITANAGAR 2017-2018	8,23,759			8,23,759	0	(-)12,123	(-)12,123	8,11,636
25	SILK FAB EXHIBITION COIMBATORE 2017-2018	8,30,558			8,30,558	1,67,373		1,67,373	9,97,931
26	SILK FAB EXHIBITION DEHRADUN 2017-2018	8,70,790		(-)10,000	8,60,790	89,365		89,365	9,50,155
27	SILK FAB EXHIBITION GANGTOK 2017-2018	8,94,885			8,94,885		(-)52,477	(-)52,477	8,42,408
28	SILK FAB EXHIBITION PUNE 2017-2018	9,57,224		62,500	8,94,724	1,01,407		1,01,407	9,96,131
29	SILK FAB EXHIBITION SURAT 2017-2018	11,36,097		(-)25,000	11,11,097	12,86,083		12,86,083	23,97,180
30	SILK FAB EXHIBITION JAMSHEDPUR 2017-2018	12,58,189			12,58,189	8,99,555		8,99,555	21,57,744
31	SILK FAB EXHIBITION LUCKNOW 2017-2018	13,54,192		29,60,000	(-)16,05,808	25,98,992		25,98,992	9,93,184
32	WOOL FAB NEW DELHI 2017-2018	14,62,760			14,62,760		(-)5,68,143	(-)5,68,143	8,94,617
33	SILK FAB EXHIBITION CHANDIGARH 2017-2018	15,28,758		(-)3,05,000	12,23,758	11,70,713		11,70,713	23,94,471
34	SILK FAB EXHIBITION PATNA 2017-2018	15,98,463		45,000	15,53,463	18,16,116		18,16,116	33,69,579
35	SILK FAB EXHIBITION AHMEDABAD 2017-2018	20,37,126		(-)1,25,000	19,12,126	4,81,220		4,81,220	23,93,346
36	SILK FAB EXHIBITION VIJAYAWADA 2017-2018	47,01,847			47,01,847		(-)37,08,678	(-)37,08,678	9,93,169

37	सिल्क फ़ैब, इंदौर 17-18	21,95,104			2195104		(-1,10,106)	(-1,10,106)	20,84,998
38	सिल्क फ़ैब, बरोडा 17-18	22,21,242	9,27,500	12,93,742	32,06,258			32,06,258	45,00,000
39	सिल्क फ़ैब, जबलपुर 17-18	22,99,077	50,000	22,49,077	1,43,298			1,43,298	23,92,375
40	सिल्क फ़ैब, भुवनेश्वर 17-18	27,17,600	50,000	26,67,600			(-2,77,704)	(-2,77,704)	23,89,896
41	सिल्क फ़ैब, अरुणकुलम 17-18	27,78,102	25,000	28,03,102			(-4,06,216)	(-4,06,216)	23,96,886
42	ऊन फ़ैब, वाराणसी 17-18	29,88,808		29,88,808			(-19,95,391)	(-19,95,391)	9,93,417
43	सिल्क फ़ैब, बैंगलुरु 17-18	30,21,492	3,70,000	26,51,492			(-2,54,358)	(-2,54,358)	23,97,134
44	सिल्क फ़ैब, कोलकाता 17-18	32,53,869		32,53,869			(-8,61,667)	(-8,61,667)	23,92,202
45	सिल्क फ़ैब, मुम्बई 17-18	36,46,667	25,000	36,21,667			(-12,24,129)	(-12,24,129)	23,97,538
46	सिल्क फ़ैब, नई दिल्ली 17-18	42,92,888	60,000	42,32,888			(-18,32,888)	(-18,32,888)	24,00,000
47	सिल्क फ़ैब, अहमदाबाद 18-19		14,00,000	14,00,000	23,79,760		(-2,988)	23,76,772	9,76,772
48	सिल्क फ़ैब, इलाहबाद 18-19		0	0	26,62,027		(-2,95,080)	23,66,947	23,66,947
49	सिल्क फ़ैब, बैंगलुरु 18-19		14,00,000	14,00,000	31,34,983		(-7,37,011)	23,97,972	9,97,972
50	सिल्क फ़ैब, भुवनेश्वर 18-19		14,00,000	14,00,000	22,42,845		(-89,612)	21,53,233	7,53,233
51	सिल्क फ़ैब, चंडीगढ़ 18-19		14,00,000	14,00,000	34,08,488		(-11,18,857)	22,89,631	8,89,631
52	सिल्क फ़ैब, देहरादून 18-19		14,00,000	14,00,000	31,97,238		(-9,31,597)	22,65,641	8,65,641
53	सिल्क फ़ैब, एरुनाकुलम 18-19		14,00,000	14,00,000	26,35,767		(-2,52,117)	23,83,650	9,83,650
54	सिल्क फ़ैब, हैदराबाद 18-19			0	27,18,232		(-4,90,716)	22,27,516	22,27,516
55	सिल्क फ़ैब, जम्मू एंड कश्मीर 18-19		14,00,000	14,00,000	22,17,193		(-1,165)	22,16,028	8,16,028
56	सिल्क फ़ैब, जबलपुर 18-19		14,00,000	14,00,000	24,38,418		(-1,05,268)	23,33,150	9,33,150
57	सिल्क फ़ैब, जमशेदपुर 18-19		14,00,000	14,00,000	22,44,510		(-40,488)	22,04,022	8,04,022
58	सिल्क फ़ैब, कोलकाता 18-19		14,00,000	14,00,000	23,41,589		(-1,08,807)	22,32,782	8,32,782
59	सिल्क फ़ैब, दिल्ली 18-19		14,00,000	14,00,000	40,30,664		(-16,33,140)	23,97,524	9,97,524
60	ऊन फ़ैब, लखनऊ 18-19		14,00,000	14,00,000	30,67,495		(-7,86,393)	22,81,102	8,81,102
61	सिल्क फ़ैब, सूरत 18-19		14,00,000	14,00,000	22,50,842		(-4,567)	22,46,275	8,46,275
62	सिल्क फ़ैब, रायपुर 18-19			0	22,80,275		(-51,351)	22,28,924	22,28,924
63	सिल्क फ़ैब, पुणे 18-19		14,00,000	14,00,000	31,49,106		(-8,39,287)	23,09,819	9,09,819
64	सिल्क फ़ैब, मुम्बई 18-19		14,00,000	14,00,000	25,19,235		(-1,69,090)	23,50,145	9,50,145
65	सिल्क फ़ैब, लखनऊ 18-19		14,00,000	14,00,000	30,50,383		(-7,52,865)	22,97,518	8,97,518
66	सिल्क फ़ैब, हुबली 18-19		14,00,000	14,00,000	30,48,975		(-7,51,836)	22,97,139	8,97,139
67	सिल्क फ़ैब, पटना (एनएचई) 18-19			0	35,95,105		(-3,31,983)	32,66,122	32,66,122
68	सिल्क फ़ैब, चैन्नई (एनएचई) 18-19		22,50,000	22,50,000	37,23,473		(-180)	37,23,293	14,73,293
69	सिल्क फ़ैब, इंदौर (एनएचई) 18-19		22,50,000	22,50,000	37,31,570		(-1,71,555)	35,60,015	13,10,015
70	सिल्क फ़ैब, नागपुर (एनएचई) 18-19		11,00,000	11,00,000	24,20,235		(-8,32,589)	15,87,646	4,87,646
(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्रेता-विक्रेता सम्मेलन)									
1	अगरतला में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन	(-83,085)			(-83,085)		(-83,085)	(-83,085)	0
2	इंफाल में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2014-15	(-77,166)			(-77,166)		(-77,166)	(-77,166)	0
3	गुवाहाटी में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2014-15	(-88,884)			(-88,884)		(-88,884)	(-88,884)	0
4	विजयवाडा में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2014-15	(-6,605)			(-6,605)		(-6,605)	(-6,605)	0
5	हुबली/गदग में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2014-15	(-14,673)			(-14,673)		(-14,673)	(-14,673)	0
6	कोयम्बटूर में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2014-15-16-17-18	1,83,997			1,83,997		1,83,997	1,83,997	0
7	कांचीपुरम में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2014-15	(-83,021)			(-83,021)		(-83,021)	(-83,021)	0
8	काशीपुर/भदोई में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2014-15	(-60,950)			(-60,950)		(-60,950)	(-60,950)	0
9	भागलपुर क्रेता-विक्रेता सम्मेलन	(-16,261)			(-16,261)		(-16,261)	(-16,261)	0

37	SILK FAB EXHIBITION INDORE 2017-2018	21,95,104			2195104		(-1,10,106)	(-1,10,106)	20,84,998
38	Silk Fab Baroda 2017-18	22,21,242		9,27,500	12,93,742	32,06,258		32,06,258	45,00,000
39	SILK FAB EXHIBITION JABALPUR 2017-2018	22,99,077		50,000	22,49,077	1,43,298		1,43,298	23,92,375
40	SILK FAB EXHIBITION BHUBANESWAR 2017-2018	27,17,600		50,000	26,67,600		(-2,77,704)	(-2,77,704)	23,89,896
41	SILK FAB EXHIBITION ERNAKULAM 2017-2018	27,78,102		25,000	28,03,102		(-4,06,216)	(-4,06,216)	23,96,886
42	WOOL FAB EXHIBITION VARANASI 2017-2018	29,88,808			29,88,808		(-19,95,391)	(-19,95,391)	9,93,417
43	SILK FAB EXHIBITION BENGALURU 2017-2018	30,21,492		3,70,000	26,51,492		(-2,54,358)	(-2,54,358)	23,97,134
44	SILK FAB EXHIBITION KOLKATA 2017-2018	32,53,869			32,53,869		(-8,61,667)	(-8,61,667)	23,92,202
45	SILK FAB MUMBAI 2017-2018	36,46,667		25,000	36,21,667		(-12,24,129)	(-12,24,129)	23,97,538
46	SILK FAB EXHIBITION NEW DELHI 2017-2018	42,92,888		60,000	42,32,888		(-18,32,888)	(-18,32,888)	24,00,000
47	SILK FAB EXHIBITION AHMEDABAD 2018-2019		14,00,000		14,00,000	23,79,760	(-2,988)	23,76,772	9,76,772
48	SILK FAB EXHIBITION ALLAHABAD 2018-2019		0		0	26,62,027	(-2,95,080)	23,66,947	23,66,947
49	SILK FAB EXHIBITION BENGALURU 2018-2019		14,00,000		14,00,000	31,34,983	(-7,37,011)	23,97,972	9,97,972
50	SILK FAB EXHIBITION BHUBANESWAR 2018-2019		14,00,000		14,00,000	22,42,845	(-89,612)	21,53,233	7,53,233
51	SILK FAB EXHIBITION CHANDIGRADH 2018-2019		14,00,000		14,00,000	34,08,488	(-11,18,857)	22,89,631	8,89,631
52	SILK FAB EXHIBITION DEHRADUN 2018-2019		14,00,000		14,00,000	31,97,238	(-9,31,597)	22,65,641	8,65,641
53	SILK FAB EXHIBITION ERNAKULAM 2018-2019		14,00,000		14,00,000	26,35,767	(-2,52,117)	23,83,650	9,83,650
54	SILK FAB EXHIBITION HYDERABAD 2018-2019				0	27,18,232	(-4,90,716)	22,27,516	22,27,516
55	SILK FAB EXHIBITION J & K 2018-2019		14,00,000		14,00,000	22,17,193	(-1,165)	22,16,028	8,16,028
56	SILK FAB EXHIBITION JABALPUR 2018-2019		14,00,000		14,00,000	24,38,418	(-1,05,268)	23,33,150	9,33,150
57	SILK FAB EXHIBITION JAMSHEDPUR 2018-2019		14,00,000		14,00,000	22,44,510	(-40,488)	22,04,022	8,04,022
58	SILK FAB EXHIBITION KOLKATA 2018-2019		14,00,000		14,00,000	23,41,589	(-1,08,807)	22,32,782	8,32,782
59	SILK FAB EXHIBITION DELHI SILK FAB 2018-2019		14,00,000		14,00,000	40,30,664	(-16,33,140)	23,97,524	9,97,524
60	WOOL FAB EXHIBITION LUCKNOW 2018-2019		14,00,000		14,00,000	30,67,495	(-7,86,393)	22,81,102	8,81,102
61	SILK FAB EXHIBITION SURAT 2018-2019		14,00,000		14,00,000	22,50,842	(-4,567)	22,46,275	8,46,275
62	SILK FAB EXHIBITION RAIPUR 2018-2019				0	22,80,275	(-51,351)	22,28,924	22,28,924
63	SILK FAB EXHIBITION PUNE 2018-2019		14,00,000		14,00,000	31,49,106	(-8,39,287)	23,09,819	9,09,819
64	SILK FAB EXHIBITION MUMBAI 2018-2019		14,00,000		14,00,000	25,19,235	(-1,69,090)	23,50,145	9,50,145
65	SILK FAB EXHIBITION SILK LUCKNOW 2018-2019		14,00,000		14,00,000	30,50,383	(-7,52,865)	22,97,518	8,97,518
66	SILK FAB EXHIBITION HUBLI 2018-2019		14,00,000		14,00,000	30,48,975	(-7,51,836)	22,97,139	8,97,139
67	SILK FAB EXHIBITION PATNA NHE 2018-2019				0	35,95,105	(-3,31,983)	32,66,122	32,66,122
68	SILK FAB EXHIBITION CHENNAI NHE 2018-2019		22,50,000		22,50,000	37,23,473	(-180)	37,23,293	14,73,293
69	SILK FAB EXHIBITION INDORE NHE 2018-2019		22,50,000		22,50,000	37,31,570	(-1,71,555)	35,60,015	13,10,015
70	SILK FAB EXHIBITION NAGPUR NHE 2018-2019		11,00,000		11,00,000	24,20,235	(-8,32,589)	15,87,646	4,87,646
(B) TRAINING PROGRAMME (BUYER-SELLER MEET)									
1	BUYER SELLER MEET AT AGARTALA	(-83,085)			(-83,085)		(-83,085)	(-83,085)	0
2	BUYER SELLER MEET AT IMPHAL 2014-15	(-77,166)			(-77,166)		(-77,166)	(-77,166)	0
3	BUYER SELLER MEET AT GUWAHATI 2014-15	(-88,884)			(-88,884)		(-88,884)	(-88,884)	0
4	BUYER SELLER MEET AT VIJAYWADA 2014-15	(-6,605)			(-6,605)		(-6,605)	(-6,605)	0
5	BUYER SELLER MEET AT HUBLI/ GADAG 14-15	(-14,673)			(-14,673)		(-14,673)	(-14,673)	0
6	BUYER SELLER MEET- COIMBATORE 2014-15-16-17-18	1,83,997			1,83,997		1,83,997	1,83,997	0
7	BUYER SELLER MEET AT KANCHIPURAM 14-15	(-83,021)			(-83,021)		(-83,021)	(-83,021)	0
8	BUYER SELLER MEET AT KASHIPUR/BHADOHI 14-15	(-60,950)			(-60,950)		(-60,950)	(-60,950)	0
9	BUYER SELLER MEET AT BHAGALPUR	(-16,261)			(-16,261)		(-16,261)	(-16,261)	0

10	भागलपुर क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2016-17	(-)22,255			(-)22,255	(-)22,255	(-)22,255	0
11	गुवाहाटी क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 2017-18	2,60,899			2,60,899	2,60,899	2,60,899	0
(ग) व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी (टीएफसी)								
1	हथकरघा संवर्धन सहायता सम्मेलन 22.12.2016 वाराणसी	30,96,110			30,96,110		0	30,96,110
2	प्रयोजना प्रबंधन लेन-देन सलाह (पीएमटीए जेएलएल)	44,77,283	1,15,54,737		(-)70,77,454	71,99,478	71,99,478	1,22,024
3	फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा की गई यात्रा (टीएफसी) वाराणसी	8,97,474			8,97,474		0	8,97,474
4	दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार और म्यूजियम सेंटर (टीएफसी)	28,68,112	1,38,48,128	1,04,88,195	(-)2,14,68,210	3,58,51,785	3,58,51,785	1,43,83,575
5	22.09.2017 को टीएफसी और सीएम पर उदघाटन कार्यक्रम	36,63,465			36,63,465		0	36,63,465
(घ) 7 सीएफसी								
1	सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) वाराणसी के लिए अनुदान	(-)10,81,993			(-)10,81,993		0	-10,81,993
2	7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान	1,24,96,280			1,24,96,280		0	1,24,96,280
3	सीएफसी वाराणसी मेगा हेंडलूम कलस्टर में 15 बुनकर चौपाल	-2,679			(-)2,679		0	-2,679
4	सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान	23,69,681			23,69,681	4,34,199	4,34,199	28,03,880
(ड) हथकरघा संवर्धन सहायता योजना								
1	हथकरघा संवर्धन सहायता योजना (केंद्र सरकार का अंश) प्राप्ति	(-)12,42,59,606			(-)12,42,59,606		12,42,59,606	12,42,59,606
2	हथकरघा संवर्धन सहायता योजना (केंद्र सरकार का अंश) भुगतान	9,94,500			9,94,500		9,94,500	9,94,500
3	हथकरघा संवर्धन सहायता योजना (नोडल एजेंसी का अंश) प्राप्ति	(-)14,29,81,580			(-)14,29,81,580		14,29,81,580	14,29,81,580
4	हथकरघा संवर्धन सहायता योजना अहमदाबाद (केंद्र सरकार का अंश) प्राप्ति	(-)55,80,000			(-)55,80,000		55,80,000	55,80,000
5	हथकरघा संवर्धन सहायता योजना जम्मू एंड कश्मीर (केंद्र सरकार का अंश) प्राप्ति	(-)1,11,249			(-)1,11,249		1,11,249	1,11,249
(च) अन्य अनुदान								
1	कलस्टर विकास कार्यक्रम वर्धमान	(-)1,20,147			(-)1,20,147			(-)1,20,147
2	पुरस्कार के लिए अनुदान/पुरस्कार वितरण 6 आईआईएचटीएस में	(-)6,78,000			(-)6,78,000			(-)6,78,000
3	बहुसंख्यक बीयूटीआई मशीन के ईएक्स पीपरिचय हेतु अनुदान	(-)5,138			(-)5,138			(-)5,138
4	डब्ल्यूएससी, वाराणसी में चार पहिया वाहन तथा विविध खर्च हेतु अनुदान	(-)96,400			(-)96,400			(-)96,400
5	6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति हेतु अनुदान	(-)30,000			(-)30,000			(-)30,000
6	बुनकरों जागरूकता शिविर	(-)7,60,175			(-)7,60,175			(-)7,60,175
7	राष्ट्रीय हथकरघा अभियान (आई एच बी ब्रांड)	17,75,419			17,75,419	35,36,094	35,36,094	53,11,513
8	हैण्डलूम बुनकर मित्र सहायता लाइन सेंटर	83,53,236			83,53,236	54,46,082	54,46,082	1,37,99,318
9	डिजाइन और पैट्रन विकास, वाराणसी	(-)3,61,600			(-)3,61,600	3,43,737	3,43,737	(-)17,863
10	बीएलआईएल्यू के तहत संविदागत कर्मचारियों की भर्ती के लिए अनुदान	(-)5,22,071			(-)5,22,071	55,533	55,533	(-)4,66,538
11	कौशल उन्नयन के लिए अनुदान (बुनकर सेवा केंद्र)	36,991			36,991		36,991	36,991
12	आईएचबी प्रमाणीकरण के लिए एनएचडीपी का विपणन सहायता घटक	(-)2,89,500			(-)2,89,500			(-)2,89,500

10	BUYER SELLER MEET AT BHAGALPUR 2016-2017	(-)22,255			(-)22,255		(-)22,255	(-)22,255	0
11	BUYER SELLER MEET AT GUWAHATI 2017-18	2,60,899			2,60,899		2,60,899	2,60,899	0
C TRADE FACIATION CENTRE VARANASI (TFC)									
1	HATKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA 22.12.2016 VNS	30,96,110			30,96,110			0	30,96,110
2	PROJECT MANAGEMENT TRANSACTION ADVISORY (PMTA JLL)	44,77,283	1,15,54,737		(-)70,77,454	71,99,478		71,99,478	1,22,024
3	VISIT OF FRENCH PRESIDENT TO T F C ON 12/03/2018	8,97,474			8,97,474			0	8,97,474
4	DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE & MUSEUM CENTRE (TFC)	28,68,112	1,38,48,128	1,04,88,195	(-)2,14,68,210	3,58,51,785		3,58,51,785	1,43,83,575
5	INAUGURATION PROGRAMME ON 22.09.2017 TFC AND CM	36,63,465			36,63,465			0	36,63,465
(D) 7 CFCs									
1	GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI	(-)10,81,993			(-)10,81,993			0	-10,81,993
2	GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs	1,24,96,280			1,24,96,280			0	1,24,96,280
3	15 BUNKAR CHOUPALS IN CFC VARANASI MEGA HANDLOOM CLUSTER	-2,679			(-)2,679			0	-2,679
4	GRANT FOR CFC VARANASI	23,69,681			23,69,681	4,34,199		4,34,199	28,03,880
(E) HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA									
1	HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA (CETRAL SHARE) RECEIPT	(-)12,42,59,606			(-)12,42,59,606		12,42,59,606	12,42,59,606	0
2	HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA (CETRAL SHARE) PAYMENT	9,94,500			9,94,500		9,94,500	9,94,500	0
3	HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA (IMPLEMENTING AGENCY)	(-)14,29,81,580			(-)14,29,81,580		14,29,81,580	14,29,81,580	0
4	GRANT FOR HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA	(-)55,80,000			(-)55,80,000		55,80,000	55,80,000	0
5	GRANT FOR HATHKARGHA SAMVARDHAN SAHAYATA (J And K)	(-)1,11,249			(-)1,11,249		1,11,249	1,11,249	0
(F) OTHERS GRANTS									
1	CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN)	(-)1,20,147			(-)1,20,147				(-)1,20,147
2	GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IIHTS	(-)6,78,000			(-)6,78,000				(-)6,78,000
3	GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE	(-)5,138			(-)5,138				(-)5,138
4	GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI	(-)96,400			(-)96,400				(-)96,400
5	GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs	(-)30,000			(-)30,000				(-)30,000
6	WEAVERS AWARENESS CAMP	(-)7,60,175			(-)7,60,175				(-)7,60,175
7	NATIONAL HANDLOOM CAMPAIGN (I H B BRAND)	17,75,419			17,75,419	35,36,094		35,36,094	53,11,513
8	BUNKAR MITRA HANDLOOM HELP LINE CENTRE	83,53,236			83,53,236	54,46,082		54,46,082	1,37,99,318
9	DESIGNS DEVELOPMENT & PATTERN MAKING VARANASI	(-)3,61,600			(-)3,61,600	3,43,737		3,43,737	(-)17,863
10	GRANT FOR HIRING CONTRACTUAL STAFF UNDER BLILU	(-)5,22,071			(-)5,22,071	55,533		55,533	(-)4,66,538
11	GRANT FOR SKILL UPGRATION (W S C)	36,991			36,991		36,991	36,991	0
12	MARKETING ASSISTANCE COMPONENT OF NHDP FOR IHB CERTIFICATION	(-)2,89,500			(-)2,89,500				(-)2,89,500

13	वाराणसी एच/एल मेगा क्लस्टर 04 विस्तार काउंटर	(-)2,87,474			(-)2,87,474			0	(-)2,87,474
14	सूचना शिक्षा और संचार के लिए अनुदान	(-)48,05,406			(-)48,05,406				(-)48,05,406
15	एच/एल हिस्सों की आपूर्ति के लिए अनुदान	(-)9,17,251			(-)9,17,251			0	(-)9,17,251
16	2000 बैटरी लिंकड इन्वर्टर लाइटिंग यूनिट्स के वितरण के लिए अनुदान	(-)56,33,148			(-)56,33,148			0	(-)56,33,148
17	बीएलआईएसएस की व्यवस्थापक लागत के लिए अनुदान	(-)2,56,759			(-)2,56,759			0	(-)2,56,759
18	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद 8 मार्च 2017 पर फिल्म	37,634			37,634			0	37,634
19	स्वदेशी मेला चंडीगढ़ 2017-2018	5,00,000			5,00,000			0	5,00,000
20	वर्ल्ड फेयर ट्रेड सप्ताह- 8 नवंबर से 13 नवंबर 2017 (फैशन कार्यक्रम 10 नवंबर 2017 को दिखाया गया)	5,88,869	5,88,869		0			0	0
21	हस्तकला सहयोग शिविर (फेज 2)	10,67,660			10,67,660			0	10,67,660
22	हस्तकला सहयोग शिविर (फेज 1)	37,65,242			37,65,242			0	37,65,242
23	क्राफ्ट म्यूजियम, नई दिल्ली में 1 अगस्त 2017 से डिजाइनर चौपाल का आयोजन	2,64,381			2,64,381			0	2,64,381
24	31 जुलाई से 2 अगस्त तक 2017 अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय कपड़ा मेला आयोजन	60,32,737			60,32,737			0	60,32,737
25	गुवाहाटी में 7 अगस्त 2017 को 3 राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस	95,54,343			95,54,343			0	95,54,343
26	जीआई अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद पर 15 मिनट की 12 फिल्में बनाना	11,36,700	74,51,700		85,88,400	74,51,700		74,51,700	11,36,700
27	विवर्स क्रेडिट कार्ड	90,000			90,000		(-)90,000	(-)90,000	0
28	वाराणसी मेगाक्लस्टर (सीएचसीडीएस) में डिजाइन, विकास और पैटर्न बनाने में ट्रेनिंग प्रसंस्करण का संचालन	3,43,737			3,43,737		(-)3,43,737	(-)3,43,737	0
29	डिजाइन, विकास और पैटर्न में प्रशिक्षण कार्यक्रम वाराणसी मेगा क्लस्टर (सीएचसीडीएस)		15,00,000		15,00,000	22,77,000		22,77,000	7,77,000
30	12 फिल्में जी आई पंजीकृत हथकरघा / हस्तशिल्प के उत्पाद 2018-19		1,40,375		1,40,375	2,80,748		2,80,748	1,40,373
31	फैशन शो का आयोजन टेहरी लेक मेला टेहरी		14,98,600		14,98,600	14,98,600		14,98,600	0
32	जिला स्तर पर इवेंट का आयोजन (एनएचडीसी के अर्न्तगत)				0	43,72,116		43,72,116	43,72,116
33	एमएसएमई का आउटरीच आयोजन (बुनकर सेवा केंद्र जनवरी 2019 से फरवरी 2019)				0	13,68,691		13,68,691	13,68,691
34	कौशाम्बी महोत्सव 2018 (4 अप्रैल 2018 से 5 अप्रैल 2018)				0	99,000		99,000	99,000
35	एचएसएफ का चौथा संस्करण लखनऊ में दिनांक 04.10.2018 से 08.10.2018		1,88,300		1,88,300	3,54,000		3,54,000	1,65,700
	कुल	(-)17,05,14,823	6,61,70,709	1,46,83,195	(-)17,19,40,777	15,70,43,158	25,53,03,690	41,23,46,848	15,06,79,224
	कुल डेबिट (प्राप्य राशियों में स्थानांतरण)	12,07,98,473						0	16,61,27,695
	कुल क्रेडिट (अनुदान खातों में स्थानांतरण)	29,13,13,296						0	(-)1,54,48,471
	कुल राशि	17,05,14,823	0	0	0	0	0	0	15,06,79,224

13	VARANASI H/L MEGA CLUSTER 04 EXTENSION COUNTER	(-)2,87,474			(-)2,87,474			0	(-)2,87,474
14	GRANT FOR INFORMATION EDUCATION & COMMUNICATION	(-)48,05,406			(-)48,05,406				(-)48,05,406
15	GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS	(-)9,17,251			(-)9,17,251			0	(-)9,17,251
16	GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS	(-)56,33,148			(-)56,33,148			0	(-)56,33,148
17	GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS	(-)2,56,759			(-)2,56,759			0	(-)2,56,759
18	FILM ON GI REGISTERED HANDLOOM HANDICRAFT PRODUCT 8TH MARCH 2017 UNDER INTERNATIONAL WOMEN DAY	37,634			37,634			0	37,634
19	SWADESHI MELA CHANDHIGARH 2017-2018	5,00,000			5,00,000			0	5,00,000
20	WORLD FAIR TRADE WEEK -8TH NOV. TO 13TH NOV 2017 (FASHION SHOW ON 10TH NOV 2017)	5,88,869	5,88,869		0			0	0
21	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 2)	10,67,660			10,67,660			0	10,67,660
22	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 1)	37,65,242			37,65,242			0	37,65,242
23	ORGANIZE DESIGENERS CHAUPAL AT CRAFT MUSEUM NEW DELHI 1ST AUG.2017	2,64,381			2,64,381			0	2,64,381
24	INTERNATIONAL TEXTILE FARE AT AHMEDABAD FROM 31ST JULY TO 2ND AUG. 2017	60,32,737			60,32,737			0	60,32,737
25	3RD NATIONAL HANDLOOM DAY ON 7TH AUGUST 2017 AT GUWAHATI	95,54,343			95,54,343			0	95,54,343
26	MAKING OF 12 FILMS OF 15MINUTES EACH ON REGD HANDLOOM AND HANDICRAFT PRODUCT UNDER GI ACT 1999	11,36,700	74,51,700		85,88,400	74,51,700		74,51,700	11,36,700
27	WEAVERS CREDIT CARD	90,000			90,000		(-)90,000	(-)90,000	0
28	CONDUCTING TRAINING PROG IN DESIGN DEVELOPMENT AND PATTERN MAKING IN VARANASI MEGA CLUSTER(CHCDS)	3,43,737			3,43,737		(-)3,43,737	(-)3,43,737	0
29	OUTREACH PROGRAMME FOR PROMOTION OF HANDLOOMS (NJB KOLKOTTA) FROM 7-01-2019 TO 13-01-2019		15,00,000		15,00,000	22,77,000		22,77,000	7,77,000
30	12 FLIMS ON GI REGISTERED HANDLOOM /HANDICRAFT PRODUCT (2018-2019)		1,40,375		1,40,375	2,80,748		2,80,748	1,40,373
31	ORGANISING A FASHION SHOW AT TEHRI LAKE FESTIVAL TEHRI		14,98,600		14,98,600	14,98,600		14,98,600	0
32	TO ORGANISE DISTRICT LEVEL EVENTS (UNDER NHDP)				0	43,72,116		43,72,116	43,72,116
33	OUTREACH PROGRAMME OF MSME (WSC JAN 2019 TO FEB.2019)				0	13,68,691		13,68,691	13,68,691
34	KAUSHAMBI MAHOTSAV 2018 (4TH APRIL 2018 TO 5TH APRIL 2018)				0	99,000		99,000	99,000
35	4TH EDITION OF HSF 2018 AT LUCKNOW FROM 05.10.2018 TO 08.10.2018		1,88,300		1,88,300	3,54,000		3,54,000	1,65,700
	TOTAL	(-)17,05,14,823	6,61,70,709	1,46,83,195	(-)17,19,40,777	15,70,43,158	25,53,03,690	41,23,46,848	15,06,79,224
	TOTAL DEBIT (TRANSFER TO RECEIVABLES)	12,07,98,473						0	16,61,27,695
	TOTAL CREDIT (TRANSFER TO GRANT ACCOUNT)	29,13,13,296						0	(-)1,54,48,471
	GRAND TOTAL	17,05,14,823	0	0	0	0	0	0	15,06,79,224

ii) अनुदान संबंधी विवरण
मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए सूत आपूर्ति योजना में सरकारी अनुदान की प्राप्ति और उपयोग का ब्यौरा

(रु. में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.2018 को	वर्ष के दौरान प्राप्तियां		कुल	वर्ष के दौरान लेन-देन		कुल	दिनांक 31.03.2019 को शेष राशि
			सरकार से	प्रतिभागियों से		खर्च	वापसी/ समायोजन /अंतरण		
	सूत आपूर्ति सब्सिडी योजना								
	10% हैंक यार्न सब्सिडी	49,69,02,874	26,17,80,351		23,51,22,523	30,82,73,988	-22,65,83,508	8,16,90,480	31,68,13,003
	सूत आपूर्ति योजना के दावे (एमजीपीएस)	1,07,31,15,078	1,00,66,52,098		6,64,62,980	33,83,44,805		33,83,44,805	40,48,07,785
	योग	1,57,00,17,952	1,26,84,32,449	0	30,15,85,503	64,66,18,793	-22,65,83,508	42,00,35,285	72,16,20,788
	कुल योग	1,39,95,03,128	1,33,46,03,158	1,46,83,195	12,96,44,726	80,36,61,951	2,87,20,182	83,23,82,133	87,23,00,011

ii) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS UNDER YARN SUPPLY SCHEME RECEIVED & UTILIZATION

(In Rs.)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2018	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Closing Balance as on 31.03.2019
			From Govt.	From Participants		Expenses	Refund/ Adjustment/ Transfer		
	YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEME								
	10% HANK YARN SUBSIDY	49,69,02,874	26,17,80,351		23,51,22,523	30,82,73,988	-22,65,83,508	8,16,90,480	31,68,13,003
	YSS CLAIMS (MGPS)	1,07,31,15,078	1,00,66,52,098		6,64,62,980	33,83,44,805		33,83,44,805	40,48,07,785
	TOTAL	1,57,00,17,952	1,26,84,32,449	0	30,15,85,503	64,66,18,793	-22,65,83,508	42,00,35,285	72,16,20,788
	TOTAL GRANTS	1,39,95,03,128	1,33,46,03,158	1,46,83,195	12,96,44,726	80,36,61,951	2,87,20,182	83,23,82,133	87,23,00,011



36^{वीं} वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन रेडिसन ब्लू होटल, ग्रेटर नोएडा में किया गया ।

बाएँ से दाएँ बैठे हुए : श्री अनिल कुमार सूद – अशासकीय स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय रस्तोगी – अध्यक्ष (एन.एच.डी.सी.)/विकास आयुक्त (हथकरघा), श्री संजीव दुआ – प्रबंध निदेशक (एन.एच.डी.सी.), श्री दीपांकर दत्ता – निदेशक (एन.एच.डी.सी.)/उपसचिव (समेकित वित्त प्रभाग)

बाएँ से दाएँ खड़े हुए : श्रीमती अंजलि यादव – कम्पनी सचिव, श्री एन.के. गुप्ता और श्री एम.एम. केजरीवाल, सांविधिक लेखा परीक्षक, श्री ए.एस किंद्रा – सचिवीय लेखा परीक्षक, श्री जितेंद्र पुरोहित – मुख्य वित्तीय अधिकारी (सी एफ ओ), श्री के.सी. शकद्विप – उप विकास आयुक्त (हथकरघा), श्री शक्तिवेल पेरुमलसामी – अधिशासी निदेशक (वाणिज्य)

36th Annual Annual General Meeting Organized at Radisson Blu Hotel, Greater Noida.

Sitting from left to right : Shri Anil Kumar Sood - Non Official Independent Director, Shri Sanjay Rastogi - Chairman NHDC/Development Commissioner Handlooms, Shri Sanjeev Dua - MD NHDC, Shri Dipankar Dutta - Director NHDC/ Dy. Secretary (IFW).

Standing From left to right : Smt. Anjali Yadav -Company Secretary, Shri NK Gupta & Shri MM Kejriwal - Statutory Auditors, Shri A.S. Kindra - Secretarial Auditor, Shri Jitendra Purohit - CFO, Shri K.C. Shakdwipee - DDC (Handlooms) and Shri Sakthivel Perumalsamy - ED (Commercial).



पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर 1,
प्लॉट नं. III, सेक्टर नॉलेज पार्क-तृतीय,
सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्ध नगर
उत्तर प्रदेश - 201306
फोन नं. 0120-2329600
ईमेल conhdc@nhdc.org.in

Registered Office

4thFloor, Wegmans business Park, Tower-1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasma Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddh Nagar
Uttar Pradesh - 201306
Phone : 0120-2329600
E-mail : conhdc@nhdc.org.in

www.nhdc.org.in